रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D(D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 1978/कार्तिक 6, 1900
No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1978/KARTIKA 6, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 1978

सा० का० नि० 1274.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् पूर्णकालिक सदस्य कहा गया है) के रूप में नियुक्त व्यक्ति की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा विनियमन अपील बोर्ड पूर्णकालिक सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1978 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भर्ती के लिए अर्हताएं:— (1) कोई भी व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य के रूप में तब तक नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक —

(i) उसने कम से कम दस वर्ष तक कोई सिविल न्यायिक पद धारण न किया हो;

(ii) वह कम से कम तीन वर्ष तक केन्द्रीय विधि सेवा (श्रेणी 1 से नीचे नहीं) कोई सदस्य न रहा हो; या

(iii) वह कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में वकालत में न रहा हो ।

(2) वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3. चिकित्सीय स्वस्थता:— कोई भी व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बने चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसे स्वस्थ घोषित नहीं कर दिया जाता या जब तक वह पहले ही किसी समतुल्य प्राधिकारी द्वारा स्वस्थ घोषित न कर दिया गया हो।

4. परिवीक्षा:—(1) पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर रहेगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार, किसी व्यक्ति के मामले में उसकी परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा या घटा सकेगी।

(3) ऐसे व्यक्ति को, परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी भी समय और बिना कोई कारण बताए हुए, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवा से उन्मोचित किया जा सकेगा।

5. वर्गीकरण :—पूर्णकालिक सदस्य, साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, सदस्य होगा, जब तक कि वह किसी अन्य केन्द्रीय सिविल सेवा का सदस्य न हो।

6. वेतन : पूर्णकालिक सदस्य के पद का वेतनमान 2500—125/2-2750 रु० होगा।

7 पूर्णकालिक सदस्य की पदावधि :—नियम 4 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पांच वर्ष की कालावधि के लिए या जब तक वह साठ वर्ष की आयु का नहीं हो जाता, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

8. सेवा निवृत्ति प्रसुविधाएं :—(1) पूर्णकालिक सदस्य, जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति के समय स्थायी हैसियत में सरकार के अधीन पेंशनीय पद धारण किए हुए था, उसकी सेवा निवृत्ति के समय उसे लागू पेंशन के नियमों के अनुसार पेंशन का पात्र होगा।

(2) पूर्णकालिक सदस्य, जिसे उपनियम (1) लागू नहीं होता, अभिदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के अनुसार अभिदायी भविष्य निधि प्रसुविधाओं का हकदार होगा।

9. सेवा की अन्य शर्तें :—पूर्णकालिक सदस्य की सेवा की शर्तें, उन विषयों के बारे में, जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबन्ध नहीं किए गए हैं, वे होंगी जो भारत सरकार के तत्स्थानी प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों को तत्समय लागू हो।

10. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

11. निर्वचन :—यदि इन नियमों के निर्वचन से सम्बन्धित कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो वह केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(फा० सं० ए० 12018/2/78-प्रशा० I (एलए०)

जी० सी० शारदा, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Department of Legal Affairs)

New Delhi, the 22nd September, 1978

G.S.R. 1274.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and conditions of service of the person appointed as Full-time Member of the Foreign Exchange Regulation Appellate Board (hereinafter referred to as Full-time Member), namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Regulation Appellate Board Full-time Member (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Qualifications for recruitment.—(1) A person shall not be qualified for appointment as Full-time Member unless :—

(i) he has for at least ten years held a Civil Judicial post or

(ii) he has been a member of the Central Legal Service (not below Grade I) for at least three years ; or

(iii) he has been in practice as an advocate for at least ten years.

(2) No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment as full-time member :

Provided that the Central Government, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

3. Medical fitness.—No person shall be appointed as Full-time Member unless he is declared medically fit by a Medical Board to be constituted by the Central Government for the purpose, unless he has already been declared fit by an equivalent authority.

4. Probation.—(1) Every person appointed as Full-time Member shall be on probation for a period of two years.

(2) The Central Government may in the case of any person, extend or reduce the period of his probation.

(3) At any time during the period of probation and without any reasons being assigned, such person may be discharged from service as Full-time Member.

5. Classification.—The Full-time Member shall be a member of the General Central Service, Group 'A' Gazetted, unless he is a member of any other Central Civil Service.

6. Pay.—The scale of pay of the post of Full-time Member shall be Rs. 2500-125/2-2750.

7. Term of office of Full-time Member.—Subject to the provision of rule 4, a person appointed as Full-time Member shall hold office for a term of five years or until he attains the age of sixty years, whichever is earlier.

8. Retirement benefits.—(1) The Full-time Member who, at the time of his appointment as Full-time Member, was holding a pensionable post under a Government in a permanent capacity shall be eligible for pension in accordance with the rules for pension applicable to him at the time of his retirement.

(2) The Full-time Member to whom sub-rule (1) does not apply shall be entitled to Contributory Provident Fund benefits in accordance with the Contributory Provident Fund Rules (India), 1962.

9. Other conditions of service.—The conditions of service of the Full-time Member in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

10. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

11. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Central Government.

[F. No. A. 12018/2/78-Adm. I (LA)]

G. C. SHARDA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 1275.—केन्द्रीय सरकार, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1808 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश 27 के नियम 8ख के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व विधि मन्त्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1412, तारीख 25 नवम्बर, 1960 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, '23 जम्मू-कश्मीर' शीर्ष के नीचे, स्तम्भ (2) में "श्री एस० ए० सलारिया" शब्दों के स्थान पर, "श्री विनोद कुमार गुप्ता" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० एफ० 36(7)/78-न्यायिक]

श्री वी० जी० कृष्णमूर्ति, अपर विधिक सलाहकार

New Delhi, the 6th October, 1978

G.S.R. 1275.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of rule 8B of Order XXVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), the Central Government hereby makes the follwing further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Law No. G.S.R. 1412, dated the 25th November, 1960, namely :—

In the Schedule to the said notification, under the heading "23. Jammu and Kashmir", in column (2), fo rthe words "Shri S. A. Salaria" the words "Shri Vinod Kumar Gupta", shall be substituted.

[No. F. 36(7)/78-Judl.]

G. V. G. KRISHNAMURTHY, Addl. Legal Adviser

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1978

सा. का. नि. 1276.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (वि. वि.) वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है ।

(2) ये शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) वर्ग 'ख' और वर्ग 'ग' पद भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में अधीक्षक (मुद्रण) के पद से संबंधित क्रम संख्या 2 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां की जाएंगी, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक"

[सं. ए. 12018/2/76-प्रशा. 1 (वि. वि.)]

वि. रामाचन्द्रन, उप सचिव

(Legislative Department)

New Delhi, the 23rd September, 1978

G.S.R. 1276.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1977, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) Group 'B' and Group 'C' Posts Recruitment Rules, 1977, in the Schedule, against serial No. 2, relating to the post of Superintendent (Printing), in column 13, the following entry shall be inserted, namely :—

"Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment."

[No. A. 12018/2/76-Admn. I(LD)]

V. RAMACHANDRAN, Dy. Secy.

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1978

सा. का. नि. 1277.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उप-नियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, हरियाणा सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) (संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) सतरहवां संशोधन विनियम, 1978 है ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "हरियाणा" शीर्षक के अधीन तत्स्थानी पद "रीवस्ट्रार, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर "प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा राज्य बीज विकास निगम" में प्रतिस्थापित किये जायें

[सं. 11031/69/78-अ. भा. स. (2)]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Department of Personnel & Administrative Reforms)

New Delhi, the 12th October, 1978

G.S.R. 1277.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1) and the first proviso to sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the State Government of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Seventeenth Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955 under the heading 'Haryana' the following shall be substituted for the existing entry of "Registrar, Agricultural University" appearing at S. No. 14 of the posts in the deputation reserve :—

"Managing Director, Haryana Seeds Development Corporation".

[No. 11013/6A/78-AIS(II)]

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1978

सा. का. नि. 1278.—केन्द्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों के परामर्श से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

2. इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम 1978 है।

3. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में नियम 10-ङ को उसके नियम 10-च के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित नियम 10-च से पूर्व निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"10-छ सिक्किम राज्य में सेवा के आरंभिक गठन के समय सेवा में नियुक्त अधिकारियों के वेतन और वेतनमान का नियतन : इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सिक्किम राज्य के संबंध में राज्य कैडर के आरंभिक गठन के समय सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों का वेतन ऐसे सिद्धान्तों के अनुसार जिन्हें केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, अवधारित करे कनिष्ठ या जेष्ठ वेतनमान में नियत किया जाएगा।"

4. यह संशोधन 16 जून, 1976 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

सिक्किम के लिए भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग का गठन 16-6-76 से किया गया था इसलिए प्रारम्भिक संविधान के द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा संवर्ग, सिक्किम में भर्ती हुए भारतीय प्रशासन सेवा के सदस्यों का वेतन निर्धारित करने के लिए भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 को संवर्ग के गठन की तारीख से संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इन नियमों के भूतलक्षी प्रभाव से लागू किये जाने से किसी भी अधिकारी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

[सं. 11031/43/77-अ. भा. से. (2)]

New Delhi, the 13th October, 1978

G.S.R. 1278.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the Government of the State concerned, hereby makes the following rule further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Eleventh Amendment Rules, 1978.

(2) This amendment shall be deemed to have come into force from the 16th June, 1976.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, rule 10-E shall be renumbered as rule 10-F and before rule 10-F as so renumbered, the following rule shall be inserted, namely :—

"10E. Fixation of pay and scales of pay of officers appointed to the Service on its initial constitution in the State of Sikkim.

Notwithstanding anything contained in these rules In relation to the State of Sikkim, the pay of officers appointed to the Service at the time of the initial constitution of the State Cadre shall be fixed in the junior or senior scales of pay in accordance with such pprinciples as the Central Government may, in consultation with the State Government, determine."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Indian Administrative Service Cadre for Sikkim was constituted with effect from the 16th June, 1976. It is proposed to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 as above to regulate the fixation of pay of Indian Administrative Service Officers appointed to the Indian Administrative Service Cadre of Sikkim at the time of initial constitution of that Cadre and the amendment is being given retrospective effect from the date on which the Cadre came into existence.

No officer is likely to be adversely affected by this amendment being given retrospective effect.

[No. 11031/43/77-AIS(II)]

सा०का०नि० 1279.—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, "उत्तर प्रदेश" सरकार के परामर्श से, भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन), सोलहवां संशोधन विनियम, 1978 है।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "उत्तर प्रदेश" शीर्षक तथा उसके अन्तर्गत दी गई प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश"	229
राज्य सरकार के अधीन पद	1
सरकार के मुख्य सचिव	1
अध्यक्ष, राजस्व बोर्ड	1
सदस्य, राजस्व बोर्ड	2
सदस्य (न्यायिक), राजस्व बोर्ड	7
सभापति और सदस्य, प्रशासनिक अधिकरण और अध्यक्ष, सतर्कता आयोग	1
खण्डों के आयुक्त	12
आयुक्त चकबन्दी	1
आयुक्त और सचिव	14
आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति और आयुक्त और सचिव	1
आयुक्त विक्रय-कर	1
निदेशक प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान	1
आयुक्त बन्दोबस्त	1
आयुक्त और निदेशक, औद्योगिक निवेशालय	1
आयुक्त और परियोजना प्रशासक क्षेत्र विकास	3

सरकार के सचिव/विशेष सचिव	21
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सचिव, राजस्व बोर्ड	1
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	52
राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर	1
आयुक्त उत्पाद और आयुक्त नशाबन्दी	1
निदेशक योजना अनुसंधान और कार्यकारी खण्ड और निदेशक मल्यांकन और प्रशिक्षण खण्ड तथा सरकार के संयुक्त/उप-सचिव	1
अपर/संयुक्त निदेशक उद्योग	3
नियंत्रक बाट, माप और सरकार के संयुक्त/उप सचिव	1
श्रमायुक्त	1
अपर/संयुक्त श्रम आयुक्त	1
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	1
अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	2
गन्ना आयुक्त	1
अपर/संयुक्त बिक्रय कर आयुक्त	1
अपर आयुक्त	2
निदेशक पंचायत	1
अध्यक्ष और सदस्य प्रशासनिक अधिकरण (II)	1
निदेशक सूचना और सरकार के सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव	1
निदेशक प्रशिक्षण और रोजगार	1
निदेशक हरिजन और सामाजिक कल्याण	1
सचिव, लोक सेवा आयोग	1
उप आयुक्त/मजिस्ट्रेट और कलक्टर	57
संयुक्त/उप विकास आयुक्त	5
महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण तथा मुख्य निरीक्षक स्टाम्प तथा संयुक्त सचिव राजस्व बोर्ड	1
उप भूमि सुधार आयुक्त	2
संयुक्त/उप निदेशक राष्ट्रीय बचत तथा सरकार के संयुक्त/उप सचिव	1
उप आयुक्त खाद्य और सिविल पूर्ति तथा सरकार के उप सचिव	2
सचिव व निदेशक संस्थानीय वित्त	1
निदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो	1
उप निदेशक, स्थानीय निकाय तथा सरकार के उप सचिव	1
अपर संयुक्त निदेशक चकबन्दी	1
परिवहन आयुक्त	1
प्रादेशिक खाद्य नियंत्रक	5
अपर/संयुक्त/उप बन्दोबस्त आयुक्त	1
निदेशक-पर्यटन	1
अपर/संयुक्त/उप-परियोजना प्रशासक—क्षेत्र विकास	3
निदेशक, अनुसूचित जाति तथा जन जाति	1
	229

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 1 से 40 प्रतिशत के हिसाब से	92
3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 8 के अधीन पदोन्नति तथा प्रवरण द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 33⅓ प्रतिशत के हिसाब से।	107
4. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 में 3 घटाकर	214
5. प्रतिनियुक्ति रिजर्व	88*
6 छुट्टी रिजर्व	12
7. कनिष्ठ पद	50
8 प्रशिक्षण रिजर्व	26
सीधी भर्ती वाले पद	390
पदोन्नति वाले पद	107
कुल प्राधिकृत संख्या	497

*इनमें 40 अतिरिक्त पद शामिल हैं।

[सं० 11031/8/78-अ०भा०से० (ii)]

G.S.R. 1279.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Uttar Pradesh hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixteenth Amendment Regulations, 1978.

(2) The shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Uttar Pradesh" and the entries occurring thereunder, the following shall be substituted, namely:—

"UTTAR PRADESH"

1. Senior posts under the State Govt.	229
Chief Secretary to Govt.	1
Chairman, Board of Revenue	1
Members, Board of Revenue.	2
Members, (Judicial) Board of Revenue	7
President and Member, Administrative, Tribunal and Chairman, Vigilance Commission	1
Commissioners of Divisions	12
Commissioner for Consolidation	1
Commissioners and Secretaries	14
Commissioner, Food and Civil Supplies and Commissioner and Secretary	1
Slaes Tax Commissioner	1
Director, Administrative Training Institute	1
Commissioner and Director, Directorate of Industries	1
Settlement Commissioner	1
Commissioner and Project Administrator, Area Development	3
Secretaries/Special Secretaries to Govt.	21
Secretary to Governor	1
Secretary to Mukhya Mantri	1
Secretary, Board of Revenue	1
Additional/Joint/Deputy Secretaries to Govt.	52
States Editor, District Gazetteers	1
Excise Commissioner and Commissioner for Prohibition	1

Director, Planning Research and Action Division and Director Evaluation and Training Division-cum-Joint/Deputy Secretariat to Govt.	1
Additional/Joint Directors of Industries	3
Controller of Weights and Measures and Joint/Deputy Secretary to Government	1
Labour Commissioner	1
Additional Joint Labour Commissioner	1
Registrar, Co-operative Societies	1
Additional Registrars, Co-operative Societies	2
Cane Commissioner	1
Additional/Joint Sales Tax Commissioner	1
Additional Commissioners	2
Director of Panchayats	1
Chairman and Member, Administrative Tribunal	1
Director of Information and Secretary/Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary to Government	1
Director of Training and Employment	1
Director, Harijan and Social Welfare	1
Secretary, Public Service Commission	1
Deputy Commissioners/Magistrates and Collectors	57
Joint/Deputy Development Commissioners	5
Inspector General of Registration-cum-Chief Inspector of Stamps-cum-Joint Secretary, Board of Revenue.	1
Deputy Land Reforms Commissioners	2
Joint/Deputy Director, National Savings-cum-Joint/Deputy Secretary to Govt.	1
Deputy Commissioners, Food and Civil Supplies-cum-Deputy Secretary to Govt.	2
Deputy Director, Local Bodies-cum-Deputy Secretary to Government	1
Additional/Joint Director of Consolidation	1
Secretary and Director, Institutional Finance	1
Director Bureau of Public Enterprises	1
Director for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	1
Director of Tourism	1
Addl./Joint/Deputy Project Administrator, Area Development	3
Addl./Joint /Deputy Settlement Commissioner	1
Transport Commissioner	1
Regional Food Controllers	5
TOTAL	229
2. Central Deputation Reserve at 407 of 1 above	92
3. Posts to be filled by promotion and selection under rule 8 of the Indian Administrative Service ((Recruitment) Rules, 1954 at 33⅓% of 1 and 2 above	107
4. Posts to be filled by direct recruitment (1 and 2 minus 3 above)	214
5. Deputation Reserve	88*
6. Leave Reserve	12
7. Junior Posts	50
8. Training Reserve	26
Direct Recruitmennt Posts	390
Promotion Posts	107
Total Authorised Strength.	497

*Includes 40 posts alllowed as ad-hoc increase.

[No. 11031/8/78-AIS(II)]

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 1280.—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम II के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 में और आगे संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम, भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) बसवां संशोधन नियम, 1978 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची-3-ख में "संघ शासित क्षेत्र—दिल्ली प्रशासन" शीर्षक के अधीन तत्स्थानी पद "आबकारी-आयुक्त" के स्थान पर "आबकारी-आयुक्त तथा निदेशक नशाबन्दी" प्रतिस्थापित किए जायें ।

[संख्या 11031/21/78-अ०भा०से०(II)-ख]

New Delhi, the 17th October, 1978

G.S.R. 1280.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Tenth Amendment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.—

In Schedule III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments (including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale). In the Table, under the heading "Union-territories" and below Delhi-Administrative, occurring in his first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted in place of the existing entry "Excise Commissioner" :—

"Commissioner of Excise and Director Prohibition."

[No. 11031/21/78-AIS(II)B]

सा० का० नि० 1281—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उपनियम (2) के प्रथम परन्तुक और उपनियम (1) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) अठारहवां संशोधन विनियम, 1978 है ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 की अनुसूची में "संघ शासित क्षेत्र दिल्ली प्रशासन" शीर्षक के अधीन तत्स्थानी पद "आबकारी-आयुक्त" के स्थान पर "आबकारी-आयुक्त तथा निदेशक-नशाबन्दी-1" प्रतिस्थापित किए जायें ।

[सं० 11031/21/78-अ० भा० से० (II)-क]

कृष्ण लाल भेगी, अवर सचिव

G.S.R. 1281.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Stength) Regulations, 1955 namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Eighteenth Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the existing entry 'Excise Commissioner' against Delhi-Administration, under the heading "Union-territories" the following entry shall be substituted :—

"Commissioner of Excise and Director of Prohibition."

[No. 11031/21/78-AIS(II) A]
K. L. NEGI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1978

सा० का० नि० 1282.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रैस, देवास, श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भर्ती नियमावली, 1975 में और संशोधन आगे करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रैस, देवास, श्रेणी-I और श्रेणी-II के पद) भर्ती (दूसरा संशोधन) नियमावली 1978 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे ।

2. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रैस, देवास, श्रेणी I और श्रेणी II के पद) भर्ती नियमावली, 1975 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

"7. अपवाद:—इन नियमों का कोई भी उपबन्ध, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, दिये जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा संबंधी छूटों तथा अन्य छूटों पर प्रभाव नहीं डालेगा।"

[संख्या 4/36/78-बी०एन०पी०(i)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th September, 1978

G.S.R. 1282.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Class I and Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 7 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Class I and Class II Posts) Recruitment Rules, 1975, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. F. 4/36/78-BNP (i)]

सा० का० नि० 1283.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रैस, देवास, श्रेणी III के पद) भर्ती नियमावली, 1975 में और आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस देवास श्रेणी, III के पद) भर्ती (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जाएगा।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, श्रेणी III के पद) भर्ती नियमावली, 1975 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7. अपवाद:—इन नियमों का कोई भी उपबन्ध, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में समय समय पर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार, दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा संबंधी छूटों तथा अन्य छूटों पर प्रभाव नहीं डालेगा।"

[संख्या एफ० 4/36/78-बी० एन० पी०(ii)]

G.S.R. 1283.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas Class III posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas Class III posts) Recruitment (Fifth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 7 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas Class III posts) Recruitment Rules, 1975, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. F. 4/36/78-BNP(ii)]

सा० का० नि० 1284.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, अवर्गीकृत औद्योगिक संवर्ग

के पद) भर्ती नियमावली, 1975 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, अवर्गीकृत औद्योगिक संवर्ग के पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1978 कहा जाएगा।

(2) ये नियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की तारीख से लागू होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, अवर्गीकृत, औद्योगिक संवर्ग के पद) भर्ती नियमावली, 1975 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7. बचत:—इन नियमों का कोई भी उपबन्ध, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले आरक्षणों, आयु-सीमा, संबंधी छूटों तथा अन्य छूटों पर प्रभाव नहीं डालेगा।"

[संख्या एफ० 4/36/78-बी०एन०पी० (iii)]

G.S.R. 1284.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Unclassified Industrial Cadre posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Unclassified Industrial Cadre posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 7 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Unclassified Industrial Cadre posts) Recruitment Rules, 1975, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. F. 4/36/78-BNP (iii)]

सा० का० नि० 1285.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, (बैंक नोट प्रेस, देवास, श्रेणी IV के पद) भर्ती नियमावली, 1975 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, श्रेणी IV के पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1978 कहा जाएगा।

(2) ये नियम इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंक नोट प्रेस, देवास, श्रेणी IV के पद) भर्ती नियमावली, 1975 के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"7. बचत:—इन नियमों का कोई भी उपबन्ध, अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों तथा अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए आदेशों के अनुसार दिए जाने वाले आरक्षणों, आयु सीमा संबंधी छूटों तथा अन्य छूटों पर प्रभाव नहीं डालेगा।"

[संख्या एफ० 4/36/78-बी०एन०पी० (iv)]

लाज कुमार मल्होत्रा, अवर सचिव

G.S.R. 1285.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Class IV posts) Recruitment Rules, 1975, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Class IV posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. For rule 7 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Bank Note Press, Dewas, Class IV post) Recruitment Rules, 1975, the following rule shall be substituted, namely :—

"7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard."

[No. F. 4/36/78-BNP(iv)]

L.K. MALHOTRA, Under Secy.

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

सा. का. नि. 1286.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नियम, 1975 के नियम 4 के साथ पठित राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 26) की धारा 3 की उपधारा 4 के खण्ड (8), (14), (15), (16) और (17) के अनुसरण में, और भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 192(अ), तारीख 5 अप्रैल, 1975 के भागतः उपान्तरण में निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात :—

1. बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे धारा 3(4)(8) के अधीन नाम निर्देशिती
   अध्यक्ष
   सिन्डीकेट बैंक

2. राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का प्रतिनिधित्व कर रहे धारा 3(4) (14) के अधीन नाम निर्देशिती

   1. आयुक्त और सरकार के सचिव
      सहकारी विभाग, राजस्थान।

   2. सरकार के सचिव और निदेशक,
      सी.डी. और एम. एस. और कृषि उत्पादन
      विभाग, जम्मू और कश्मीर।

3. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्य प्रदेश ।

4. कृषि उत्पादन आयुक्त,
बिहार ।

5. सरकार का सचिव,
सहकारिता भारसाधक
हरियाणा ।

6. विकास आयुक्त,
अन्डमान और निकोबार ।

7. सरकार का सचिव,
सहकारिता भारसाधक,
त्रिपुरा ।

8. सरकार का सचिव,
सहकारिता भारसाधक,
मेघालय ।

सरकार का सचिव,
सहकारिता भारसाधक,
गुजरात ।

10. सरकार का सचिव,
सहकारिता भारसाधक,
गोवा ।

11. सरकार का सचिव,
सहकारिता भारसाधक,
तमिलनाडु ।

3. राज्य स्तर के सहकारी परिसंघ का प्रतिनिधित्व कर रहे धारा 3(4) (15) के अधीन नाम निर्देशिती ।

1. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, पंजाब ।

2. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश ।

3. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल ।

4. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, उत्तर प्रदेश ।

5. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, उड़ीसा ।

6. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, आसाम ।

7. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, नागालैंड ।

8. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, महाराष्ट्र ।

9. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, कर्नाटक ।

10. अध्यक्ष,
राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड, केरल ।

11. अध्यक्ष,
आन्ध्र प्रदेश राज्य सहकारी विपणन परिसंघ लिमिटेड,
हैदराबाद ।

4. कृषि सहकारी विकास में विशेष जानकारी या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे धारा 3(4)(16) के अधीन नामनिर्देशिती ।

1. डा. डी. के. पटेल,
गुजरात राज्य सहकारी खण्ड उद्योग संघ लिमिटेड,
सरदार बाग,
बारदोली-2, जिला सूरत (गुजरात) ।

2. श्री एस. एस. पुरी,
मुख्य सचिव, पंजाब सरकार,
चण्डीगढ़ ।

3. श्री डी. पी. सिंह,
कुलपति,
राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (पटना) ।

4. श्री रघुबीर सिंह कौशल, एम.एल.ए.,
भोजयाखेरी, ऊंटा, जिला कोटा (राजस्थान) ।

सहकारी कार्यक्रमों की उन्नति या विकास में लगे हुए या हितबद्ध राष्ट्रीय स्तर के संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे धारा 3(4) (17) के अधीन नाम निर्देशिती ।

1. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता परिसंघ लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

2. अध्यक्ष,
इण्डियन फारमर्स फर्टीलाइजर को-आपरेटिव लिमिटेड,
नई दिल्ली ।

3. अध्यक्ष,
राष्ट्रीय सहकारी भूमि विकास,
बैंक परिसंघ,
मुम्बई ।

[फा. सं.-एस-12011/2/78-ए.सी.एम.पी.]

के. नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 9th October, 1978

G.S.R. 1286.—In pursuance of clauses (viii), (xiv), (xv), (xvi) and (xvii) of sub-section (4) of section 3 of the National Corporative Development Corporation Act, 1962 (26 of 1962), read with rule 4 of the National Cooperative Development Corporation Rules, 1975, and in partial modification of the notification of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. G.S.R. 192(E), dated the 5th April, 1975, the Central Government hereby nominates the following persons as members of the General Council of the National Cooperative Development Corporation, namely :—

I. Nominee under section 3(4)(viii) representing Banks :

1. Chairman, Syndicate Bank,

II. Nominees under section 3(4)(xiv) representing State Governments and Union Territory Administrations :

1. Commissioner and Secretary to Government, Department of Cooperation, Rajasthan.
2. Secretary to Government and Director, CD and NES and Agricultural Production Department, Jammu and Kashmir.
3. Agricultural Production Commissioner, Madhya Pradesh.
4. Agricultural Production Commissioner Bihar.
5. Secretary to Government, Incharge of Cooperation, Haryana.
6. Development Commissioner, Andaman and Nicobar.
7. Secretary to Government, Incharge of Cooperation, Tripura.
8. Secretary to Government, Incharge of Cooperation, Meghalaya.
9. Secretary to Government, Incharge of Cooperation, Gujarat.
10. Secretary to Government, Incharge of Cooperation, Goa.
11. Secretary to Government, Incharge of Cooperation, Tamil Nadu.

III. Nominees under section 3(4)(xv) representing State level cooperative federations :

1. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Punjab.
2. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Himachal Pradesh.
3. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., West Bengal.
4. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Uttar Pradesh.
5. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Orissa.
6. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Assam.
7. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Nagaland.
8. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Maharashtra.
9. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Karnataka.
10. Chairman, State Cooperative Marketing Federation Ltd., Kerala.
11. Chairman, Andhra Pradesh State Cooperative Marketing Federation Ltd., Hyderabad.

IV. Nominees under section 3(4)(xvi) representing persons having special knowledge of, or practical experience in agricultural cooperative development :

1. Dr. D. K. Patel, Gujarat Rajya Sahakari Khand Udyog Sangh Ltd., Sardar Baug, Bardoli-2, District Surat (Gujarat).
2. Shri S. S. Puri, Chief Secretary to the Government of Punjab, Chandigarh.
3. Shri D. P. Singh, Vice-Chancellor, Rajendra Agricultural Univversity Patna, Bihar.
4. Shri Raghubir Singh Kaushal, MLA., Bhojyakheri, Anta, Distt. Kota (Rajasthan).

V. Nominees under section 3(4)(xvii) representing national level organisations engaged or interested in the promotion and development of cooperative programmes :

1. Chairman, National Cooperative Consumers' Federation Ltd., New Delhi.
2. Chairman, Indian Farmers' Fertiliser Cooperative Ltd., New Delhi.
3. Chairman, National Cooperative Land Development Banks' Federation, Bombay.

[File No. L. 12011/2/78-ACMP]
K. NARAYANAN, Jt. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1978

सा.का.नि. 1287.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस एण्ड पी 2-48(1) 160, तारीख 6 जुलाई, 1962 को अधिक्रान्त करते हुए विस्फोटक विभाग में समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विस्फोटक विभाग, (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना :—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो, उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. अधीक्षक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	550-20-650-25-750 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. ज्येष्ठ रसायन सहायक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	550-25-750-द० रो०-30-900 रु०	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जायगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे प्रधान लिपिकों में से जिन्हें 5 वर्ष का अनुभव हो इसके न हो सकने पर ऐसे सहायकों में से जिन्हें 6 वर्ष का अनुभव हो। स्थानान्तरण : सरकार में या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग में समतुल्य पद धारण करने वाले किसी उपयुक्त अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक—अध्यक्ष (2) मुख्य उप-विस्फोटक नियंत्रक—सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी—सदस्य (4) समूह 'ग' या समूह 'ख' का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : कनिष्ठ रसायन सहायक जिसने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक—अध्यक्ष (2) मुख्य उप-विस्फोटक नियंत्रक—सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी—सदस्य (4) समूह 'ग' या समूह 'ख' का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3. कनिष्ठ रसायन सहायक	6	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक-वर्गीय	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रु०	अचयन	25 वर्ष सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है।	रसायन या औद्योगिक या अनुप्रयुक्त रसायन में आनर्स सहित विश्वविद्यालय की उपाधि जिसके साथ किसी प्रयोगशाला में अकार्बनिक रसायन के विश्लेषण का अनुभव और उसमें रुझान।
4. प्रधान लिपिक	5	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक-वर्गीय	425-15-500-द० रो०-15-560-20-700 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
5. सहायक	11	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक-वर्गीय	425-15-530-द० रो०-15-560-20-600 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सहायकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो। स्थानान्तरण : राज्य सरकार में या भारत सरकार के किसी अन्य विभाग में समतुल्य पद धारण करने वाले किसी पदधारी के स्थानान्तरण द्वारा	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक—अध्यक्ष (2) मुख्य उप-विस्फोटक नियंत्रक—सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी —सदस्य (4) समूह 'ग' या समूह 'ख' का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है। ऐसे आशुलिपिकों में से जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष सेवा की हो	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक—अध्यक्ष (2) मुख्य उप-विस्फोटक नियंत्रक—सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी —सदस्य (4) समूह 'ग' या समूह 'ख' का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
6. उच्च श्रेणी लिपिक	30	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक-वर्गीय	330-10-380-द० रो०-12-500-द०रो०-15-560 रु०	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7. आशुलिपिक	13	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिक-वर्गीय	330-10-380-द० रो०-12-500-द० रो०-15-560 रु०	अचयन	25 वर्ष (1) सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। (2) प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। (3) परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य (2) टंकण में प्रति मिनट 35 शब्द और आशुलिपि (अंग्रेजी) में प्रति मिनट 100 शब्द की न्यूनतम गति रखता । वांछनीय : किसी सरकार में या प्रख्यात कारबार समुत्थान में आशुलिपिक स्टेनो टाइपिस्ट के रूप में कम से कम एक वर्ष का अनुभव हो।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा।	प्रोन्नति : निम्न श्रेणी लिपिक में से जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो। स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकार के उपयुक्त निम्न श्रेणी लिपिक जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष सेवा की हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक—अध्यक्ष (2) मुख्य उप-विस्फोटक नियंत्रक—सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी —सदस्य (4) समूह 'ग' या समूह 'ख' का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :— (1) मुख्य विस्फोटक नियंत्रक—अध्यक्ष (2) मुख्य उप-विस्फोटक नियंत्रक—सदस्य (3) प्रशासन अधिकारी—सदस्य (4) समूह 'ग' या समूह 'ख' का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. निम्न श्रेणी लिपिक	61	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	260-6-290-व०रो०-6-326-8-366-व०रो०-8-390-10-400 रु०	अधयन	18 से 25 वर्ष (1) सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। (2) प्रत्येक मामले में आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। (3) परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । (2) टंकण (अंग्रेजी) में प्रति मिनट 30 शब्द की न्यूनतम गति परन्तु (क) ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास उक्त अर्हताएं नहीं हैं इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकेगा कि वह उस वेतनमान में वेतन-वृद्धि पाने का या स्थायीयता या पुष्टि पाने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह टंकण में प्रति मिनट 30 शब्द की न्यूनतम गति प्राप्त नहीं कर लेता है । (ख) ऐसा विकलांग व्यक्ति जो लिपिकीय पद धारण करने के लिए अन्यथा अर्हित है किन्तु जिसके पास टंकण में उक्त अर्हता नहीं है, इस शर्त के अधीन नियुक्त किया जा सकता है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय से संलग्न चिकित्सा बोर्ड या जहां ऐसा चिकित्सा बोर्ड नहीं है वहां सिविल सर्जन यह प्रमाणित कर दे कि उक्त अपंग व्यक्ति टंकण कार्य करने की स्थिति में नहीं है ।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	10 प्रतिशत रिक्तियां विस्फोटक विभाग के नियमित स्थापन पर के समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरी जाएगी जो मैट्रिकुलेट है या समतुल्य अर्हताएं रखते हैं और जिन्होंने समूह 'घ' में 5 वर्ष सेवा की हो परीक्षा के लिए पात्रता की अधिकतम आयु 45 वर्ष है। (50 वर्ष अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए है) : परन्तु इस प्रक्रिया द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या किसी वर्ष में होने वाली निम्न श्रेणी लिपिकों की रिक्तियों के 10 प्रतिशत तक सीमित होगी और न भरी गई रिक्तियों को अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9. ड्राइवर	8	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय	260-6-326 द०रो०-8-350 रु०	अचयन	23 से 30 वर्ष (1) सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है। (2) प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। (3) परन्तु विहित अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से मिडिल स्कूल उत्तीर्ण। (2) मोटर चलाने में व्यावसायिक कुशलता, मोटर मैकेनिक की जानकारी, सामान्य चुस्ती और जिनके पास हल्के और भारी यान की चालक अनुज्ञप्ति हो और जिसे मोटर चलाने का 5 वर्ष का अनुभव हो। वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से माध्यमिक स्कूल-लिविंग प्रमाणपत्र।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	स्थानान्तरण : सरकारी कार्यालयों में समरूप/समतुल्य पदों पर कार्य कर रहे व्यक्ति में से और विभाग के ऐसे नियमित (समूह 'घ') कर्मचारियों में से जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित अर्हताएं हैं। मोटर चालन परीक्षा के माध्यम से।	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

[सं० 12(62)/71-एल आई (II)/एम आई]

एस० बी० सुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 12th October, 1978

G.S.R. 1287.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Works, Housing and Supply No. S&P II-48 (1)160, dated the 6th July, 1962, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of persons to Group C posts in the Department of Explosives, Ministry of Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Explosives (Group C Posts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into, or contracted. a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts :

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of perons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the members of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Superintendent	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 550-20-650-25-750.	Selection	Not applicable.	Not applicable.
2. Senior Chemical Assistant.	1	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 550-25-750-EB-30-900.	Selection	Not applicable.	Not applicable.
3. Junior Chemical Assistant.	6	General Central Services Group 'C' Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Non-Selection.	25 years Relaxable upto 25 years in case of Govt. Servant.	University Degree with Honours in Chemistry or in Industrial or applied chemistry with experience and aptitude for Inorganic Chemical analysis in a laboratory.

Weather age and qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation, transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitments
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years	By promotion failing which by transfer.	Promotion : From Head Clerks with 5 years' experience failing which from Assistants with 6 years' experience. Transfer : Transfer of a suitable official of an equivalent post in the Government or any other Department of the Government of India.	Group 'C' : Departmental Promotion Committee comprising : (1) Chief Controller of Explosives—Chairman. (2) Deputy Chief Controller of Explosives—Member (3) Administrative Officer—Member (4) A Group 'A' or Group 'B' Scheduled Caste/Scheduled Tribe Officer—Member.	Not applicable.
Not applicable.	2 years	By promotion.	Promotion : Junior Chemical Assistant with 5 years' service in the grade.	Group 'C' : Departmental Promotion Committee comprising : (1) Chief Controller of Explosives—Chairman. (2) Deputy Chief Controller of Explosives—Member (3) Administrative Officer—Member (4) Group 'A' or Group 'B' Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officer—Member.	Not applicable.
Not applicable	2 yeras	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Head Clerk	5	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700.	Selection	Not applicable.	Not applicable.
5. Assistant	11	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 425-15-530-EB-15-560-20-600.	Selection	Not applicable.	Not applicable.
6. Upper Division Clerk	30	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	Not applicable.	Not applicable.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer.	Promotion from assistants with 3 years' Service in the grade. Transfer : Transfer of a suitable official holding an equivalent post in the State Government or any other Department of the Government of India.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising: (1) Chief Controller of Explosives—Chairman (2) Deputy Chief Controller of Explosives —Member (3) Administrative Officer—Member. (4) A Group 'A' or Group 'B' Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officer —Member	Not applicable.
Not applicable	2 years	By promotion.	Promotion : From Upper Division Clerks with five years service in the grade/ stenographer with 6 years service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising : (1) Chief Controller of Explosives—Chairman. (2) Deputy Chief Controller of Explosives —Member. (3) Administrative Officer—Member. (4) A Group 'A' or 'B' Scheduled Castes/ Scheduled Tribes Officer—Member.	Not applicable
Not applicable	2 years	By promotion failing which by transfer.	Promotion : From Lower Division Clerks with 8 years service in the grade. Transfer : Suitable Lower Division Clerks of Central/State Government having 8 years Service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising : (1) Chief Controller of Explosives—Chairman. (2) Deputy Chief Controller of Explosives —Member. (3) Administrative Officer—Member. (4) A Group 'A' or Grou 'B' Scheduled Castes/Scheduled Tribes Officer—Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
7. Stenographer.	13	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Non-Selection	25 years : (1) Relaxable upto 35 yrs. in case of Govt. Servants. (2) The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which Employment Exchanges were asked to nominate candidates. (3) Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in favour of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes or other special category of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.	Essential : (1) Matriculation or equivalent. (2) should possess a minimum of 35 words per minute in typing and 100 words per minute in Shorthand (English). Desirable : Experience working for at least one year as Stenographer/ Stenotypist in a Government or business concern of repute.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment.	Not applicable	Not applicable	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
8. Lower Division Clerk.	61	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6 326-8-366-EB-8-390 10-400.	Non-Selection.	18 to 25 years. (1) Relaxable upto 35 yrs. in case of Government Servants. (2) The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which Employment Exchanges were asked to nominate candidates. (3) Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in favour of Scheduled Castes and Scheduled Tribes or other special category of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.	Essential : (1) Matriculation or equivalent. (2) Minimum speed of 30 words per minute in typing (English) provided that (a) A person not possessing the said qualification in typing may be appointed subject in the conditions that he will not be eligible for drawing increment in the pay scale or for quasi-permanency or for confirmation in the grade till he acquires the minimum speed of 30 words per minute in type-writing. (b) a physically handicapped person who is otherwise qualified to hold a clerical post but does not possess the said qualification in typing may be appointed subject to the conditions that the Medical Board attached to the special Employment Exchange for the handicapped or where there is no such Board, the Civil Surgeon certifies that the said handicapped person is not in fit condition to be able to type.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	10 % vacancies shall be filled from amongst the Group 'D' employees borne on regular establishment of Department of Explosives who are matriculates or equivalent qualifications and have rendered five years service in Group 'D' on the basis of competi tive examination, the maximum age limit for ellgibility for the examination being 45 years (50 years for the Scheduled Castes/ Schedule Tribes): Provided that the maximum number of persons to be recruited by the method shall be limited to 10% of he vacancies of Lower tDivision Clerks occuring in a year and unfilled vacancies shall not be carried over 90% by direct recruitment.	Not applicable	Not applicable.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
9. Driver.	8	General Central Service Group "C" Non-Gazetted Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Non-Selection	23 to 30 years. (1) Relaxable up to 35 years in case of Government servants (2) The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which Employment Exchanges were asked to nominate candidates. (3) Provided that the upper age limit prescribed may be relaxed in favour of Scheduled Caste and Schdedule Tribes or other special category of persons in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time.	Essential : Middle School pass from a recognised School. (2) Professional skill in driving, knowledge of Motor Mechanics, general smartness and possessing driving licence for light and heavy vehicles with at least 5 years experience in driving. Desirable : Secondary School Leaving Certificate from a Recognised University.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By transfer, failing which by direct recruitment.	Transfer : Persons working in similar/equivalent posts in Government Offices and through a test in Driving from amongst regular Group 'D' employees of the department possessing the qualifications as prescribed in column 7.	Not applicable.	Not applicable.

[No. 12(62/71-L1(II)/M.I.)]

S. B. SUBRAMANIAN, Dy. Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 1288.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (नए ऊर्जा स्रोत) पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग [मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (नए ऊर्जा स्रोत)] भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट है :—

4. निरर्हताएं:—वह व्यक्ति :—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति:—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा के शिथिल किए जाने और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (नए ऊर्जा स्रोत)	एक	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1500-60-1800-100-2000 रु०	लागू नहीं होता	45 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्डमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्ष द्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक: (1) भौतिकी/रसायन विज्ञान/अनुप्रयुक्त मैथेमेटिक्स में द्वितीय श्रेणी की मास्टर की उपाधि या इलेक्ट्रिकल/मेकेनिकल/रसायन इंजीनियरी में द्वितीय श्रेणी की उपाधि। (2) सौर ऊर्जा, वात शक्ति, ईंधन, सेल, भूताप-ऊर्जा, इत्यादि जैसे अरूढ़ ऊर्जा स्रोतों के विकास के क्षेत्र में किसी औद्योगिक/अनुसन्धान/शैक्षिक संस्थान में छह वर्ष का अनुसंधान/डिजाइन/विकास का अनुभव, जिसमें तीन वर्ष का अनुभव पर्यवेक्षकीय और निदेश देने की हैसियत में हो। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा से संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

1	2	3	4	5	6	7
						टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि उसके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। वांछनीय: (1) विशेषज्ञता के क्षेत्र में डाक्टरेट की उपाधि। (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नियोजन, कार्यक्रम विकास, मानीटरिंग और समन्वय में अनुभव।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं।	परीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जा सकता है	प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पावधि संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अन्तर्गत अल्पावधि संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, मान्यताप्राप्त अनुसंधान और विकास संगठनों के अधीन, सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी या 1100–1600 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर कम से कम पांच वर्ष की सेवा वाले अधिकारी जिनके पास स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं हों। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर चयन संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[एफ० सं० ए०-12018/8/77-प्रशा० 1]
एन०सी० चटर्जी, अवर सचिव

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi, the 12th October, 1978

G.S.R. 1288.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Scientific Officer (New Energy Sources) in the Department of Science and Technology, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Science and Technology [Principal Scientific Officer (New Energy Sources)] Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in column 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Principal Scientific Officer (New Energy Sources)	1	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 1500-60-1800-100-2000.	Not applicable	Not exceeding 45 years (Relaxable for Government servants). Note:—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: (i) Second Class Master's degree in Physics/Chemistry/Applied Mathematics or Second Class Degree in Electrical/Mechanical/Chemical Engineering. (ii) 6 years' research/design/development experience in an industrial research \ academic institution in the field of development of non-conventional energy sources like solar energy, wind power, fuel cells, Geo-thermal energy etc. of which at least 3 years' should have been in a supervisory and directing capacity. Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion for the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the

1	2	3	4	5	6	7
						Union Public Service Commission is of the opinion that *sufficient* number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: (i) Doctorate Degree in the field of specialisation. (ii) Experience in Science and Technology Planning, Programme development, Monitoring and coordination.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion deputation/transfer to be made.	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	By transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation (including short-term contract): Officers holding analogous posts or with at least 5 years' service in posts in the scale of Rs. 1100-1600 or equivalent under the Central, State Governments, Universities, Recognised Research and Development Organisations and possessing the qualifications prescribed for direct recru ts under Column 7. (Period of deputation/contract shall ordinarily not exceed 4 years).	Not applicable.	Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[No. A-12018/8/77 Admn. I]
N. C. CHATERJEE, Under Secy.

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1978

सा. का. नि 1289—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर तथा ग्राम योजना संगठन, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) भर्ती नियम, 1975 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नगर तथा ग्राम योजना संगठन, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) भर्ती (संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नगर तथा ग्राम योजना संगठन, ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) भर्ती नियम, 1975 में,—

(क) जहां कहीं भी (भूगोल) कोष्ठक और शब्द आए हों, उनका लोप किया जाएगा ;

(ख) नियम 2 में, "उक्त पद" शब्दों के स्थान पर "उक्त पदों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) अनुसूची में,

(1) स्तम्भ 1 में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, "1 ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूगोल) के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
2. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अर्थशास्त्र और अर्थमिति	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित	1100-50-1600रु०	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी।	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से (सांख्यिकी सहित) अर्थशास्त्र में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। (2) अध्ययन क्षेत्र में संचालन और विकास समस्याओं तथा उनके मूल्यांकन के विश्लेषण या योजना और विकास समस्याओं के मूल अनुसंधान में 5 वर्ष का अनुभव। (3) अर्थमिति का ज्ञान। टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं। वांछनीय: (1) अर्थशास्त्र में डाक्टरेट। (2) विकास माडलों को अग्रसर करने वाले अर्थशास्त्र माडलों और अर्थमिति विश्लेषण से सुपरिचित।

8	9	10	11	12	13
आयु—नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : अनुसंधान अधिकारी, जिन्होंने पद पर नियमित आधार नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : भारतीय आर्थिक सेवा श्रेणी 3 के अधिकारी ; या उस सेवा के श्रेणी 4 के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्ष सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	1. संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य—अध्यक्ष 2 नगर तथा ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली के कार्य भारसाधक निर्माण और आवास मंत्रालय का संयुक्त सचिव—सदस्य। 3. संयुक्त सचिव (निर्माण) निर्माण और आवास मंत्रालय —सदस्य 4. मुख्य योजनाकार, नगर तथा ग्राम योजना संगठन नई दिल्ली—सदस्य।	प्रोन्नति और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

1	2	3	4	5	6	7
3. ज्येष्ठ अनुसंधान अधिकारी (सांख्यिकी)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित	1100-50-1600रु०	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने की निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्ष द्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी	आवश्यक : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र सहित सांख्यिकी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य । (2) आर्थिक, सामाजिक और जन-सांख्यिकीय समस्याओं से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े के संग्रहण, सारणीयन और विश्लेषण में 5 वर्ष का अनुभव । (3) अभिकलन (कमप्यूटराइजेशन और अभिकलक प्रोग्रामन ज्ञान । टिप्पण 1. अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2. अनुभव सम्बन्धी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के मामलों में उस दशा में शिथिल की जा सकती है, जब कि चयन के किसी प्रक्रम में संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो कि इनके लिए आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं । वांछनीय : (1) सांख्यिकी में डाक्टरेट (2) पद्धति (सिस्टम) और पद्धति विश्लेषण का ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : अनुसंधान अधिकारी, जिन्होंने पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की हो। प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : भारतीय आर्थिक सेवा श्रेणी 3 के अधिकारी ; या उस सेवा के श्रेणी 4 के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में 4 वर्ष सेवा की हो। (प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	1. संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य—अध्यक्ष 2. नगर तथा ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली के कार्य भारसाधक निर्माण और आवास मंत्रालय का संयुक्त सचिव—सदस्य । 3. संयुक्त सचिव (निर्माण) निर्माण और आवास मंत्रालय—सदस्य । 4. मुख्य योजनाकार, नगर तथा ग्राम योजना संगठन, नई दिल्ली—सदस्य	प्रोन्नति और सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[सं० ए० 42018/3/74-यू० डी० II/III डी०]

के० के० सक्सेना, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

New Delhi, the 18th September, 1978

G.S.R. 1289.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Town and Country Planning Organisation, Senior Research Officer (Geography) Recruitment Rules, 1975, namely :

1. (1) These rules may be called Town and Country Planing Organisation, Senior Research Officer (Geography) Recruitment (Amendment) Rules 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Town and Country Planning Organisation Senior Research Officer (Geography) Recruitment Rules, 1975 :—

(a) in rule 2, for the words "said post" the words "said occur, shall be omitted;

(b) in rule 2, for the words "said post" the words "said posts" shall be substituted;

(c) in the Schedule,

(i) in column 1, for the existing entry the entry "1. Senior Research Officer (Geography)" shall be substituted;

(ii) after the post, Senior Research Officer (Geography), and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6	7
2. Senior Research Officer (Economics and Econometrics)	2	General Central Service, Group 'A' Gazetted.	Rs. 1100-50-1600.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's Degree in Economics (with statistics) of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience in conducting field studies and analysis of development problems and their evaluation or doing original research on planning and development problems. (iii) Knowledge of Econometrics. Note 1. :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well-qualified. Note 2 :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Doctorate in Economics. (ii) Familiarity with Economics models and Econometric analysis leading to development models.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	50% by promotion, failing which by transfer on deputation and 50% by direct recruitment.	Promotion : Research Officers with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers of the Indian Economic Service Grade III; or Grade IV officers of that service with 4 years' service in the grade. (Period of deputation shall ordinarily not exceed 3 years.	1. Member, U.P.S.C. —Chairman 2. Joint Secretary in the Ministry of Works and Housing in-charge of the work of the Town & Country Planning Organisation, New Delhi —Member 3. Joint Secretary (Works) of the Ministry of Works and Housing —Member. 4. The Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, Delhi —Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion and direct recruitment.

1	2	3	4	5	6	7
3. Senior Research Officer (Statistics)	1	General Central Service Group 'A', Gazetted.	Rs. 1100-50-1600.	Selection	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential : (i) Master's degree in Statistics (with Economics) of a recognised University or equivalent. (ii) 5 years' experience in the collection, tabulation and analysis of statistical data relating to economic, social and demographic problems. (iii) Knowledge of computerisation and computer programming. Note 1 :—Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well-qualified. Note 2 :—The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of case the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable : (i) Doctorate in Statistics. (ii) Knowledge of systems and systems analysis.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational Qualifications : Yes	2 years	By promotion, failing which by transfer on deputation and failing both by direct recruitment.	Promotion : Research Officers with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis. Transfer on deputation : Officers of the Indian Statistical Service Grade III, or Grade IV officers of that service with 4 year's service in the grade. (Period of deputation shall not exceed 3 years).	1. Member, U.P.S.C.—Chairman. 2. Joint Secretary in the Ministry of Works & Housing in-charge of the work of the Town & Country Planning Organisation, New Delhi—Member. 3. Joint Secretary (Works) of the Ministry of Works & Housing—Member. 4. The Chief Planner, Town and Country Planning Organisation, New Delhi—Member.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making promotion and direct recruitment.

[No. A-42018/3/74-UD II/III-B]

K. K. SAXENA, Desk Officer

(सकर्म प्रभाग)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1978

सा.का.नि. 1290.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय की, केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा वर्ग 1, भर्ती नियमों के संशोधन से संबंधित अधिसूचना सं. 692 तारीख 15 मई, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, नियम 1 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) ये 1 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्रीय बिजली इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ए' भर्ती नियमों का संशोधन एस. आर. ओ. 692 दिनांक 27 मई, 1978 द्वारा किया गया था उस में अन्य परिवर्तनों के साथ-साथ यह परिवर्तन भी किया गया था कि सेवा को केन्द्रीय बिजली तथा मैकेनिकल इंजीनियरी सेवा ग्रुप 'ए' का नया नाम दिया गया है। अब यह प्रस्ताव है कि उपर्युक्त संशोधन को 15 अप्रैल, 1978 से लागू किया जाए, जिस दिन से संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त इंजीनियरी सेवा परीक्षा, 1978 के लिए नियम प्रकाशित किए थे। उक्त संशोधन को 15 अप्रैल, 1978 से लागू करने का प्रयोजन यह है कि सरकार इस सेवा के लिए मैकेनिकल इंजीनियरी की अर्हता वाले उम्मीदारों की भर्ती कर सके। यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त संशोधन को पिछली तारीख से लागू करने पर किसी भी व्यक्ति पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा।

[सं. 22011(ए)(4)/75-ई. डब्ल्यू.-1]

एच. भट्टाचार्य, अवर सचिव

(Works Division)

New Delhi, the 5th October, 1978

G.S.R. 1290.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Works and Housing No. GSR 692, dated the 15th May, 1978, relating to the amendment to the Central Electrical Engineering Service, Class I, Recruitment Rules, namely :—

In the said notification, for sub-rule (2) of rule 1, the following sub-rule shall be substituted namely :—

"(2) They shall be deemed to have come into force on 1st day of April 1978."

EXPLANATORY MEMORANDUM

An amendment of Central Electrical Engineers Service, Group 'A' Recruitment Rules was issued vide S.R.O. 692 dated 27th May, 1978 in which among other changes, the service has been renamed as "Central Electrical & Mechanical Engineering Service Group 'A'. It is now proposed to give effect to the said amendment with effect from 15th April, 1978, the date on which the Union Public Service Commission had published the Rules for the combined Engineering Services, Examination, 1978. The purpose of giving effect to the said amendment from 15th April 1978 is to enable the Government to recruit candidates with qualification in Mechanical Engineering to this service. It is certified that no one is adversely affected by giving retrospective effect to the said amendment.

[No. 22011/(A)(4)/75-E.W-1]

H. BHATTACHARYA, Under Secy

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 1978

सा. का. नि. 1291.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में आई.बी.एम. सार्टर के पद पर भर्ती की पद्धति विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय आई.बी.एम. सार्टर भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे संलग्न वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति : आयु सीमा, अर्हताएं, आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और इन पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक था समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लिपिबद्ध करके, उन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

नाम पद	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अनुसूची चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
आई० बी० एम० सार्टर	1	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' (अनुसचिवीय अराजपत्रित	330-10-380 द० रो०-12-500 द० रो०-15-560 रुपये	लागू नहीं होता	22 से 30 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट) नोट : भर्ती नियमों के स्तम्भ 6 में वर्णित आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तिथि वह अन्तिम तिथि होगी जिस तक भारत में रहने वाले (अण्डमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपों के अलावा) उम्मीदवारों से आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। प्रत्येक मामले में आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथ वह अन्तिम तिथ होगी जिस तक रोजगार कार्यालय को उम्मीदवार नामजद करने को कहा जाए।	अनिवार्य (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय या बोर्ड से उच्चतर माध्यमिक या समतुल्य। (2) कलेक्टर, रिप्रोडक्यूसर, सार्टर आदि के संचालन का लगभग 2 वर्ष का अनुभव—आई० बी० एम० मशीनों पर उपर्युक्त अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता। वांछित : भारतीय सांख्यिकीय संस्थान या किसी ऐसे अन्य मान्यता प्राप्त संस्था में मेकेनिक्स सारणीकरण में डिप्लोमा

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ स्थानान्तरण किया जायेगा	प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जायेगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	2 वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	(1) उप निवेशक वितरण शाखा के प्रभारी अधिकारी—अध्यक्ष (2) किसी एक मीडिया यूनिट के उप निवेशक (प्रशासन) के स्तर के अधिकारी—सदस्य (3) वितरण प्रबन्धक—सदस्य (4) विज्ञापन और दृश्य प्रचार समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का हो—सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा० सं० ए० 12018/4/78-एस्ट / बी० एस० (ए०)]

सुरेन्द्र कुमार शर्मा, उप सचिव

MINISTRY OF BROADCASTING

New Delhi the 30th September, 1978

G.S.R. 1291.—In exercise of the powers ionferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of I.B.M. Sorter in the Directorate of Advertising and Visual Publicity, namely :—

1. Short Title and commencement.—(1) These rules may be called the Directorate of Advertising and Visual Publicity (I.B.M. Sorter) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the post, its classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection Post or Non-Selection Post	Age for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
I.B.M. Sorter	1	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 330-10-380-EB-12-500-EB-15-560.	Not Applicable	Between 22 to 30 years (Relaxable upto 35 years for Government servants. Note: The crucial date for determining the age limit mentioned in col. 6 of the Recruitment Rules will in each case, be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than Andaman or Nicobar Islands and Lakshadweep). In respect of posts, the appointment to which are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit will, in such case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.	Essential : 1. Higher Secondary or its equivalent from a recognised University or Board. 2. About 2 years experience of operating of Collator, Reproducer, Sorter etc., preferably of IBM machines. Desirable : 1. Diploma from the Indian Statistical Institute or any such recognised institution in mechanism tabulation.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Period of probation if any	Method of recrt. whether by direct recrt. or by promotion or by deputation/ transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recrt. by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	By direct recruitment	Not applicable	1. Deputy Director incharge of Distribution Wing—Chairman. 2. Officer of the rank of Deputy Director (Admn.) from one of the Media Units—Member. 3. Distribution Manager —Member 4. One Group 'B' (Gazetted) Officer of Directorate of Advertising & Visual Publicity belonging to SC or ST—Member	Not applicable

[File No. A. 12018/4/78-Est/DS(A)]

SURENDRA KUMAR SHARMA, Dy. Secy.

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1978

सा०का०नि० 1292.—रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 1969, की अनुसूची के पैरा 2 के उपपैरा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, रेल मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) ये विनियम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) संशोधन विनियम, 1978 कहलायेंगे ।

(2) ये 12 अगस्त, 1978 से प्रवृत्त, हुए माने जायेंगे ।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 के विनियम 4 में शर्त (1) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि यदि वह रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक ग्रेड या रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'सी' में प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा भी शामिल है, के आधार पर नियुक्त हुआ हो तो ऐसी परीक्षा निर्णायक तारीख से 5 वर्ष से अन्यून अवधि पूर्व हुई हो और उसके द्वारा उस ग्रेड में 4 वर्ष से अन्यून अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर ली गयी हो ।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम 1978, 12-8-1978 को प्रवृत्त होंगे । संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उसके द्वारा यथा अनुमोदित रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम, 1972 में संशोधनार्थ अधिसूचना का मसौदा 12-8-1978 से पहले प्रकाशित कर दिया जाए क्योंकि आयोग द्वारा इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन सूचना 12-8-1978 को जारी कर दी गयी है । चूंकि उक्त संशोधन विनियम, 1978 भारत के राजपत्र में 12-8-1978 से पूर्व प्रकाशित नहीं किया जा सके, अतः रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम 1978, जिसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जा रहा है, को 12-8-1978 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू करना आवश्यक हो गया है । रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम, 1978 को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ लागू करने से किसी के हितों में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[सं० ई आर बी 1/78/37/2]

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 5th October, 1978

G.S.R. 1292.—In pursuance of sub-paragraph (2) of paragraph 2 of the Schedule to the Railway Board Secretariat Service Rules, 1969, the Central Government in the Ministry of Railways, in consultation with the Union Public Service Commission, hereby makes the following regulations further to amend the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations, 1972, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Amendment Regulations, 1978.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 12th August, 1978.

2. In regulation 4 of the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations, 1972, for the first proviso to condition (1), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that if he had been appointed to the Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Service or Grade 'C' of the Railway Board Secretariat, Stenographers' Service on the result of the competitive examination including a Limited Departmental Competitive Examination, such an examination should have been held not less than five years before the

crucial date and he should have rendered not less than four years approved and continuous service in that Grade."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) (Amendment) Regulations 1978 shall come into force on the 12-8-1978. The Union Public Service Commission has advised that the draft notification amending the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) Regulations 1972 as approved by them may be published before 12-8-1978, as the Commission has issued advertisement notice on 12-8-1978, inviting the applications for the examination. As it was not possible to publish the said Amendment Regulations 1978 in the Gazette of India before 12-8-1978, a retrospective effect to the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) (Amendment) Regulations, 1978 from 12-8-78 which is being published in the Gazette has become necessary. The interests of no one would be prejudicially affected by reason of the retrospective effect being given to the Railway Board Secretariat Service (Section Officers' Grade Departmental Competitive Examination) (Amendment) Regulations, 1978.

[No. ERBI/78/37/2]

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 1293.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल रेड टैरिफ नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) इन नियमों का नाम रेल रेड टैरिफ (छठा संशोधन) नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(क) रेल रेड टैरिफ नियम, 1960 में अध्याय 4 में, सारणी 4 के अन्त में स्तम्भ 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में 'जिंक डस्ट या टुटी पाउडर' मद के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"बैंजोएल पेराक्साइड बैंजोएल पेराक्साइड पेस्ट	(1) कांच की बोतलों में जब मात्रा 1 कि० ग्रा० से अधिक न हो। (2) प्लास्टिक कोटिंग की अस्तरवाले किसी आधान में जिसकी पदार्थ पर प्रतिक्रिया न हो।"	—	—	—	—

(ख) उक्त नियमों में, सारणी 5 में अध्याय 5 के अन्त में स्तंभ 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों में "हाइड्रोजन पेराक्साइड घोल जो 40 वाल्यूम शक्ति से अधिक किन्तु 132 वाल्यूम से (भार में 35%) कम" मद के पश्चात् निम्नलिखित मद और उससे संबंद्ध प्रविष्टियां अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6
"लारोमल पेराक्साइड एम० ई० के० पैराक्साइड	(1) कांच की बोतलों में जब मात्रा 1 कि० ग्रा० से अधिक न हो। (2) प्लास्टिक कोटिंग की अस्तर वाले किसी आधान में, जिसकी पदार्थ पर प्रतिक्रिया न हो"।	—	—	—	—

[सं० 77 टी० जी० 11/21/4]

पी० एन० मोहिले, सचिव

New Delhi, the 9th October, 1978

G.S.R. 1293:—In exercise of the powers conferred by section 47 of the Indian Railway Act, 1890 (9 of 1890), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railways Red Tariff Rules, 1960, namely :—

(1) These rules may be called the Railway Red Tariff (Sixth Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(a) In the Railway Red Tariff Rules, 1960 under Column I in Table IV, in Chapter IV, after the item "Zinc Dust or Tutty powder" the following items and entries relating thereto shall be inserted namely :—

1	2	3	4	5	6
"Benzoyl Peroxide	(i) In glass bottles when quantity is not more than 1 Kg.	—	—	—	—
Benzoyl Peroxide Paste	(ii) In any container lined with a plastic coating non-reactive to the material."	—	—	—	—

(b) Under Column I, in Table V, Chapter V after the item "Hydrogen Peroxide Solution exceeding 40 volumes strength but not exceeding 132 volumes (35% by weight)" the following items and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

1	2	3	4	5	6
"Lauroyl Peroxide	(i) In glass bottles when quantity is not more than 1 Kg.	—	—	—	—
M.E.K. Peroxide	(ii) In any container lined with a plastic coating non-reactive to the material."				

[No. 77-TG.V/21/4]
P. N. MOHILE, Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 1978

द्वीप स्तम्भ और द्वीप पोत

सा. का. नि. 1294.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए द्वीप स्तम्भ और द्वीप पोत विभाग में कतिपय समूह 'ग' और समूह 'घ' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम द्वीप स्तम्भ और द्वीप पोत विभाग (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1978 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट/पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि :—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु सीधे भर्ती के लिये उक्त अनुसूची के स्तम्भ 6 में विनिर्दिष्ट अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।

5. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
1. भण्डार सहायक	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित लिपिकवर्गीय	260-6-290-द० रो०-6-326-8-366-द० रो०-8-390-10-400 रु०	लागू नहीं होता	25 वर्ष (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	मैट्रिकुलेशन या सन्तुल्य और टंकण में सक्षमता (प्रति मिनट 30 शब्द)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परामर्श किया जाएगा।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
2. बढ़ई	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	260-6-326-द० रो०-8-350 रु०	अचयन	20 वर्ष और 30 वर्ष के बीच टिप्पण : अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों	(i) मिडिल स्कूल स्तर। (ii) बढ़ई के विभिन्न प्रकार के औजारों के नाम और उनका प्रयोग जानना चाहिए तथा उन्हें तीक्ष्ण करने में समर्थ होना चाहिए; (iii) निम्नलिखित कार्यों का अनुभव हो; (1) काम में फुटा और गोनिया का उपयोग;

1	2	3	4	5	6	7
					के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	(2) रेखांक, चिह्न, पताम बनाना और छिद्रवनाक चूल सालना तथा अन्य साधारण जोड़ लगाना एवं साधारण रेखा-चित्र और आरेखन के लिए काम करना; (3) काष्ठ कृतियों को जोड़ने के लिए सरेस बनाना और उसका उपयोग करना; (4) फ्रेम, धनु कोष्टक दरवाजे और खिड़कियां बनाना और उन्हें फ्रेमों में लगाना; (5) शीशा पटले और चहरों को अपेक्षित आकार में काटना; (6) मध्यम वर्ग फर्नीचर की वस्तुएं बनाना या मरम्मत करना; (7) विभिन्न कामों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की लकड़ी के चयन का अच्छा ज्ञान; (8) विभिन्न कामों के लिए अपेक्षित पदार्थों का अनुमानित प्राक्कलन तैयार करना; (9) बढ़िया फिनिश के साथ ठीक आकार के फर्नीचर तैयार करना; (10) लकड़ी की कैंची बनाना और समज्जित करना तथा दाब में लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ना; (11) ढलाई कारखाने के लिए साधारण नमूना तैयार करना।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अहताएं—नहीं उन्हें विभागीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।	2 वर्ष	60 2/3 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 33 1/2 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: सहायक बढ़ई जिसने अपनी श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
3 राज	2 साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह 'ग', अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	260-6-326-द० रो०-8-350 रु०	अध्ययन	20 वर्ष और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 38 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी	आवश्यक : 1. मिडिल स्कूल स्तर। 2 निम्नलिखित कार्यों का अनुभव :— (i) व्यवसाय के औजारों का उपयोग; (ii) साधारण चिनाई में ईंट लगाना; (iii) पत्थरों की चिनाई की दशा में भरत (हियर्टिंग) भरना; (iv) पाइप के ऊपर ऊंचाई पर काम करना; (v) दीवारों में छेद करना; (vi) दीवार और फर्श पर चिप्पी लगाने का काम करना; (vii) आर० सी० सी० कार्य के लिए साधारण केन्द्रण तैयार करना; (viii) प्लास्टर और टीप लगाना; (ix) नींव अंकित करना और टेप और रूल से कार्य उपवर्णित करना; (x) पम्प और अन्य मशीनरी के लिए नींव तैयार करना; (xi) और उच्च रेखांकों के अध्ययन की क्षमता; (xii) पत्थरों और ईंटों को गढ़ना और उन्हें प्रथम वर्ग के कार्य में सैट करना (xiii) विभिन्न प्रकार के चुनाई और मेहराबों में सभी प्रकार की चिनाई कार्य करने की योग्यता, (xiv) सभी प्रकार के आर० सी०सी० कार्य करना; (xv) सीमेन्ट का फर्श बनाना और पहले से डाली गई सीमेन्ट की टाइलों और श्वेत रमक की टाइलों को फर्शों और डेडो में लगाना; (xvi) जोड़ों को प्लास्टर करने और रंगोई कार्य के लिए चूना और सीमेन्ट विभिन्न प्रकार के गारों का और विभिन्न कार्यों के लिए गारा तैयार करने का और प्लास्टर और टीप लगाने के कार्य का काम चलाऊ ज्ञान।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं नहीं उन्हें विभागीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।	दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : सहायक राज से जिसने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो।	महानिदेशक--अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी--सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग--सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक--सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
4. लुहार	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अलिपिकवर्गीय	260-6-326-द० रो०-6-350 रु०	अचयन	20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों दशा में शिथिल की करके 35 वर्ष की जा सकती है)। टिप्पण : अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक : 1. मिडिल स्कूल स्तर। 2. जिन्हें निम्नलिखित कार्यों का अनुभव हो :— (i) साधारण उपयोग में आने वाले औजारों और साधित्रों का उपयोग और उनका रख-रखाव; (ii) घर्षण गति औजार– (iii) ठंडी और गर्म धातुओं को काटने के लिए ठंडी छैनी का उपयोग; (iv) भट्ठियों में अग्नि जलाना और उस पर नियंत्रण रखना; (v) लुहारी से संबंधी कार्यों के लिए सही कार्यकरण तापमान की जानकारी; (vi) रिवेट लगाना, छि‌द्रण फोर्जन और छड़ों, कोणों एगर-टिरीन को सीधे आकार में मोड़ने में समर्थ होना; (vii) पाइपों का मोड़न; (vii) अपेक्षित आकार और रूप के प्रबलीकरण के लिए मृदु इस्पात की छड़ों को ठंडा मोड़ने में और उन्हें ग्रिड बनाने में रखने में समर्थ होना चाहिए। (ix) औजारों को खुली आग पर कठोरित करने, पानी चढ़ाने और तापानुशीलीत करने में समर्थ होना चाहिए। (x) पर्यासन भंजन कर्ण-अतिण प्रहृज जोड़ लगाने और वेलडन का ज्ञान; (xi) हाथ और वातीय औजारों से सोलेडरिंग और ब्रीजन करना तथा रिवेट लगाना" (xii) चिह्नित आकारों के साथ साधारण रेखाचित्र और रेखांक पढ़ने तथा जहां रेखा-चित्रों का दिया जाने हों वहां कार्यों के लिए अपेक्षित सामग्री का प्राक्कलन तैयार करना।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं उन्हें विभागीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।	2 वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : सहायक लुहारों से, जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 5 वर्ष सेवा की हो।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीप पोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
5. ड्राइवर (ट्रक)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग' अराजपत्रित, अनिपिकवर्गीय	260-6-326-द० रो०-8-380 रु०	लागू नहीं होता	26 और 35 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है) टिप्पण : अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक : भारी ड्यूटी ट्रक को चलाने के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति और भारी मोटर यानों को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव, पढ़ने और लिखने में समर्थ होना चाहिए और प्रादेशिक भाषा के अलावा हिन्दी, अंग्रेजी का कुछ ज्ञान। वांछनीय : आठवीं स्तर उत्तीर्ण

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हां	2 वर्ष	समूह ग' के कर्मचारियों से स्थानान्तरण द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	स्थानान्तरण : दीप स्तम्भ और दीप पोत विभाग के समूह ग' के कर्मचारियों से स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास स्तम्भ 7 में विहित अपेक्षित अर्हताएं हों।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीप पोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
6. सहायक बढ़ई	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित	210-4-226-द० रो० 4-250-द० रो०-5-290 रु०	अचयन	20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है)। टिप्पण : अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक I. प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त सरल हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता। II. बढ़ई के विभिन्न प्रकार के औजारों के नाम और उनका उपयोग जानना चाहिए और उन्हें तीक्ष्ण करने में समर्थ होना चाहिए। III. निम्नलिखित कार्यों का अनुभव :— (i) काम में फुटा और गोलिया का उपयोग; (ii) रेखांक चिह्न, पताम बनाना और छिद्रबनाक चूल सालना तथा अन्य साधारण जोड़ लगाना एवं साधारण रेखाचित्र और आरेखन के लिए काम करना; (iii) काष्ठ कृतियों को जोड़ने के लिए सरेस बनाना और उसका उपयोग करना; (iv) फ्रेम, अनु:कोष्ठक दरवाजे और खिड़कियां बनाना और उन्हें फ्रेमों में लगाना; (v) शीसा पटले और चद्दरों को अपेक्षित आकार में काटना; (vi) मध्यम वर्ग फर्नीचर की वस्तुएं बनाना या मरम्मत करना; (vii) साधारण रेखाचित्रों और रेखांकों को पढ़ना और निर्वचन करना।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं उन्हें विभागीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।	2 वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : मजदूर काडर से जिन्होंने बढ़ई / सहायक बढ़ई के साथ कम से कम 3 वर्ष काम किया हो। स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों से समान या समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जिसके पास अपेक्षित अर्हताएं हों।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीप पोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
7. सहायक राज	4	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित	210-4-226-द० रो०-4-250-व० रो०-5-290 रु०	अचयन	20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है) टिप्पण : अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	आवश्यक I. प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त सरल हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता। II. व्यवसाय (ट्रेड) में सामान्यतः प्रयोग में आने वाले औजारों के उपयोग में समर्थ होना चाहिए। III. निम्नलिखित कार्य का अनुभव :— (i) साधारण चुनाई में ईंटें लगाना; (ii) पत्थर की चिनाई में भरत (हियर्टिंग) भरना; (iii) पाइप के ऊपर ऊंचाई पर काम करना; (iv) दीवारों में छेद करना; (v) दीवारों और फर्शों पर चिप्पी लगाने का काम करना; (vi) प्लास्टर और टीप लगाना; (vii) साधारण रेखांकों का पढ़ना।

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : नहीं उन्हें विभागीय व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।	2 वर्ष	प्रोन्नति : जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : मजदूरों के काडर से जिन्होंने राज/सहायक राज के साथ कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में समान या समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिवेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीप पोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
8. सहायक लुहार	3	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित	210-4-226-व०रो० 4-250-व०रो०-5-290 रु०	चयन	20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है) अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य विशेष प्रवर्गों के	आवश्यक : I. प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त सरल हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की योग्यता। II. लुहार के व्यवसाय में औजारों और साधित्रों के उपयोग और रख-रखाव में समर्थ होना चाहिए। III. निम्नलिखित कार्यों का अनुभव रखना चाहिए: (i) घर्षण गति औजार ; (ii) जब धातु टेढ़ी और गर्म हो तो उन्हें काटने में ठंडी छेनी का उपयोग।

1	2	3	4	5	6	7
					अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	(iii) भट्टी मे अग्नि जलाना और उस पर नियंत्रण रखना। (iv) लुहारी से संबंधित कार्यों के लिये सही कार्य करना तापमान की जानकारी और छिद्रण फोर्जन और छड़ा, कोणों और टिरोन को सीधा आकारों में मोर्डन कार्य करना सभी प्रकार के रिवेट लगाना। (v) अपेक्षित आकार और रूप के प्रबलीकरण के लिये मृदु इस्पात को छेड़ों के ठंडा मोड़ने में और उन्हें थिड बनाये रखने में समर्थ होना चाहिए।

8	9	10	11	12	13
आयु-नहीं, शैक्षिक अर्हताएं—हां	दो वर्ष	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति मजदूरों के काडर से जिन्होंने लुहार/सहायक लुहार के साथ कम से कम 3 वर्ष की सेवा की हो। स्थानान्तरण केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में समान या समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जिसके पास अपेक्षित अर्हताएं हों ।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
9 सहायक चित्रकार (पेन्टर)	1	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित	210-4-226-द०रो०-4-250-द०रो०-5-290 रु०	अचयन	20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है) अधिकतम आयु सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी	आवश्यक : I. प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त सरल हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ने और लिखने मे समर्थ होना चाहिए (II) पुरानी रंजित सतहों को साफ करने के विभिन्न साधनों का ज्ञान (III) पुट्टों और मानक प्राइमरी का प्रयोग जानना चाहिए। (IV) निम्नलिखित कार्यों का अनुभव होना चाहिए । (i) किसी दिए गए रंग (शेड) के मिश्रण और मेल करने तथा कार्यों के लिये अपेक्षित मात्राओं का ज्ञान। (ii) ब्रश से रंग करना और रंगों के विभिन्न कोटों के क्रम को जानना; (iii) एक भाषा में अक्षर लेखन

8	9	10	11	12	13
आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं—हां	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति: मजदूरों के काडर में जिन्होंने सहायक चित्रकार के साथ कम से कम 3 वर्ष काम किया हो । स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकार के अन्य कार्यालयों में समान या समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे ऐसे व्यक्तियों से जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों ।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी— सदस्य सचिव उपनिदेशक केन्द्रीय जल आयोग —सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
10 मेट	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित	200-3-206-4-234 द०रो०-4-250 रु०	अचयन	20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है) । अधिकतम आयु—सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी) ।	प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी भाषा को पढ़ने और लिखने की योग्यता ।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : मजदूरों के काडर से जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो । स्थानान्तरण: केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणियों में कार्य कर रहे व्यक्तियों में से जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं हों ।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीपस्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
11 क्लीनर	2	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित	200-3-206-4-234- अचयन द०रो०-4-250 रु०		25 वर्ष (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है)। टिप्पणी :—अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी	प्रादेशिक भाषा के अतिरिक्त हिन्दी पढ़ने और लिखने की योग्यता
12 नाविक	4	साधारण केन्द्रीय सेवा अराजपत्रित	200-3-206-4-234- अचयन द०रो०-4-250 रु०		20 और 30 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है)। अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी।	तैरना जानना चाहिए, रडर को नियमित करने की योग्यता, लहरों मौसम और हवा के ज्ञान, लाइफ जैकेट का प्रयोग करने की जानकारी समूह में जाने का 2 वर्ष का अनुभव।

8	9	10	11	12	13
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : मजदूरों के काडर से जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम 3 वर्ष सेवा की हो। स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में समकक्ष या समतुल्य श्रेणियों में कार्य कर रहे व्यक्तियों में से जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीप स्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता
नहीं	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे सहायक नाविक में से ऐसे जिसे 3 वर्ष का अनुभव हो। स्थानान्तरण : केन्द्रीय या राज्य सरकारों के अन्य कार्यालयों में समरूप या समतुल्य श्रेणी में कार्य कर रहे व्यक्तियों में से जिनके पास अपेक्षित अर्हताएं हो।	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीपस्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

1	2	3	4	5	6	7
13 सहायक नाविक	12	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	30 (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है)। अधिकतम आयु-सीमा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी	तैरना आना चाहिए और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा सागर-गामी नौकाओं को खेने और हस्तन में कुशल होना चाहिए।
14 मजदूर चौकीदार/ मजदूर	9 38	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराज-पत्रित	196-3-220-द०रो०-3-232 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष (सरकारी सेवकों की दशा में शिथिल करके 35 वर्ष की जा सकती है)। अधिकतम आयु-सीमा, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के मामले में शिथिल की जा सकेगी)।	अकुशल कार्यों के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। वांछनीय : तैरना।

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होना	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीपस्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	महानिदेशक—अध्यक्ष प्रशासन अधिकारी—सदस्य सचिव उपनिदेशक, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य दीपस्तम्भ तथा दीपपोत का निदेशक—सहयोजित सदस्य	लागू नहीं होता

[फा०सं० 315/74-प्रशा०]

के० आर० बोस, महानिदेशक

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 20th September, 1978

LIGHTHOUSES AND LIGHTSHIPS

G.S.R. 1294.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to certain Group 'C' and Group 'D' posts in the Department of Lighthouses and Lightships, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Lighthouses and Lightships (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application : These rules shall apply to the posts as specified in column 1 of the Scheduled annexed hereto.

3. Number of posts, classification and scales of pay.—The number of the said posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid :

Provided that the upper age limit specified in column 6 of the said Schedule for direct recruitment may be relaxed in the case of Scheduled castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation regarding age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Store Assistant	1	General Central Service Group C Non-Gazetted Ministerial.	Rs. 260-6-290-EB-6-326-8-366-EB-8-390-10-400.	Not applicable.	25 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note : The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Matriculation or equivalent with proficiency in typewriting (30 W.P.M.)

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer, grade from which promotion to be made	If a D.P.C. exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable.	2 years.	Direct recruitment.	Not applicable.	Director General — Chairman. Administrative Officer— Member-Secretary. Deputy Director, Central Water Commission — Member. Director of Light-houses and Lightships. — Co-opted Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
2. Carpenter	3	General Central Service Group C Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Non-selection.	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note :— The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Essential :— I. Middle School Standard. II. Must know the name and use of different types of Carpenter's tools and be able to sharpen them. III. possess experience in the following jobs: (i) Use of foot rule and square at work; (ii) Plan, mark, make rebates and mortises, tennons and other simple joints and work from simple sketches and drawings; (iii) Prepare and use glue for joining wood work; (iv) Make frames and Braced doors and windows sashes and hang them to their frames; (v) Cut glass panes and sheets to required sizes; (vi) Prepare or repair articles of medium class furniture; (vii) Fair knowledge of various kinds of timber for selection to suit different jobs; (viii) Prepare approximate estimates of materials required for different jobs; (ix) Prepare furniture in accurate dimensions with fine finish; (x) Prepare and assemble timber trusses and join timber pieces in tension; (xi) Prepare simple pattern for foundry.

8	9	10	11	12	13
Age—No Educational qualification—No they have to qualify in Departmental Trade Test.	2 years.	66⅔% by Promotion and 33⅓% by direct recruitment.	Promotion:— From Assistant Carpenter with a minimum period of 5 years service in the grade.	Director General — Chairman. Administrative Officer — Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
3. Mason	2	General Central Service Group C Non-Gazetted Non-Ministerial.	Rs. 260-6-326-EB-8-350.	Non-selection.	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note: The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Essential :— I. Middle School standard. II. Possess experience in the following jobs: (i) Use of tools in trades; (ii) Lay bricks in simple bend; (iii) Fill in hearing in case of stone masonry; (iv) Work at height over scaffolding; (v) Punch holes in walls; (vi) Patch work on walls and on floors; (vii) Prepare simple centering for R.C.C. work; (viii) Plastering and pointing work; (ix) Mark foundations and set out work with tape and rule; (x) Prepare foundations for pumps and other machinery; (xi) Capable for reading more advance drawings; (xii) Dress stones/bricks well and set them in first class work; (xiii) Capable of doing all kind of masonry with various types of bonds and arch; (xiv) Carry out all kinds of R.C.C. works; (xv) Make cement floors and lay precast cement tiles and white glazed tiles in floors and dado; (xvi) Working knowledge of various lime and cement mortars for joint plastering and painting work and prepare mortar for various jobs and carry out plastering and painting work.

ICD 21111
7/12/80

8	9	10	11	12	13
Age - No. Educational qualifications. No, they have to qualify in Departmental Trade Test.	2 years.	50% by promotion and 50% by direct recruitment.	Promotion: From Assistant Mason with a minimum period of 5 years service in the grade.	Director General—Chairman Administrative Officer—Member Secretary. Deputy Director, Central Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
4. Blacksmith	1	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Non-selection	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note :—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Essential : I. Middle School standard. II. Possess experience in the following jobs : (i) Use and maintain tools and appliances in general use; (ii) Grind speed tools; (iii) Use cold chisel for cutting metal in cold and hot; (iv) Starting and controlling fire in furnaces; (v) Knowledge of correct working temperature for smithy work; (vi) Capable of doing rivetting, punching, forging and bending rods, angles and tirons to simple shapes; (vii) Bending of pipes; (viii) Able to cold bend mild steel Rods for reinforcement to required sizes and shapes and lay them to form grids; (ix) Able to harden, temper and anneal tools on open fires; (x) Knowledge of upsetting, jumping, drawing down, swaging, joining and welding. (xi) Able to do soldering and brazing, rivetting with hand and pneumatic tools; (xii) Read simple sketches and drawings with marked dimensions and estimation of materials required for jobs where sketches are supplied.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational qualifications : No, they have to qualify in Departmental Trade Test.	2 years	50% by promotion and 50% by direct recruitment.	Promotion : From Assistant Blacksmith with a minimum period of 5 years' service in the grade.	Director General —Chairman Administrative Officer —Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission —Member Director of Lighthouses and Lightships —Co-opted Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
5. Driver (Truck)	1	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 260-6-326-EB-8-350	Not applicable	Between 25 and 35 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note :—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Essential : A valid licence for driving heavy duty truck with 3 years' experience of driving heavy motor vehicles. Must be able to read and write and have some knowledge of Hindi, English besides regional language. *Desirable :* Eighth Standard pass.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational qualifications : Yes	2 years	Transfer from group 'D' employees, failing which by direct recruitment.	Transfer : From Group 'D' employees of the Department of Lighthouses and Lightships possessing requisite qualifications prescribed in Col. 7.	Director General —Chairman Administrative Officer —Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission. —Member Director of Lighthouses and Lightships —Co-opted Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
6. Assistant Carpenter	3	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-selection	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note :—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the	Essential : I. Must be able to read and write simple Hindi and English besides regional language. II. Must know the names and uses of different types of carpenters' tools and be able to sharpen them. III. Possess experience in the following jobs : (i) Use foot rule and square at his work; (ii) Able to plane, mark and

1	2	3	4	5	6	7
					Central Government issued from time to time.	make rebates and mortises and tennons and other simple joints and work from simple sketches and drawing; (iii) Prepare and use glue for joining wood work; (iv) Make frames and braced doors or window sashes and hang them in their frames; (v) Cut glass panes or sheets to required sizes; (vi) Prepare or repair articles of medium class furniture; (vii) Read and interpret simple sketches and drawings.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational qualifications : No, they have to qualify in Departmental Trade Test.	2 years	Promotion failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion : From the cadre of Mazdoor with a minimum service of 3 years in respect of those who have worked with Carpenter/Assistant Carpenter. Transfer : From other Central or State Government offices or persons working in similar or equivalent grade possessing requisite qualifications.	Director General —Chairman Administrative Officer —Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission. —Member Director of Lighthouses and Lightships. —Co-opted Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
7. Assistant Mason	4	General Central Service Group 'D', Non-Gazetted.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-selection	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note :—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.	Essential : I. Must be able to read and write in simple Hindi and English besides regional language. II. Must be able to use tools in common use in trade. III. Possess experience in the following jobs : (i) Lay bricks in simple bond; (ii) Fill in hearting of stone masonry; (iii) Work on heights over scaffolding; (iv) Punch holes in walls; (v) Do patch work on walls and in floors; (vi) Carry out plastering and pointing work; (vii) Read simple drawings.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational qualifications : No, they have to qualify in the Departmental Trade Test.	2 years	Promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion : From the cadre of Mazdoor with a minimum service of 3 years in respect of those who have worked with Mason/Assistant Mason. Transfer : From other Central or State Government offices of persons working in similar or equivalent grade possessing requisite qualifications.	Director General —Chairman Administrative Officer —Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission. —Member Director of Lighthouses and Lightships —Co-opted Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
8. Assistant Blacksmith	3	General Central Services, Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 210-4-226-EB-4-250-EB-5-290.	Non-selection	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note :—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Essential : I. Must be able to read and write in simple Hindi and English besides regional language. II. Must be able to use and maintain tools and appliances in the trade of blacksmith. III. Possess experience in the following jobs : (i) Grind speed tools; (ii) Use cold Chisel for cutting metal when cold and hot; (iii) Starting and controlling fire in furnances; (iv) Knowledge of correct working temperature for smithy work and do all types of rivetting, punching, forging and bending rods, angles and tirons to simple shapes; (v) Able to cold bord Mild Steel Roads for reinforcement to required sizes and shapes and lay then to form grids.

8	9	10	11	12	13
Age : No Educational qualifications : No, they have to qualify in the Departmental Trade Test.	2 years	Promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion : From the cadre of Mazdoor with a minimum service of 3 years in respect of those who have worked with Blacksmith/Assistant Blacksmith. Transfer : From other Central or State Government offices of persons working in similar or equivalent grade possessing requisite qualifications.	Director General —Chairman Administrative Officer —Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission —Member Director of Lighthouses and Lightships —Co-opted Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
9. Assistant Painter.	1	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 210-4-226-EB 4-250-EB-5-290.	Non Selection.	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government Servants). Note:—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Essential: I. Must be able to read simple Hindi and English besides regional language. II. Knowledge of different method of cleaning old painted surfaces. III. Must know the application of putty and standard primers. IV. Possess experience in the following jobs:— (i) Mix and match paints to a given shade as also have knowledge of quantities required for jobs; (ii) Paint with brush and know sequence of applying different coats of paints; (iii) Carry out lettering in one language.

8	9	10	11	12	13
Age : No. Educational qualifications No., they have to qualify in the Departmental Trade Test.	2 years.	Promotion, failing which by transfer, failing, both by direct recruitment.	Promotion: From the cadre of Mazdoor with a minimum service of three years in respect of those who have worked with Assistant painter. Transfer: From other Central or State Government offices of persons working in similar or equivalent grades possessing requisite qualifications.	Director General—Chairman. Administrative Officer—Member Secretary Deputy Director, Central Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
10. Mate.	2	General Central Services Group 'D' Non Gazetted.	Rs. 200-3-206-4-234-E.B-4-250	Non-Selection	Between 20 and 30 years (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note:—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Ability to read and write in Hindi besides regional language.

8	9	10	11	1	13
No.	2 years.	Promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion: Form the cadre of Mazdoor with a minimum service of 3 years in the grade. Transfer: From other Central or State Government offices of persons working in similar or equivalent grades possessing requisite qualifications.	Director General —Chairman Administrative Officer —Member Secretary. Deputy Director, Central Water Commission —Member. Director of Light houses and Lightships—Co-opted Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
11. Cleaner.	2	General Central services Group 'D' Non-Gazetted.	Rs.200-3-206-4-234 EB-4-250.	Non-Selection.	25 years (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note:—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Ability to read and write in Hindi and besides regional language.

8	9	10	11	12	13
No	2 years.	Promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion: From the cadre of Mazdoor with a minimum service of 3 years in the grade. Transfer: From other Central or State Government offices of persons working in similar or equivalent grades possessing requisite qualifications.	Director General—Chairman. Administrative Officer—Member Secretary. Deputy Director, Central Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member.	Not applicable.

2	2	3	4	5	6	7
12. Beatman.	4	General Central Services Non-Gazetted.	Rs. 200-3-206-4-234 EB-4-250.	Non-Selection.	Between 20 and 30 years. (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note:—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Must know swimming, ability to control rudder, knowledge of tide, weather and wind, knowledge of use of life Jackets, 2 years, sea-going experience.

8	9	10	11	12	13
No.	2 years	Promotion, failing which by transfer, failing both by direct recruitment.	Promotion: From Assistant Boatman with 3 years experience. Transfer: From other Central or State Government offices of persons working in similar or equivalent grades possessing requisite qualifications.	Director General —Chairman. Administrative Officer—Member Secretary. Deputy Director, Central, Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
13. Assistant Boatman	12	General Central Services Group 'D' Non-Gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	30 years (Relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note:—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Must know swimming and physically fit and skilled to row and handle sea-going boat.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Direct recruitment	Not applicable	Director General —Chairman. Administrative Officer —Member Secretary. Deputy Director, Central Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member.	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
14. Mazdoor Watchman/ Mazdoor	9 38	General Central Service Group 'D' Non gazetted.	Rs. 196-3-220-EB-3-232.	Not applicable	30 years (relaxable upto 35 years in case of Government servants). Note:—The upper age limit relaxable in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time.	Physical fitness for unskilled jobs. Desirable: Swimming.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	Direct recruitment	Not applicable	Director General —Chairman. Administrative Officer—Member Secretary. Deputy Director, Central Water Commission—Member. Director of Lighthouses and Lightships—Co-opted Member	Not applicable

Note : (i) The crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(ii) The qualification regarding experience specified in column 7 is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

[File No. 3/5/74 Admn.]
K. R. BOSE, Director General.

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1978

का. आ. नि. 1295.—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विशाखापत्तनम न्यासी के मण्डल द्वारा निर्मित और आंध्र प्रदेश सरकार के तारीख 20 जुलाई, 1978 और 27 जुलाई, 1978 के राजपत्र में प्रकाशित विशाखापत्तनम, कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम 1978 का अनुमोदन करती है।

[सं. पी.ई.पी.-2/77]

राम तिलक पाण्डे, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 1978

G.S.R. 1295.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves of the regulations entitled "Visakhapatnam Port Employees' (Conduct) Amendment Regulations, 1978" made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam in exercise of the powers conferred by section 28 of the said Act and published in the Andhra Pradesh Government Gazette dated the 20th July, 1978 and the 27th July, 1978.

[No. PEV-2/77]

R. T. PANDEY, Under Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 अक्तूबर, 1978

सा० का० नि० 1296.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले यंत्र नोदित यानों के मास्टरों और सैरंगों, इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों को सक्षमता प्रमाणपत्र या अनुज्ञापत्र प्रदान किए जाने के लिए नियम बनाना चाहती है। जैसा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित है, उन नियमों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है और सूचना दी जाती है कि उक्त नियमों के प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

2. इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, उक्त प्रारूप की बाबत किसी भी व्यक्ति से जो भी आपत्तियां या सुझाव होंगे, केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

अध्याय—1

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नव मंगलौर पत्तन, सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रदान, बन्दरगाह यान नियम, 1978 है।

(2) ये को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उप-संरक्षक" से पत्तन का उपसंरक्षक अभिप्रेत है;

(ख) "इंजीनियर प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को, नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले ऐसे वाष्प जलयान का जिसमें किसी नियत अश्व शक्ति के इंजन लगे हों, इंजीनियर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(ग) "प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को पत्तन में चलने वाले ऐसे वाष्प जलयान या, जिसमें 100 से कम नियत अश्वशक्ति वाले इंजन लगे हों, इंजन ड्राइवर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(घ) "प्रथम वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को, पत्तन में चलने वाले ऐसे वाष्प जलयान का, जिसमें किसी नियत अश्वशक्ति के इंजन लगे हों या ऐसे मोटर जलयान का, जिसमें किसी ब्रेक शक्ति के

इंजन लगे हों, मास्टर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(झ) "प्रथम वर्ग मोटर इंजन ड्राइवर प्रमाण-पत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को, पत्तन में चलने वाले ऐसे मोटर जलयान का 565 से कम ब्रेक अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, इंजन ड्राइवर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(ञ) "प्ररूप" से इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है;

(ट) "लैन्टर्न परीक्षण" और "अक्षर परीक्षण" से रूप रंग की बाबत अभ्यर्थी की शक्ति के दृष्टि परीक्षण अभिप्रेत है;

(ज) "मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को पत्तन में चलने वाले ऐसे मोटर यान का जिसमें किसी ब्रेक अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, इंजीनियर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(झ) "पत्तन" से नव मंगलौर पत्तन अभिप्रेत है;

(ञ) "प्रधान अधिकारी" से प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग मद्रास जिला, मद्रास अभिप्रेत है;

(ट) "द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को पत्तन में चलने वाले ऐसे वाष्प जलयान का, जिसमें 40 से कम नियत अश्वशक्ति वाले इंजन लगे हों, इंजन ड्राइवर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(ठ) "द्वितीय वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को पत्तन में चलने वाले ऐसे वाष्प जलयान का जिसमें 100 से कम नियत अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, या ऐसे मोटर जलयान का जिसमें 565 से कम ब्रेक अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, मास्टर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(ड) "द्वितीय वर्ग मोटर इंजन प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति को, पत्तन में चलने वाले ऐसे मोटर जलयान का, जसमें 226 से कम ब्रेक अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, का इंजन ड्राइवर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है;

(ढ) "पोत परिवहन अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 49) अभिप्रेत है;

(ण) "वाष्प जलयान अधिनियम" से अन्तर्देशीय वाष्प जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) अभिप्रेत है;

(त) "सैरंग प्रमाणपत्र" से ऐसा सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति को पत्तन में चलने वाले ऐसे वाष्प जलयान का, जिसमें 40 से कम नियत अश्वशक्ति वाले इंजन लगे हों या ऐसे मोटर जलयान का जिसमें 226 से कम ब्रेक अश्वशक्ति वाले इंजन लगे हों, मास्टर होने के लिए इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया है।

अध्याय—2

3. मास्टरों और सैरंगों की सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाना प्रमाणपत्र का जारी किया जाना :—(क) सक्षमता प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो अपेक्षित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं और अन्यथा अपेक्षित शर्तों का अनुपालन करते हैं;

(ख) इस प्रयोजन के लिए, नव मंगलौर पत्तन पर समय-समय पर परीक्षाएं आयोजित करने के प्रबन्ध किए जाएंगे।

4. परीक्षाएं :—परीक्षा उपसंरक्षक द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा (जिसे इसमें आगे परीक्षक कहा गया है) जिसे उसकी ओर से नियुक्त किया जाए, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास के प्रधान अधिकारी के अनुदेशों के अधीन आयोजित की जायेंगी।

5. परीक्षा के लिए उपयुक्तता :—परीक्षा के अभ्यर्थी अपने आवेदन समुचित प्ररूप 1 में देगा जो परीक्षक या ऐसे पदधारी के समक्ष भरा जाएगा जिसे कि उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए। उचित रूप से भरा गया प्ररूप अभ्यर्थी के शंसा पत्रों और निस्तारपों के साथ ही परीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(क) पत्तन यान की दशा में सक्षमता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति अपने आवेदन, उपसंरक्षक नव मंगलौर पत्तन को प्रस्तुत करेंगे जो उन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में, जिनकी कि सेवा के लिए परीक्षा ली जानी है, अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी को भेजेगा।

(ख) पत्तन के अन्तरग्राह यान नियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक या निजी स्वामित्व वाले यानों में नियोजित व्यक्ति, अपने आवेदन संबंधित स्वामियों के माध्यम से नव मंगलौर पत्तन के उपसंरक्षक को प्रस्तुत करेंगे। उपसंरक्षक उन आवेदनों को उन अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में जिनकी अपेक्षित प्रमाण-पत्रों के लिए परीक्षा ली जानी है, अपनी सिफारिशों के साथ प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग मद्रास को भेजेगा।

(ग) आवेदनों की प्राप्ति पर, प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग मद्रास उनका परिशीलन करेगा और यदि वे सभी दृष्टियों से उचित हों तो वह अभ्यर्थियों को परीक्षा लेने के लिए उपसंरक्षक को प्राधिकृत करेगा।

(घ) संचालित परीक्षा के परिणाम संचालित परीक्षाओं की फीसों के साथ प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे। परीक्षा के परिणामों के अनुमोदन पर, प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास उपसंरक्षक, नव मंगलौर पत्तन के माध्यम से अभ्यर्थी को सक्षमता प्रमाणपत्र देगा।

6. शंसा-पत्र आदि :—(क) सभी आवेदनों को चरित्र के तथा आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती कम-से-कम 12 मास के, पोत पर के संयम, अनुभव, योग्यता और सदाचरण के शंसापत्र देने होंगे।

(ख) जिन आवेदकों ने गत 12 मास के भीतर पोत पर सेवा न की हो, उन्हें पूर्ववर्ती शंसापत्र के अतिरिक्त, अपने नियोजकों के या यदि वे नियोजित नहीं हों तो किन्हीं प्रतिष्ठित गृहस्थों के, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र देने होंगे।

(ग) किसी भी अभ्यर्थी की परीक्षा ली जाने की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक उसने गत छह वर्ष के भीतर दो वर्ष समुद्र या अन्तर्देशीय जलक्षेत्रों में पोत पर सेवा तथा उसके परीक्षार्थ आवेदन की तारीख के पूर्ववर्ती गत तीन वर्ष के भीतर छह मास सेवा न की हो।

7. शंसापत्रों का अधिप्रमाणित किया जाना :—(क) अभ्यर्थियों के सेवा शंसापत्र सामान्यतया उसके नियोजक के कार्यालय अभिलेखों पर आधारित होंगे।

(ख) जो दावाकृत सेवा नियोजक के कार्यालय अभिलेखों से सत्यापित नहीं की जा सकती है, वह ऐसे व्यक्तियों के जिनके अधीन ऐसी सेवाएं की गई हैं, शपथ-पत्रों द्वारा तथा स्वयं अभ्यर्थी के शपथ-पत्र द्वारा अधिप्रमाणित की जाएंगी।

8. आयु :—यदि किसी अभ्यर्थी की आयु के बारे में कोई सन्देह हो तो उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह परीक्षक के समाधानप्रद रूप में प्रमाण-पत्र या आयु का अन्य दस्तावेजी सबूत पेश करे।

9. दृष्टि परीक्षण :—(क) सक्षमता प्रमाणपत्र के प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र दिए जा सकने के पूर्व उसे संविहित दृष्टि परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।

(ख) जो व्यक्ति दृष्टि परीक्षण में परीक्षा ली जाने का इच्छुक है, उसे परीक्षक को प्रपत्र 2 में आवेदन करना होगा तथा वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास के प्रधान अधिकारी को चार रुपए फीस देनी होगी।

(ग) दृष्टि परीक्षण के अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षण कराने होंगे :—

(i) अक्षर परीक्षण :—प्रमाण-पत्र के प्रत्येक अभ्यर्थी को अक्षर परीक्षण कराना होगा।

(ii) लैन्टर्न परीक्षण :—प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक ऐसे अवसर पर जब वह अपने प्रथम सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा के लिए उपस्थित होता है तब उसे लेन्टर्न परीक्षण कराना होगा, किन्तु यदि वह तब उत्तीर्ण हो जाता है तो किसी पश्चातवर्ती अवसर पर उससे लेन्टर्न परीक्षण कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

10. (क) परीक्षा में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होना :—यदि अभ्यर्थी अक्षर परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह लेन्टर्न परीक्षण के लिए अग्रसर होगा, जब तक कि उसके पास सक्षमता प्रमाणपत्र न हो। यदि वह अक्षर परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह—

(1) लेन्टर्न परीक्षण के लिए अग्रसर हो सकेगा, जिस दशा में यह निश्चित करने के लिए कि उसे उत्तीर्ण किया जाए या नहीं, दोनों परीक्षाओं के परिणामों पर विचार किया जाएगा; अथवा

(2) परीक्षा का परित्याग कर सकेगा और अन्यून 3 मास के समय में पुनः परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकेगा।

(ख) लेन्टर्न परीक्षण :—(i) यदि अक्षर परीक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात् अभ्यर्थी लेन्टर्न परीक्षण उत्तीर्ण कर लेता है तो वह समझा जाएगा कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है।

(ii) यदि लेन्टर्न परीक्षण का परिणाम अनिश्चायक हो और यदि अभ्यर्थी उसे अक्षर परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो जाने के पश्चात् उत्तीर्ण करता है तो उसका मामला प्ररूप 3 में प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग मद्रास जिला को भेजा जाएगा जो यह विनिश्चित करेगा कि वह उत्तीर्ण हो गया है या अनुत्तीर्ण हुआ है अथवा उसे विशेष परीक्षा के लिए निदेशित किया जाए या नहीं।

(iii) यदि अभ्यर्थी लेन्टर्न परीक्षण करने में असफल रहता है तो परीक्षक नियम 12 में कथित वह शर्त उसे बताएगा जिसके अधीन वह अपील कर सकता है। अपीलें प्रधान अधिकारी, मद्रास को की जाएंगी।

(iv) जो अभ्यर्थी लेन्टर्न परीक्षण उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसकी तब तक पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी, जब तक कि प्रधान अधिकारी यह विनिश्चय न करे कि तीन मास के बीत जाने पर उसकी पुनः परीक्षा ली जाए। प्ररूप 4 में से जो प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को दिया जाता है उसमें यह कथित होगा कि उसकी पुनः परीक्षा ली जाय या नहीं ली जाए।

11. अतिरिक्त परीक्षा और अपीलें :—(क) यदि पूर्ववर्ती पैरा के अन्तर्गत वाले मामले में प्रधान अधिकारी यह विनिश्चय करता है कि अतिरिक्त परीक्षा आवश्यक है तो विशेष परीक्षा के लिए इंतजाम किया जाएगा।

(ख) किन्तु यदि परीक्षक की रिपोर्ट पर प्रधान अधिकारी यह विनिश्चय करता है कि दी गई गलतियों की प्रवृत्ति से निश्चायक रूप से यह संदर्शित होता है कि अभ्यर्थी की दृष्टि इतनी त्रुटिपूर्ण है कि उस कारण यह प्रमाण-पत्र धारण करने के अयोग्य हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो गया है।

(ग) ऐसे मामलों में, जिनमें परीक्षक की रिपोर्ट पर अभ्यर्थी को प्रधान अधिकारी द्वारा अनुत्तीर्ण किया जाता है, तथा विशेष परीक्षा की दशा में भी, भारत सरकार ऐसे अभ्यर्थी को, जो इस विनिश्चय से असन्तुष्ट है, नियम 13 में उपवर्णित शर्तों के अधीन रहते हुए, आगे परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी की दशा में, जिसे आगे परीक्षा के लिए निर्देशित किया जाता है, प्रधान अधिकारी विशेष परीक्षा के लिए इंतजाम करेगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

12. विशेष परीक्षा-अपील मामले :—ऐसा अभ्यर्थी जो लेन्टर्न परीक्षण में अनुत्तीर्ण हो गया विनिर्णीत किया जाता है प्रधान अधिकारी को अपील कर सकेगा जो मामले को विनिश्चय के लिए विशेष परीक्षक निकाय को निर्देशित करेगा। ऐसे अभ्यर्थी को 32 रु० विशेष फीस का संदाय करना होगा जो उसे वापिस कर दी जाएगी, यदि यह घोषित किया जाता है कि उसने विशेष परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है।

13. विशेष परीक्षा - अभ्यर्थी का ठीक समय पर उपस्थित होना :—(क) उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें विशेष परीक्षा के लिए निर्देशित किया जाता है या जो स्थानीय परीक्षण के परिणाम के विरुद्ध अपील करते हैं, प्रधान अधिकारी, मद्रास द्वारा वह समय अधिसूचित किया जाएगा जब उन्हें विशेष परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहिए, और उनसे यह प्रत्याशा की जाती है कि वे प्रधान अधिकारी को यह सूचित करेंगे कि वे उस समय उपस्थित हो सकेंगे या नहीं।

(ख) कोई भी अभ्यर्थी जो प्रधान अधिकारी को यह सूचित करने के पश्चात् कि वह उपस्थित होगा, नियत समय पर उपस्थित रहने में असफल रहता है इस बात का भागी होगा कि उसकी परीक्षा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाए, और यदि उसने पैरा 12 के अधीन अपील की है तो 32 रु० अपील फीस भी समपहृत कर ली जाए तथा उसकी विशेष परीक्षा के लिए आगे इंतजाम किए जाने के पूर्व उसे अतिरिक्त फीस की उतनी ही रकम जमा करनी होगी।

14. विशेष परीक्षा में अनुत्तीर्णता :—(क) जहां किसी विशेष परीक्षा के दौरान, ऐसे अभ्यर्थी की बाबत जिसने अपील की है या जिसे निर्देशित किया गया है, यह पाया जाता है कि उसकी दृष्टि शक्ति में ऐसी स्थायी त्रुटि है जो उसे समुद्री जीवन वृत्ति के लिए अयोग्य बना देती है, वहां उसे अन्तिम रूप से अस्वीकृत कर दिया जाएगा, और किसी भी भावी अवसर पर दृष्टि-परीक्षण में पुनः उसकी परीक्षा ली जाने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परन्तु यदि अभ्यर्थी फिर भी असन्तुष्ट हो तो उसे यह स्वतंत्रता होगी कि यदि वह चाहे तो वह पचहत्तर रुपए फीस का संदाय करने पर द्वितीय विशेष परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकता है।

(ख) विशेष अपील फीस : ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा का साक्षी बनाने के लिए अपने साथ एक मित्र को भी लाना होगा।

(ग) इस नियम के अधीन द्वितीय परीक्षा पूर्णतया स्वैच्छिक होगी और वह सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा का कोई भाग नहीं होगी।

(घ) केन्द्रीय सरकार इस बात का अवधारण करने में कि प्रमाणपत्र प्रदान किया जाए या नहीं, ऐसी परीक्षा के परिणाम पर विचार करेगी।

15. विशेष अपील फीस : पचहत्तर रुपए विशेष अपील फीस तब तक प्रत्यावर्तनीय नहीं होगी, जब तक कि केन्द्रीय सरकार, किसी विनिर्दिष्ट मामले की विशेष परिस्थितियों में, उसे वापस करना उचित न समझे।

16. सैरंग प्रमाणपत्रों के लिए अपेक्षाएं :—(क) सैरंग प्रमाणपत्रों के सभी अभ्यर्थियों को अक्षर और रंग परीक्षाओं में परीक्षा ली जाएगी।

(ख) (1) सारंग प्रमाणपत्र के अभ्यर्थी की इक्कीस वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और उसे संयम और बुद्धिमत्ता के संतोषप्रद प्रमाण-पत्र देने होंगे।

(2) उसने समुद्र पर या अन्तर्देशीय जल क्षेत्रों में चार वर्ष सेवा की हो, जिस सेवा का अन्तिम वर्ष सुखानी या नाविक के रूप में किसी अन्तर्देशीय या बन्दरगाह, वाष्प या मोटर जलयान पर का होना चाहिए, तथा निम्नलिखित विषयों में उसके ज्ञान की बाबत मौखिक परीक्षा ली जाएगी, अर्थात् :—

(1) मार्ग नियम ;

(2) बन्दरगाह लांचों के चालन और प्रबन्धकरण की बाबत असाधारण प्रश्न ;

(3) तूफान-संकेत ; और

(4) पत्तन नियम और पत्तन तथा उसके पंहुच पथों में के बोयों, प्रकाश-स्तम्भों, भूचिन्हों, जलमार्गों, शोलों और ज्वारभाटा सेट का ज्ञान ।

(ग) यदि कोई अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी पुनःपरीक्षा तब तक नहीं ली जाएगी, जब तक उसने सुखानी या नाविक के रूप में किसी आन्तरिक या बन्दरगाह, वाष्प या मोटर जलयान में तीन मास की अतिरिक्त सेवा न कर ली हो ।

17. द्वितीय वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र के लिए अर्हताएं : (क) द्वितीय वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र के लिए सभी अभ्यर्थियों की सर्वप्रथम दृष्टि और रंग परीक्षा ली जाएगी ।

(ख) द्वितीय वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी की 22 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और उसे संयम और बुद्धिमत्ता का प्रमाणपत्र पेश करना होगा ।

(ग) उसने समुद्र पर या आन्तरिक जलक्षेत्रों में कम-से-कम पांच वर्ष सेवा की हो जिस सेवा के अन्तिम तीन वर्ष 40 के अन्यून नियत अश्वशक्ति वाले अन्तर्देशीय या बन्दरगाह वाष्प जलयान अथवा 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति वाले मोटर जलयान के सुखानी या नाविक के रूप में रहे हों, अथवा 15 नियत अश्वशक्ति से अधिक के वाष्प लांच या 80 ब्रेक अश्वशक्ति से अधिक के मोटर लांच के भार साधक सेरंग के रूप में तीन वर्ष की आनुकल्पिक सेवा की हो और जिनके पास वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन अनुवृत्त सेरंग के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हो तथा उन्हें निम्नलिखित विषयों में मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, अर्थात् :—

(1) मार्ग नियम ;

(2) सभी आकस्मिकताओं में छोटे वाष्प और मोटर जलयानों का प्रबंधकरण ;

(3) तूफान-संकेत ;

(4) ज्वारभाटा-सारणी ;

(5) इस पत्तन के पत्तन नियम ;

(6) पत्तन तथा पंहुचमार्गों में के बायों, प्रकाश स्तम्भों, भू चिह्नों जलमार्गों, शोलों और ज्वारभाटा सेट का ज्ञान ।

(7) कपास (अभ्यर्थियों को कपास के बिन्दु पढ़ने में समर्थ होना चाहिए) ।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी पुनः परीक्षा तब तक नहीं ली जाएगी, जब तक कि उसने सेरंग के रूप में तीन मास तक अतिरिक्त सेवा न की हो और उसके पास वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया सेरंग प्रमाण-पत्र न हो या उसने किसी अन्तर्देशीय या 40 नियत अश्व शक्ति से अन्यून के बन्दरगाह वाष्प जलयान या 226 से अन्यून ब्रेक अश्व शक्ति के मोटर जलयान के सुखानी या नाविक के रूप में तीन मास की अतिरिक्त सेवा न की हो ।

18. प्रथम वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र के लिए अर्हताएं :—(क) प्रथम वर्ग मास्टर प्रमाण पत्र के लिए सभी अभ्यर्थियों के अक्षर और रंग परीक्षण किए जाएंगे ।

(ख) प्रथम वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी ने :—

(i) 24 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और उसने किसी अन्तर्देशीय वाष्प या मोटर जलयान के भारसाधक द्वितीय वर्ग मास्टर के रूप में कम-से-कम तीन वर्ष सेवा की हो या उसके पास वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया द्वितीय वर्ग मास्टर प्रमाण-पत्र होने के साथ ही साथ उसने वाष्प या मोटर जलयान के द्वितीय सेरंग के रूप में चार वर्ष से अन्यून सेवा की हो, अथवा

(ii) 22 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए और उसके पास द्वितीय नेट, विदेशगामी या होम ट्रेड नेट के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र जो कि अधिनियम की धारा 481 के अधीन प्रवृत्त हों, धारण करना चाहिए, और जिसने अन्तर्देशीय वाष्प या मोटर जलयान के मेंट के रूप में सेवा की हो, अथवा

(iii) 24 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए तथा उसने या तो समुद्र पर कम-से-कम तीन वर्ष या किसी अन्तर्देशीय वाष्प या मोटर जलयान के मेंट के रूप में कम-से-कम तीन वर्ष सेवा की हो अथवा अन्तर्देशीय वाष्प या मोटर जलयान के मेंट के रूप में कम से कम छह वर्ष सेवा की हो ।

(ग) प्रत्येक अभ्यर्थी की अलग-अलग परीक्षा ली जाएगी और निम्नलिखित प्रत्येक और सभी विषयों में मौखिक परीक्षा ली जाएगी :—

(1) मार्ग नियम ;

(2) सभी आकस्मिकताओं में किसी भी प्रकार के बन्दरगाह या अन्तर्देशीय वाष्प या मोटर जलयान का प्रबंधकरण जिसमें कर्मनामों का चालन भी सम्मिलित है ;

(3) ज्वारभाटा सारणी ;

(4) तूफान-संकेत ;

(5) नव मंगलौर पत्तन विनियमों का पूर्ण ज्ञान ;

(6) नव मंगलौर पत्तन और उसके पहुंच मार्गों में के बायों, प्रकाश स्तम्भों, भूचिन्हों, जल मार्गों, शोलों और ज्वार भाटा सेटों का ज्ञान ;

(7) कपास का प्रारम्भिक ज्ञान ।

(घ) यदि कोई अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी पुनः परीक्षा तब तक नहीं ली जाएगी, जब तक कि उसने किसी अन्तर्देशीय बन्दरगाह वाष्प या मोटर जलयान के भारसाधक द्वितीय वर्ग मास्टर के रूप में या किसी अन्तर्देशीय या बन्दरगाह वाष्प या मोटर जलयान के भारसाधक द्वितीय मेट के रूप में तीन मास की अतिरिक्त सेवा न की हो ।

19. परीक्षा : इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी प्रथम या द्वितीय वर्ग मास्टर प्रमाणपत्र की परीक्षा के किसी अभ्यर्थी की परीक्षा यथास्थिति, नियम 17(ग) के खण्ड (5) और (6) या नियम 18(ग) के खण्ड (5) या (6) में उल्लिखित विषयों में ली जाएगी और यदि

वह विहित विषय के ज्ञान के बारे में और साधारणतया वाष्प या मोटर जलयान के भारसाधक होने की बाबत अपनी सक्षमता की बाबत परीक्षक का समाधान कर देता है तो उसे इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान कर दिया जाएगा ।

20. निम्न श्रेणी का प्रमाणपत्र : यदि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, किन्तु वे विषय जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ है, निम्न श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए अपेक्षित विषयों में सम्मिलित नहीं है तो यदि वह चाहे तो ऐसी निम्नतर श्रेणी का प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकेगा ।

21. यदि अभ्यर्थी केवल नियम 16(ख)(2) के खण्ड (4) में उल्लिखित विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाता है, किन्तु वह अन्यथा समाधानप्रद परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसे इन नियमों के अधीन सक्षमता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।

22. फीस का पुनः संदाय किया जाना : जब नियम 20 में उपबन्धितानुसार किसी अभ्यर्थी को निम्न श्रेणी का प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है तो उसके द्वारा संदत्त किसी फीस या कोई भी भाग उसे वापस नहीं किया जाएगा, और उच्चतर श्रेणी प्रमाणपत्र के लिए पुनः परीक्षार्थ उपस्थित होने पर, जब कि वह ऐसा करने का हकदार हो, उसे पुनः पूरी फीस का संदाय करना होगा ।

23. फीसें : (1) परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्ररूप 1 में अपने आवेदन करते समय, उनकी सेवाओं की बाबत पूछताछ करने या उनकी अर्हताओं का परीक्षण करके या इन नियमों द्वारा विहित किसी अन्य चर्चा का अनुसरण करके कोई कार्यवाही की जाने के पहले परीक्षा फीस देनी होगी ।

(2) यदि यह पाया जाए कि उनकी परीक्षा ली जाने का उन्हें हकदार बनाने के लिए उनकी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं या यदि उनके शंसा-पत्र असमाधानप्रद हों अथवा यदि अन्य किसी भी कारण से उनकी परीक्षा नहीं ली जाएगी तो फीस का कोई भी भाग उन्हें वापस नहीं किया जाएगा किन्तु यथास्थिति, जब उन्होंने अपेक्षित सेवा पूरी कर ली हो या वे समाधानप्रद शंसापत्र पेश कर सके हों तो उन्हें किसी अतिरिक्त फीस का संदाय किए बिना, उसी श्रेणी के प्रमाणपत्र के लिए परीक्षार्थ पुनः उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(3) परीक्षा के लिए फीस का संदाय परीक्षक को या ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जो उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो । किसी ऐसी दशा में, जिनमें अभ्यर्थी किसी अन्य अधिकारी को रकम दे देता है तो यह समझा जाएगा कि इस प्रकार रकम देने वाले अभ्यर्थी ने अपचार का कार्य किया है और उसको अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बारह मास तक पुनः परीक्षा देने के लिए उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) यदि अभ्यर्थी अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो फीस का कोई भी भाग उसे वापस नहीं किया जाएगा ।

(ग) यदि अभ्यर्थी विहित विषयों के अपने ज्ञान के संबंध में और सामान्यतः वाष्प या मोटर जलयान या पत्तन में चलने वाले मोटर जलयान को नियंत्रित करने की अपनी सक्षमता की बाबत परीक्षक का समाधान कर देता है तो परीक्षक अभ्यर्थी को एक प्रमाणपत्र प्रदान करेगा ।

(घ) फीसें निम्नप्रकार होंगी :—

प्रथम श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र . .	20 रुपए
द्वितीय श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र . .	15 रुपए
सेरंग प्रमाणपत्र . . .	10 रुपए

24. साधारण : (क) प्रथम और द्वितीय श्रेणी मास्टर प्रमाणपत्र और सेरंग प्रमाणपत्र समुचित प्ररूप 5 में तैयार किया और जारी किया जाएगा ।

(ख) ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा और ऐसे प्रमाणपत्र का हकदार प्रत्येक व्यक्ति पासपोर्ट आकार के अपने फोटो की दो प्रतियां परीक्षक को देगा जिनमें से एक-एक प्रमाणपत्र की प्रत्येक प्रति पर चिपकाई जाएगी । प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रमाणपत्र के हकदार व्यक्ति को दे दी जाएगी और दूसरी प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास द्वारा रखी और अभिलेखबद्ध कर ली जाएगी ।

अध्याय–III

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले यंत्र नोदित यान के इंजीनियरों और इंजन ड्राइवरों को सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रदान किया जाना

25. प्रमाणपत्र जारी करने का प्राधिकार : (क)(1) सक्षमता प्रमाण-पत्र उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा जो अपेक्षित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं या अन्यथा अपेक्षित शर्तों का अनुपालन करते हैं ।

(2) इस प्रयोजन के लिए पत्तन पर समय-समय पर परीक्षाएं की जाने का प्रबंध किया जाएगा ।

(ख) परीक्षाएं ऐसे अर्हित समुद्री इंजीनियर द्वारा की जाएंगी जिसके पास उपसंरक्षक द्वारा नियुक्त, नौवहन और परिवहन द्वारा प्रदान किया गया मुख्य इंजीनियर के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र हो । वे पूर्वाह्न में शीघ्र ही प्रारंभ होंगी और तब तक जारी रखी जाएंगी जब तक सभी अभ्यर्थियों को जिनका नाम परीक्षा के दिन उप संरक्षक की सूची में दिया गया हो, परीक्षा न हो जाए ।

26. परीक्षा के लिए उपयुक्तता : (क)(1) परीक्षा के अभ्यर्थी प्ररूप 6 में अपने आवेदन करेंगे जो प्रधान अधिकारी के या ऐसे पदधारियों के समक्ष भरे जाएंगे जो उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए जाएं ।

(2) समुचित रीति से भरा गया प्ररूप अभ्यर्थी के शंसापत्रों के साथ, उपसंरक्षक के, परीक्षा के दिन से कम-से-कम तीन दिन पूर्व भेजा जाएगा ।

(ख) पत्तन यान की दशा में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति, अपने आवेदन उपसंरक्षक के माध्यम से देंगे जो सेवा के लिए परीक्षित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग को परेषित करेगा ।

(ग) नव मंगलौर पत्तन के बन्दरगाह यान नियमों के अधीन रजिस्ट्री-कृत वाणिज्यिक या निजी स्वामित्व वाले जलयानों में नियोजित व्यक्ति अपने आवेदन संबंधित स्वामियों के माध्यम से उपसंरक्षक को देंगे । उप-संरक्षक अपेक्षित प्रमाणपत्र के लिए परीक्षित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के बारे में अपनी सिफारिशों के साथ उन्हें प्रधान अधिकारी वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास को परिषित करेगा ।

(घ) आवेदन प्राप्त होने पर, प्रधान अधिकारी उनका अनुशीलन करेगा और यदि वे सभी दृष्टियों से ठीक हुए तो अभ्यर्थियों को परीक्षा लेने के लिए उपसंरक्षक को प्राधिकृत करेगा ।

27. परीक्षाओं का संचालन : इंजीनियर प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवरों की परीक्षा ऐसे दिनों और ऐसे समयों पर की जाएंगी जो प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास द्वारा अधिसूचित की जाए ।

28. परिणाम : संचालित परीक्षा के परिणाम, संचालित परीक्षाओं की फीसों के साथ-साथ अनुमोदन के लिए प्रधान अधिकारी को भेजे जाएंगे । परीक्षा के परिणामों के अनुमोदन पर प्रधान अधिकारी, उपसंरक्षक के माध्यम से, अभ्यर्थियों को सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

29. शंसापत्र आदि : (क) आवेदकों से प्राथमिक नियोजन पत्रों या सेवा अभिलेख के अतिरिक्त संयम, अनुभव, योग्यता तथा परीक्षित किए जाने वाले आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती कम-से-कम गत 12 मास की

पोत पर की सेवा के, जब कि केन्द्रीय सरकार, मामले का अन्वेषण कर लेने के पश्चात् समय का कम करना उचित न समझे, साधारण सदाचरण की बाबत समाधानप्रद शंसापत्र पेश करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(ख) ऐसे आवेदक को जिसके पास पहले ही इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रमाणपत्र है और जो किसी उच्चत्तर श्रेणी के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने का इच्छुक हो, अपने प्रमाणपत्र और वे सभी निस्तारण या सेवा अभिलेख और शंसापत्र जो उसने निम्न श्रेणी की परीक्षा के लिए आवेदन करने के समय प्रस्तुत किए थे, तथा वह निस्तारण या वे सेवा अभिलेख और शंसापत्र भी जो उच्चत्तर श्रेणी प्रमाणपत्र के लिए आवश्यक हों पेश करना चाहिए ।

(ग) यदि परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा सन्देहपूर्ण अधिप्रमाणिकता के निर्देश प्रस्तुत किए जाएं तो उपसंरक्षक अभ्यर्थियों से उनके असलीपन की बाबत सबूत या उस आशय का लिया गया शपथपत्र मांग सकेगा ।

(घ) यदि आवेदकों ने अपने आवेदन देने के तुरन्त पूर्व तट पर सेवा की हो तो उन्हें अपने नियोजकों से अथवा यदि वह नियोजित नहीं है तो किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से संयम के प्रमाणपत्र देने होंगे ।

किसी भी अभ्यर्थी की तब तक परीक्षा नहीं लेने दी जाएगी, जब तक उसने, परीक्षा ली जाने के लिए अपने आवेदन की तारीख से पूर्ववर्ती अन्तिम तीन वर्ष के भीतर छह मास पोत पर सेवा न की हो ।

30. शंसापत्रों का सत्यापन:

चूंकि आवेदकों की परीक्षा ली जा सकने के पूर्व ऐसे शंसापत्रों और निस्तारणों का सत्यापन किया जाना पड़ सकता है अतः यह वांछनीय है कि वे 26(क)(i) में यथाविहित प्ररूप 6 के साथ यथासंभव शीघ्र सौंप दिए जाने चाहिए ।

31. आयु :

यदि अभ्यर्थी की आयु के बारे में कोई सन्देह हो तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह उपसंरक्षक के समाधानप्रद रूप में जन्मप्रभावपत्र या आयु का कोई अन्य दस्तावेजी सबूत पेश करे ।

32. शंसा का सबूत :

(क) अभ्यर्थियों की सेवाओं के शंसापत्र सामान्यतया उनके नियोजकों के कार्यालय अभिलेखों पर आधारित होने चाहिए ।

(ख) दावाकृत सेवाएं जिनका सत्यापन नियोजकों के कार्यालय अभिलेखों से नहीं किया जा सकता है, उन व्यक्तियों के शपथपत्रों द्वारा, जिनके अधीन ऐसी सेवाएं की गई हैं तथा स्वयं अभ्यर्थी के शपथपत्र द्वारा अधिप्रमाणित की जानी चाहिए ।

(ग) ऐसे प्रमाणपत्र प्राप्त समुद्री इंजीनियरों या यांत्रिक इंजीनियरों से, जिनके पास तुलनीय अर्हताएं हों, सेवा शंसापत्र स्वीकृत किए जाएंगे ।

(घ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अपनी सेवा में किन्हीं अन्तरालों का दस्तावेजों साक्ष्य सहित लेखा-जोखा दें ।

33. द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र के लिए अर्हताएं: द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर के प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता होनी चाहिए, अर्थात् :—

(क) उसने वाष्प इंजनों के निर्माण या मरम्मत-कार्य में कम-से-कम 3 वर्ष और स्टीमर के इंजन-कक्ष में एक वर्ष शिक्षुता का कार्य किया हो ।

(ख) उसने समुद्र पर या अन्तर्देशीय जलक्षेत्रों में ऐसे इंजीनियर या प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर के अधीन जो वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करते हों, स्टीमर के इंजन-कक्ष में 4 वर्ष सेवा की हो, जिस सेवा का एक वर्ष, 20 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के इंजनों वाले जलयान में वाच के भारसाधक सेरंग, टिण्डल या फायरमैन के रूप में रही हो, अथवा

(ग) उसने स्टीमर के इंजन-कक्ष में 5 वर्ष सेवा की हो जिस सेवा का एक वर्ष, 15 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के जलयान में वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन प्रमाणपत्र प्राप्त प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर के अधीन वाच के भारसाधक सेरंग, टिन्डल, मुख्य फायरमैन या फायरमैन के रूप में रहा हो ;

(घ) उसने समुचित रूप से अर्हित प्रबंधक या इंजीनियर के अधीन किसी कारखाने या मिल में इंजन के भारसाधक के रूप में 2 वर्ष तथा 15 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के स्टीमर में इंजन कक्ष सेरंग, टिन्डल, या मुख्य फायरमैन के रूप में एक वर्ष की हो ।

34. उसे समुद्री इंजनों और बायलरों के निर्माण और विभिन्न पुर्जों और फिटिंगों के उपयोगों तथा ग्राइन काकों, लवणता मापी और स्फोट पृथक्करण के उपयोग, लवण या पूर्ण जल में बायलर की देखरेख तथा किफायत से कोयला भरण और धुएं के निवारण की कला के बारे में भी मौखिक परीक्षा समाधानप्रद रूप से उत्तीर्ण करनी चाहिए ।

35. यदि अपेक्षा की जाए तो उसे अन्य ऐसे सभी परीक्षणों को पूरा करने के पश्चात जो वह देगा किसी छोटे स्टीमर के इंजनों को वस्तुतः चालू करके अपनी व्यावहारिक अर्हताएं दर्शित करने में समर्थ होना चाहिए ।

36. द्वितीय वर्ग मोटर इंजिन ड्राइवर प्रमाणपत्र के लिए अर्हताएं: द्वितीय वर्ग मोटर इंजिन ड्राइवर प्रमाणपत्र के अभ्यर्थी द्वारा 21 वर्ष की आयु प्राप्त करली होनी चाहिए और उसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता होनी चाहिए, अर्थात् :—

(क) उसने अन्तर्दहन या समुद्री वाष्प इंजनों के निर्माण, फिटिंग और या मरम्मत में शिक्षु या जरनीमैन के रूप में कम से कम तीन वर्ष सेवा की हो और इसके अतिरिक्त, उसने 85 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान के इंजन कक्ष में छह मास या 40 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति इंजिनों वाले यान में नौ मास सेवा की हो, अथवा

(ख) उसने 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान के इंजन कक्ष में कम-से-कम चार वर्ष सेवा की हो जिस अवधि में से कम-से-कम एक वर्ष सेरंग, मुख्य टिन्डल या मुख्य ग्रेजर के रूप में सेवा की हो:

परन्तु ऊपर उल्लिखित चार वर्ष में से एक तिहाई सेवा, 40 से अन्यून अश्वशक्ति के वाष्प जलयान के इंजन-कक्ष में की हो ; अथवा

(ग) उसने 85 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान इंजन-कक्ष में 5 वर्ष की अन्यून अवधि के लिए या 40 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के इंजन वाले जलयान के इंजन कक्ष में छह वर्ष सेरंग, टिन्डल, या मुख्य ग्रेजर के रूप में सेवा की हो ;

परन्तु ऊपर उल्लिखित पांच या छह वर्ष की सेवा में से एक तिहाई सेवा, 10 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के वाष्प जलयान के इंजन कक्ष में की हो, अथवा

(घ) उसने किसी प्रमाणपत्र प्राप्त इंजीनियर के अधीन किसी कारखाने या मिल के इंजिनों के भारसाधक के रूप में कम-से-कम 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की हो और 85 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान के इंजन-कक्ष में एक वर्ष से अन्यून अवधि तक या 40 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान में 18 मास सेरंग, टिन्डल या मुख्य ग्रेजर के रूप में सेवा की हो, अथवा

(ङ) उसने वाष्प जलयान अधिनियम या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए वाष्प जलयानों के द्वितीय श्रेणी इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र सहित अथवा 85 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति इंजन वाले मोटर जलयान के इंजन-कक्ष मे उच्चतर श्रेणी प्रमाणपत्र सहित, कम-से-कम छह मास अथवा 40 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान में 9 मास सेवा की हो, अथवा

(च) उसने, वाष्प जलयान अधिनियम अथवा बन्दरगाह यान नियमों के नियम 29 के परन्तुक अथवा नव मंगलौर पत्तन (बन्दरगाह यान) नियम, 1976 के अधीन प्रदान किया गया अनुज्ञापत्र रखते हुए, 40 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे कम इंजनों वाले मोटर जलयान के इंजन ड्राइवर के रूप में कम से कम 2 वर्ष सेवा की हो, और उसके पश्चात् 40 से अधिक ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले जलयान के इंजन कक्ष में सेरंग, टिन्डल या मुख्य ग्रेसर के रूप में तीन वर्ष सेवा की हो :

परन्तु जब अभ्यर्थी 40 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे कम के इंजनों वाले लांचों में ऐसे अनुज्ञा पत्र के साथ लम्बी सेवा का सबूत पेश करता है तो उच्च शक्ति के लांचों में छह मास की सेवा के स्थान पर एक वर्ष की निम्न शक्ति लांचों के अनुपात में जिसकी अधिकतम छूट 18 मास की हो सकेगी, छूट या 40 ब्रेक अश्वशक्ति से अधिक के इंजनों सहित सेवा अनुज्ञात की जा सकेगी । छूट के लिए गणना की जाने वाली सेवा 40 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे कम के लांचों में अपेक्षित 2 वर्ष को छोड़कर होगी ।

37. अभ्यर्थी को विभिन्न किस्मों के अन्तर्दहन इंजनों को चालू करने की बाबत मौखिक परीक्षा समाधानप्रद रूप में उत्तीर्ण कर देनी चाहिए और मशीनरी के मुख्य भागों के नाम बताने में समर्थ होना चाहिए ।

38 (क) अभ्यर्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मशीनरी के विभिन्न भागों पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, विभिन्न वाल्वों, कार्कों, पाइपों और कनेक्शनों का उपयोग और प्रबंधकरण समझना चाहिए तथा सिलेन्डरों को वायु और ईंधन के प्रदाय को, विभिन्न पद्धतियों से सुपरिचित होना चाहिए ।

(ख) अभ्यर्थी को इंजन चालू करने में होने वाली कठिनाइयों के मुख्य कारण बताने में और यह स्पष्ट करने में समर्थ होना चाहिए कि उनसे सम्बद्ध किन्हीं त्रुटियों के उपचार के लिए वह क्या करेगा और उसे यह बताने में भी समर्थ होना चाहिए कि वह चालू करने और उत्क्रमण व्यवस्थाओं का यन्त्र रचना को समझता है और वह उसमें की त्रुटियों से निपटने में भी सक्षम है ।

(ग) अभ्यर्थी को इंजन को ओवरहाल करने, कार्यकर पुर्जों का समायोजन करने और इंजन को जोड़कर फिर से अच्छी कार्यकर हालत में लाने में समर्थ होना चाहिए । उसे यह भी समझना चाहिए कि मशीनरी को होने वाली साधारण टूटफूट के परिणाम की पूर्ति कैसे की जाए और दुर्घटनाओं से होने वाले नुक्सों को कैसे सुधारा जाए ।

29. (क) अभ्यर्थियों को अन्तर्दहन इंजनों में प्रयुक्त विभिन्न ईंधन तेलों की प्रवृत्ति और गुणधर्म से सुपरिचित होना चाहिए । उसे यह समझना चाहिए कि 'स्फुरांक' से क्या अभिप्रेत है ।

(ख) अभ्यर्थी को ईंधन तेल टंकियों के ध्वनन से होने वाले खतरे की जानकारी होनी चाहिए और विस्फोट के मुकाबले की जाने वाली पूर्वविधानियों की जानकारी होनी चाहिए । इंजनों के रुक जाने पर वाष्पित्र से होने वाले ज्वलनशील वाष्प से बचाव के लिए आवश्यक पूर्वविधानियां करने में भी समर्थ होना चाहिए । उसे इस बात या उसके प्रति कार्रवाई करने की भी जानकारी होनी चाहिए कि आग लगने पर उससे कैसे निपटा जाए ।

(ग) अभ्यर्थी को, अपेक्षा की जाने पर, परीक्षक की उपस्थिति में मोटर जलयान के इंजनों को वस्तुतः चालू करके अपना व्यावहारिक ज्ञान दर्शित करना चाहिए ।

(घ) अभ्यर्थी को उससे सम्बद्ध सहायक मशीनरी अर्थात् विद्युत लाईट इंजनों, स्टीयरिंग इंजनों, वाष्पित्रों और पम्पों का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए ।

प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाण पत्र के लिए अर्हताएं :

40. प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाण पत्र के अभ्यर्थी ने बाइस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए और उसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता होनी चाहिए, अर्थात् :—

(क) उसने वाष्प इंजनों के निर्माण या उनकी मरम्मत के कार्य में कम से कम 3 वर्ष शिक्षु के रूप में सेवा की हो और वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए वाष्प जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र को धारण करते हुए, 80 से अन्यून । नियत अश्वशक्ति के इंजन वाले स्टीमर में एक वर्ष सहायक के रूप में सेवा की हो, अथवा

(ख) समुद्र पर या अन्तर्देशीय जलक्षेत्रों में किसी स्टीमर के इंजन कक्ष में पांच वर्ष सेवा की हो जिस सेवा के दो वर्ष, वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन वाष्प जलयानों के लिए प्रदान किए गए द्वितीय वर्ग-इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र धारण करते हुए, 30 से अन्यून नियत अश्व शक्ति के योगिक पृष्ठीय संघनिक इंजनों वाले स्टीमर में वाच के भारसाधक सेरंग, मुख्य टिंडल या फायरमैन रहा हो, अथवा

(ग) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए वाष्प जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र सहित, ऐसे स्टीमर के जिस पर 30 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के योगिक पृष्ठीय संघनक इंजन लगे हों, मुख्य इंजनो और बायलरों पर वाच के भारसाधक नियत दिवतीय वर्ग ड्राइवर के रूप में एक वर्ष सेवा की हो।

(घ) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए वाष्प जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र सहित, 20 से अन्यन नियत अश्वशक्ति के योगिक पृष्ठीय संघनक इंजनों वाले स्टीमर के इंजनों के भारसाधक ड्राइवर के रूप में एक वर्ष सेवा की हो, अथवा

(ङ) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए वाष्प जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग ड्राइवर प्रमाणपत्र सहित, ऐसे स्टीमर के जिस पर 30 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के योगिक पृष्ठीय संघनक इंजन लगे हों मुख्य इंजनों और बायलरों पर वाच के भारसाधक सेरंग या प्रधान टिंडल के रूप में 18 मास सेवा की हो, अथवा

(च) उसने समुचित रूप में अर्हित प्रबंधक या इंजीनियर के अधीन किसी कारखाने या मिल के इंजनों के भारसाधक के रूप में 3 वर्ष और वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए वाष्प जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजिन ड्राइवर प्रमाणपत्र को धारण करते हुए ऐसे स्टीमर के जिसमें 80 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, सहायक इंजीनियर, इंजन का सेरंग या मुख्य टिंडल के रूप में दो वर्ष सेवा की हो।

41. उसे नियम 34 द्वारा अपेक्षित किन्तु अधिक उच्च स्तरीय परीक्षा जैसे द्वितीय श्रेणी इंजिन ड्राइवर प्रमाणपत्र के लिए मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

42. इसे प्राप्त हो जाने पर ऐसे सभी अन्य परीक्षणों की पूर्ति करने के पश्चात्, जिनके अधीन उसे दिया जाएगा स्टीमर के इंजनों को वस्तुतः चालू करके अपनी व्यवहारिक अर्हताओं को दर्शित करने में भी समर्थ होना चाहिए।

प्रथम वर्ग मोटर इंजन-ड्राइवर प्रमाणपत्र के लिए अर्हताएं

43. प्रथम वर्ग मोटर इंजन-ड्राईवर प्रमाणपत्र के लिए अभ्यर्थी ने 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उसके पास निम्नलिखित अर्हताओं में से कोई अर्हता होनी चाहिए, अर्थात :-

(क) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया, मोटर जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन-ड्राईवर प्रमाणपत्र धारण करते हुए, 666 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयानों के इंजन-ड्राइवर या मुख्य इंजनों पर नियमित वाच के रूप में कम से कम एक वर्ष सेवा की हो अथवा

(ख) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए मोटर जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र सहित 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयानों के मुख्य इंजनों पर वाच के भारसाधक द्वितीय ड्राइवर के रूप में 18 मास से अन्यून अवधि पर्यन्त सेवा की हो, अथवा

(ग) (i) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधिन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए मोटर जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजिन-ड्राइवर प्रमाणपत्र धारण करते हुए 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान के इंजन कक्ष में कम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की हो, जिस अवधि में से कम से कम एक वर्ष मुख्य सेरंग या मुख्य टिन्डल के रूप में सेवा की हो ;

(ii) यदि मोटर जलयान 170 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति का है तो उसने ऐसे जलयान में 6 वर्ष से अन्यून की अवधि तक सेवा की होनी चाहिए जिस अवधि में से कम-से-कम दो वर्ष वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधिन प्रदान किया गया मोटर जलयानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र धारण करते हुए सेरंग, मुख्य आयल लेने या मुख्य प्रेजर के रुप में सेवा की गई हो, अथवा

(घ) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधिन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए मोटर यानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राईवर प्रमाणपत्र के सहित, 113 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान के इंजन के भारसाधक ड्राइवर के रूप में 18 मास से अन्यून अवधि पर्यन्त सेवा की हो, अथवा

(ङ) उसने मोटर जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए मोटर यानों के लिए द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र के सहित, 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान में कम से कम दो वर्ष सेरंग, मुख्य टिन्डल या मुख्य ग्रेजर के रूप में सेवा की हो, अथवा

(च) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधिन इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया मोटर यानों के लिए द्वितीय श्रेणी ड्राईवर प्रमाणपत्र धारण करते हुए, किसी प्रमाणपत्र प्राप्त इंजीनियर के अधीन किसी कारखाने या मिल के इंजनों के भारसाधक के रूप में कम से कम तीन वर्ष की तथा 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयान के इंजन कक्ष में कम से कम एक वर्ष सहायक इंजीनियर, सेरंग मुख्य टिंडल या मुख्य ग्रेजर के रूप में सेवा की हो, अथवा

(छ) उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र धारण करते हुए, 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयानों के मुख्य इंजन की नियमित चौकसी पर के इंजन ड्राइवर के रूप में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, अथवा

(ज) उसने वाष्प-जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र धारण करते, हुए 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयानों के मुख्य इंजनों की नियमित चौकसी पर के इंजन ड्राईवर के रूप में कम से कम चार वर्ष सेवा की हो;

(झ) उसके पास वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के अधीन प्रदान किया गया समुद्रगामी वाष्प जलयानों का इंजन ड्राईवर प्रमाणपत्र होना चाहिए और उसने 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के मोटर जलयानों के मुख्य इंजनों के नियमित चौकसी पर कम से कम 1 वर्ष की अवधि पर्यन्त सेवा की हो।

44. उसने द्वितीय वर्ग मोटर इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र के लिए नियम 37 से 39 के अधीन अपेक्षित जैसी किन्तु अधिक उच्च स्तर की मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

इंजीनियर प्रमाण-पत्र के लिए अर्हताएं

45 इंजीनियर प्रमाणपत्र के लिए अभ्यार्थी की 22 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए और उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात :—

(क) (i) उसने चार वर्ष तक शिक्षु इंजीनियर के रूप में सेवा की हो और उसे यह साबित करना होगा कि अपनी शिक्षुता की अवधि के दौरान वह वाष्प इंजनों, बायलरों आदि के निर्माण या मरम्मत कार्य पर नियोजित था।

(ii) जलमैन का समय शिक्षुता के समतुल्य माना जाएगा

(iii) उपर वर्णित शिक्षुता के अतिरिक्त, आवेदक ने तत्पश्चात ऐसे स्टीमर में जिसमें 80 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के इंजन लगे हों, सहायक इंजीनियर के रूप में अथवा वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रथम वर्ग इंजन ड्राईवर प्रमाणपत्र के सहित, 30 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के यौगिक पृष्ठीय संघनक इंजनों वाले स्टीमर के इंजनों के भारसाधक ड्राईवर के रूप में दो वर्ष सेवा की हो ;

(iv) उपर्युक्त सेवा के न होने की दशा में, उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रथम वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र के सहित, 80 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के यौगिक पृष्ठीय संघनक इंजनों वाले अन्तर्देशीय जलयानों के इंजनों के भारसाधक के रूप में 3 वर्ष, अथवा 30 से अन्यून नियत अश्वशक्ति के अन्तर्देशीय जलयानों में इंजन के भारसाधक के रूप में चार वर्ष सेवा की हो ।

(ख) उसे विभिन्न वाल्वों, कार्कों, पाइपों और कनेक्शनों के प्रयोग और नियंत्रण के साथ-साथ बायलरों का विचरण और उन्हें एकत्र रखने की पद्धतियों का समाधानप्रद विचरण देने में समर्थ होना चाहिए ।

(ग) उसे दुर्घटना, क्षय आदि से हुए नुक्सों को ठीक करने और ऐसे नुक्सों की मरम्मत करने के साधनों की जानकारी होनी चाहिए ।

(घ) उसे जल गेज, वाष्प गेज, बैरोमीटर, थर्मामीटर और लवणता-मापी के प्रयोग और उन सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए जिन पर उनका निर्माण किया जाता है ।

(ङ) उसे पर्पटीभवन और संरक्षण के कारणों, उनके प्रभाव और प्राथमिक उपचारों की जानकारी होनी चाहिए ।

(च) उसे सलाइड वाल्वों के परीक्षण और उनके सेटिंग में परिवर्तन करने की पद्धतियों शैफ्टों की निर्वेगता के परीक्षण और उनके समायोजन की पद्धति स्पष्ट करने में समर्थ होना चाहिए ।

(छ) उसे वाष्प बायलर के लिए कार्यकर वाल्व और उसकी विवक्षाओं का काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए ।

(ज) उसे सहायक मशीनरी की जो उसके भारसाधन में दी जाए जैसे कि विद्युत लाइट इंजन (वाष्प और तेल) और डाइनेमों, विद्युत मोटरें, विभिन्न प्रकार के स्टीयरिंग इंजन द्रवचालित और प्रणोदन मशीनरी की बनावट की जानकारी और उन्हें काम चलाऊ हालत में रखने में समर्थ होना चाहिए ।

(झ) उसे उपकेन्द्रीय बकेट और प्लंजर पम्पों की बनावट और उस सिद्धांत की जानकारी होनी चाहिए जिस पर वे कार्य करते हैं ।

(ञ) उसे यह बताने में समर्थ होना चाहिए कि मशीनरी के किसी भाग के अपविन्यास या उसके पूर्णतः फेल हो जाने की दशा में अस्थायी या स्थायी मरम्मत किस प्रकार की जा सकती है ।

(ट) उसका हस्तलेख सुवाच्य होना चाहिए और उसे गणित की जिसमें साधारण भिन्न और दशमलव भिन्नें और वर्गमूल तथा घनमूल तक सम्मिलित हैं, अच्छी जानकारी होनी चाहिए । उसे सेफ्टी वाल्वों, कोयला उपयोग, कोयला उपभोग, भण्डारों के उपभोग, टंकियों, बकरों आदि की धारिता के बारे में के प्रश्नों पर इन नियमों के लागू किए जाने की जानकारी भी होनी चाहिए ।

(ठ) उसे साधारण उपयोग में आने वाले वाष्प इंजनों की विभिन्न संरचनाओं की बाबत, विभिन्न बाह्य और आंतरिक पुर्जों के विवरणों तथा प्रत्येक पुर्जे के उपयोग की बाबत श्रेयस्कर परीक्षा उत्तीर्ण करने में समर्थ होना चाहिए ।

(ड) उसे वहन, ऊष्मा, वाष्प और विद्युत से संबंधित मुख्य मुख्य तथ्यों का श्रेयस्कर ज्ञान होना चाहिए ।

(ढ) उसे विभिन्न किस्मों के समुद्री मोटर इंजनों, उनके कार्यकरण और उनके विभिन्न पुर्जों के उपयोगों का विवरण देने में समर्थ होना चाहिए ।

मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र के लिए अर्हताएं

46. मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र के अभ्यर्थी ने 22 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए और उसके पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए, अर्थात् :—

(क) (1) उसने वाष्प या मोटर इंजनों के निर्माण, फिटिंग और मरम्मत में शिक्षु इंजीनियर या जर्नमिन के रूप में कम-से-कम चार वर्ष तक इस प्रकार सेवा की हो जो समुद्री इंजीनियर के लिए उपयोगी प्रशिक्षण प्रदान करने वाली मानी जाएगी ।

(2) 15 वर्ष से कम आयु से पूर्व सेवाकृत किसी समय स्वीकार नहीं किया जायेगा । इस अवधि में कम-से-कम तीन वर्ष अन्तर्दहन इंजनों की फिटिंग, निर्माण या मरम्मत में व्यतीत किए गए होने चाहिए ।

(3) शेष वर्ष या तो पूर्णतः या भागतः इस प्रकार के कार्य में या समुद्रगामी इंजीनियरों की परीक्षा के लिए इन नियमों में यथाउल्लिखित किसी अनुमोदित तकनीकी स्कूल में व्यतीत किए गए होने चाहिए ।

(4) जर्नमिन के रूप में की गई सेवा शिक्षुता के समतुल्य समझी जाएगी, किन्तु 15 वर्ष से कम आयु का होने के पहले सेवाकृत कोई समय स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(5) यदि उपर्युक्त से भिन्न कर्मशाला सेवा को मोटर इंजीनियर के लिए उपयोगी माना जाता हो तो उसे स्वीकृत किया जा सकेगा, किन्तु अभ्यर्थी की परीक्षा ली जाने के पहले ऐसे सभी मामले प्रधान अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे और या तो निर्माणशाला में या इस इंजनों द्वारा नोदित जलयानों के मुख्य इंजन कक्ष में नियमित चौकसी पर समुद्री अन्तर्दहन इंजनों पर कम-से-कम 3 मास की अतिरिक्त अहर्कारी सेवा, इस प्रकार की प्रत्येक बारह मास की कर्मशाला सेवा की बाबत या इस प्रकार स्वीकृत अन्तर्दहन इंजनों के निर्माण या मरम्मत कार्य पर से भिन्न सेवा की जानी चाहिए ।

(6) यदि सेवा बिल्कुल ही संतोषजनक न हो तो विनिर्दिष्ट अवधि के अतिरिक्त दीर्घतर अवधि की सेवा की अपेक्षा की जा सकेगी ।

(7) अपेक्षित चार वर्ष की कर्मशाला सेवा में किसी कमी की अन्तर्दहन इंजिनों द्वारा नोदित 565 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के जलयान के मुख्य इंजन कक्ष में नियमित चौकसी पर की जहाजी सेवा द्वारा पूरा किया जा सकेगा ।

(8) यदि जलयान समुद्रगामी जलयान है तो कमी की अवधि का डेढ़ गुनी और यदि अन्तर्देशीय जलयान है तो कमी की अवधि सवा दो गुनी सेवा की जानी चाहिए । इस प्रकार, ऐसे अभ्यर्थी को जिसने कोई कर्मशाला सेवा नहीं की है, अपनी शिक्षुता के बदले में किसी उपयुक्त समुद्रगामी जलयान में छह वर्ष या अंतर्देशीय जलयान में नौ वर्ष सेवा करनी चाहिए ।

(ख) (1) अभ्यर्थी को ऊपर वर्णित कर्मशाला सेवा या अनुकल्पी जहाजी सेवा के अतिरिक्त, 565 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के अंतर्दहन इंजनों द्वारा नोदित समुद्रगामी पोत के मुख्य इंजनों पर नियमित चौकसी पर इंजीनियर के रूप में समुद्र पर 18 मास या समरूप अंतर्देशीय जलयान में 27 मास व्यतीत किए गए होने चाहिए ।

(2) उपरोक्त सेवा के न होने की दशा में, उसने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इस नियमों के अधीन प्रदान किए गए प्रथम वर्ग मोटर इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र के सहित, अंतर्दहन इंजनों द्वारा नोदित 565 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के अन्तर्देशीय या बंदरगाह जलयान के इंजनों के भारसाधक के रूप में तीन वर्ष अथवा 226 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के अन्तर्देशीय जलयान के इंजनों के भारसाधक के रूप में चार वर्ष का सेवा की हो।

(ग) ऐसा इंजीनियर भी, जिसके पास वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम या वाष्प जलयान अधिनियम या इन नियमों अधीन प्रदान किया या सक्षमता (वाष्प) प्रमाणपत्र है, नम्नलिखित नियमों के अधीन मोटर इंजीनियर प्रमाण पत्र का पात्र होगा:—

(1) उसने समुद्रगामी वाष्पपोती, का सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करते हुए जो कि अधिनियम की धारा 461 के अधीन प्रवर्तमान है, 565 से अन्यून अश्वशक्ति के अंतर्दहन इंजनों द्वारा नोदित समुद्रगामी पोत के मुख्य इंजनों पर नियमित चौकसी पर सहायक इंजीनियर के रूप में कम-से-कम छह मास समरूप अंतर्देशीय जलयान में नौ मास सेवा की हो। उसे परीक्षक का यह समाधान भी कर देना चाहिए कि वह अंतर्दहन इंजनों से पूर्णतः अवगत है और उसे लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों में यह दर्शित करने में समर्थ होना चाहिए नियमों के नियम 33 से 38 और 43 से 45 के अंतर्गत आने वाले विषयों को पर्याप्त जानकारी है, अथवा

(2) उसे समुद्रगामी पोतों के लिए द्वितीय वर्ग सक्षमता प्रमाणपत्र धारण करते हुए, जो अधिनियम की धारा 461 के अधीन प्रवर्तमान है, 565 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के अंतर्दहन इंजनों द्वारा नोदित समुद्रगामी पोत के मुख्य इंजनों पर नियमित चौकसी पर सहायक इंजीनियर के रूप में कम-से-कम 12 मास अथवा समरूप अंतर्देशीय जलयान में 18 मास सेवा की हो। उसे परीक्षक का यह समाधान भी करना ही चाहिए कि वह अंतर्दहन इंजनों से पूर्णतः अवगत है और उसे लिखित और मौखिक परीक्षा दोनों में यह दर्शित करने में समर्थ होना चाहिए कि उसे इन नियमों के नियम 33 से 38 और 43 से 45 के अन्तर्गत आने वाले विषयों की पर्याप्त जानकारी है, अथवा

(घ) ऐसे इंजीनियरों को भी, जिनके पास वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया इंजीनियरी के रूप में साधारण सक्षमता प्रमाण पत्र है, मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र के प्रदान किए जाने के लिए परीक्षा ली जा सकेगी:

परन्तु यह तब जब कि उन्होंने वाष्प जलयान अधिनियम के अधीन या अब इन नियमों के अधीन प्रदान किया गया इंजीनियर प्रमाणपत्र धारण करते हुए, 565 से अन्यून ब्रेक अश्वशक्ति के अन्तर्दहन इंजनों द्वारा नोदित समुद्रगामी पोत के मुख्य इंजनों पर नियमित चौकसी पर सहायक इंजीनियर के रूप में कम-से-कम 12 मास सेवा की हो या समरूप अंतर्देशीय जलयान पर 18 मास सेवा की हो।

(ङ) उसका लेख सुवाच्य होना चाहिए और उसे गणित की जिसमें साधारण भिन्न और दशमलव भिन्नें तथा वर्गमूल तक सम्मिलित है, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उसे संबंधित या स्थिर भारित सुरक्षा और मोचन वाल्वों से संबंधित प्रश्नों को हल करने, तेल और भण्डार के उपयोग, टैंकों, बंकरों आदि को धारित जलयानों की गति और इसी प्रकार की अन्य समस्याओं को हल करने में भी समर्थ होना चाहिए।

(च) उसे उन सिद्धांतों का सुनिश्चित स्पष्टीकरण देने में समर्थ होना चाहिए जिन पर आयल, गैस या अन्य अन्तर्दहन इंजन चलते हैं जिनके अन्तर्गत ज्वलन की पद्धतियां आती हैं, उनके बीच का अंतर बताने तथा दृष्टान्तिक विवरणों द्वारा या अन्यथा यह दर्शित करने में समर्थ होना चाहिए कि वह साधारण उपयोग में आने वाले इन के विनिर्माणों के ब्यौरों को समझता है।

(छ) उसे विभिन्न प्रकार के इंजनों के सिलैण्डरों को हवा और ईंधन का प्रदाय करने की विभिन्न पद्धतियों से, ईंधन को कारबोरेट करने, एटोमाइजक करने या गैस बनाने के लिए साधित्रों के सन्निर्माण और सिलैण्डरों, पिस्टनों आदि को ठंडा करने के साधनों से सुपरिचित होना चाहिए।

(ज) उसे कर्मशाला के अंतर्दहन इंजनों के सन्निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रिया और मशीनरी और पोत को मशीनरी की फिट करने में प्रयुक्त पद्धतियों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए।

(झ) उसे यह जानना चाहिए कि मशीनरी के विभिन्न भागों पर कितना ध्यान दिया जाना चाहिए और विभिन्न वाल्वों, कार्कों, पाइपों, और कनेक्शनों के प्रयोग और नियन्त्रण की जानकारी होनी चाहिए।

(ञ) उसे वे मुख्य कारणों को बताने और वर्णित करने में समर्थ होना चाहिए जिनके कारण इंजन के चालू करने में कठिनाई होती है और उसे यह भी स्पष्ट करने में सार्थ होना चाहिए कि उससे होने वाले नुक्सों को वह कैसे ठीक करेगा। उसे यह दर्शित करने में भी समर्थ होना चाहिए कि वह चालू करने और उत्क्रमण विरचना को समझता है और उनमें की त्रुटियां को दूर करने के सक्षम है।

(ट) उसे यह समझना चाहिए कि मशीनरी को होने वाली साधारण टूट-फूट के परिणामों की प्रतिपूर्ति कैसे की जाए, बैरिंग्स आदि की उपयुक्तता को कैसे परखा जाए, दुर्घटना, विलम्ब आदि से होने वाली त्रुटियों को किस प्रकार ठीक किया जाए और अपविन्यास या पूर्ण भंजन की दशा में अस्थायी या स्थायी मरम्मत किस प्रकार की जाए।

(ठ) उसे दाब गेज, बेरोमीटर, थरमामीटर और इंजन कक्ष में प्रयुक्त होने वाले अन्य उपकरणों के सन्निनिर्माण और उन सिद्धांतों को जिन पर वे काम करते हैं, जानकारी होनी चाहिए।

(ड) उसे अपकेन्द्री बकेट और प्लंजर पम्पों के सन्निनिर्माण और कार्यकरण और उन सिद्धांतों का जानकारी होनी चाहिए जिन पर वे काम करते हैं।

(ढ) उसे वायु संपीडकों, गैस उत्पादकों, स्टीयरिंग इंजनों, विद्युत लाइट इंजनों और डाइनेमों, विद्युत मोटरों, द्रवचालित प्रशीतन और पोत पर पाई जाने वाली अन्य सहायक मशीनरी के विनिर्माण और कार्यकरण की जानकारी होनी चाहिए।

(ण) उसे सहायक वाष्प बायलरों और मशीनरी के सन्निनिर्माण और नियंत्रण का पर्याप्त काम चलाऊ ज्ञान होना चाहिए और उसे वहन, उष्मा और वाष्प से संबंधित मुख्य तथ्यों से सुपरिचित होना चाहिए।

(त) उसे विभिन्न प्रकार के तेलों आदि की जिनका उपयोग सामान्यतः अन्तर्दहन इंजनों में किया जाता है, प्रकृति और गुण धर्म से सुपरिचित होना चाहिए और उसे यह समझना चाहिए कि स्फुरांक से क्या अभिप्रेत है और उसे इन तेलों आदि से निकाली हुई वाष्प के गैस को तब जब वह वायु की निश्चित मात्राओं से मिश्रित हो, विस्फोटक गुणधर्म का ज्ञान होना चाहिए और उसे ऐसी गैसें या वाष्प के खुली बत्ती से प्रभावन के या ऐसी तेल टंकियों से विशेषकर जलयानों के नितलों में और बन्द जगहों में या गैस उत्पादकों, पाइपों, वाष्पित्रों आदि से कोई रिसन होने देने के खतरे से पूर्णतया सुपरिचित होना चाहिए।

(थ) उसे तेल या गैस से अग्नि या विस्फोट के प्रति पूर्वावधानियों की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि यदि आग लग जाए तो उससे कैसे कैसे निपटना चाहिए। उसे सार जाली डायाफ्रामों की क्रिया से भी सुपरिचित होना चाहिए, जब कि उन्हें तेल टंकियों आदि के पाइपों और कनेक्शनों में, उनमें की तेल वाष्प के विस्फोट या ज्वलन के निवारण के प्रयोजन के लिए लगाया जाए।

(द) उसे प्राथमिक और द्वितीय के बैटेरियों और प्रेरण कुंडलियों की मुख्य बनावट और व्यवस्था को स्पष्ट करने में समर्थ होना चाहिए। जहां तक कि वह आयल इंजन के दक्ष नियन्त्रण के लिए आवश्यक है।

(ध) उस मशीनरी के कुछ साधारण भागों का रेखाचित्र बनाने में समर्थ होना चाहिए।

परिक्षाओं से संबंधित साधारण नियम

इंजीनियर

47. परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के उपयोग के लिए आवश्यक सभी पुस्तकें दी जाएंगी और आवेदकों को परीक्षा कक्ष में कोई पुस्तक कागज, दस्तावेजों या किसी भी प्रकार के कोई पत्रक ले जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उन्हें स्लेट या रद्दी कागज पर अपनी समस्याओं को हल नहीं करने दिया जाएगा।

48. अभ्यर्थियों को आवंटित समय में अपने कार्य के किसी भी भाग को रद्द करने दिया जाएगा और जब आवश्यक होगा, परीक्षक द्वारा उन्हें अतिरिक्त कागज दिए जाएंगे। ये अतिरिक्त पत्रें परीक्षा-पत्रों के साथ संलग्न कर दिए जाने चाहिएं और वे उनके भाग होंगे।

49. यदि परीक्षा के समय के दौरान किसी अभ्यर्थी को किसी दूसरे की नकल करते हुए या किसी दूसरे को कोई सहायता देते हुए या कोई जानकारी देते हुए या किसी दूसरे के साथ किसी भी रूप में संपर्क करते हुए पाया गया जाएगा तो यह समझा जाएगा कि वह अपनी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया है और उसे तीन मास के लिए उसी रीति में परीक्षा से लौटा दिया जाएगा मानों वह परीक्षा के व्यावहारिक भाग में अनुत्तीर्ण हो गया हो और उसे फीस का कोई भाग उसे लौटाया नहीं जाएगा जो कि उसने परीक्षा के लिए संदाय किया हो।

50. यदि कोई अभ्यर्थी किसी ऐसे प्रश्न का जो उसे दिया गया है, उत्तर देने से पूर्व कक्षा से चला जाता है तो बाद में उसे उसका उत्तर देने की अनुज्ञा नहीं दी जा सकती किन्तु परीक्षक उसके स्थान पर अन्य उपात्त या कोई अन्य प्रश्न दे सकता है।

51. (क) मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र के अभ्यर्थियों की परीक्षा के तीन भाग होते हैं—गणित, प्रारम्भिक प्रश्न और मौखिक परीक्षा। जब गणित में प्राप्त अंकों की संख्या अधिकतम संख्या की दो तिहाई होती है तो अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण हो जाता है।

(ख) मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र की परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले सभी आवेदकों को दस प्रश्नों के लिखित उत्तर देने होंगे। इन प्रश्नों का आशय अभ्यर्थी की परीक्षा के समय कुछ हद तक उसके ज्ञान का प्रलेख देना है और अभ्यर्थियों को अपने हस्तलेख और वर्तनी की ओर अधिक ध्यान देने के लिए उत्प्रेरित करना है।

52. आवेदक के अपने अनुभव से संबंधित कुछ प्रश्नों को जिनका उसके द्वारा लिखित रूप में उत्तर दिया जाना है, प्ररूप 7 में सम्मिलित किए जाएंगे।

53. परीक्षक वाष्प-इंजनों और बायलरों के व्यावहारिक नियंत्रण से संबंधित मौखिक प्रश्न सम्मिलित कर सकेगा।

54 यदि अनुज्ञात समय की समाप्ति पर, अभ्यर्थी ने अपने को दिये गये सभी प्रश्न ठीक-ठीक हल कर लिए हैं और मौखिक परीक्षा में समाधानप्रद उत्तर दिए हैं तो उसे उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जाएगा।

55. यदि अनुज्ञात समय की समाप्ति पर, उसने अपने को दिए गए सभी प्रश्न हल नहीं किए हैं, किन्तु यदि ऐसे प्रश्नों के जो उसने हल कर लिए हैं, उत्तरों के साथ ही साथ ली गई मौखिक परीक्षा का परिणाम परीक्षक का यह समाधान करने के लिए पर्याप्त है कि आवेदक इंजनों का भारसाधन संभालने में सक्षम है तो उसे उत्तीर्ण हुआ घोषित किया जाएगा।

56 अन्य मामले में उसे अनुत्तीर्ण हुआ घोषित किया जाएगा।

57. परीक्षक द्वारा परीक्षा की रिपोर्ट और परीक्षा पत्र विहित प्ररूप में प्रधान अधिकारी को भेजे जाएंगे।

58. यदि अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाता है तो उसे उस आशय का एक प्ररूपिक नोट दिया जाएगा जिस पर प्रधान अधिकारी अभ्यर्थी को प्रमाण-पत्र जारी करेगा और उसके प्रशंसा पत्र आदि उसी समय उसे वापस कर दिए जाएंगे।

फीस

59. (क) अभ्यर्थियों को परीक्षा के अपने आवेदन देते समय किसी भी कार्यवाही के किए जाने से पूर्व, चाहे वह उनकी सेवाओं के बारे में कोई जांच हो या उनकी अर्हताओं का परीक्षण आदि हो, परीक्षा फीस का संदाय करना होगा।

(ख) किसी भी परिस्थितियों में फीस का कोई भी भाग उन्हें लौटाया नहीं जाएगा, किन्तु यदि यह पाया जाए कि उन्हें परीक्षा देने का उन्हें हकदार बनाने के लिए उनकी सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं या यह कि उनके प्रशंसा पत्र असमाधानप्रद हैं तो उन्हें कोई और फीस दिए बिना परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब कि उन्होंने, यथास्थिति अपेक्षित सेवा की पूर्ति कर दी हो या वे समाधानप्रद प्रशंसापत्र प्रस्तुत करने में समर्थ हों।

(ग) (1) परीक्षा के लिए प्रधान फीस अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) किसी ऐसे मामले में, जिसमें अभ्यर्थी किसी अन्य अधिकारी को रकम दे देता है, इस प्रकार रकम देने वाले व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने अवचार का कार्य किया है और उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और 12 मास तक उसे परीक्षा देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(घ) यदि अभ्यर्थी अपनी परीक्षाओं में असफल हो जाता है तो, उस फीस का जिसका उसने संदाय किया है, कोई भी भाग उसे वापस नहीं किया जायेगा।

(ङ) फीसें निम्न प्रकार होंगी :—

द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र या द्वितीय वर्ग मोटर इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र———10 रुपये

प्रथम वर्ग इंजिन ड्राइवर या प्रथम वर्ग मोटर इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र ——15 रुपये

इंजीनियर या मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र——20 रुपये

असफलता

60. यदि आवेदक मौखिक परीक्षा या परीक्षा के प्रायोगिक भाग में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह पुनः परीक्षा के लिये तब तक उपस्थित नहीं हो सकेगा जब तक वह तीन मास की और हाजिरी सेवा का सबूत प्रस्तुत नहीं कर देता है। यदि वह केवल गणित में अनुत्तीर्ण होता है तो

वह किसी भी समय पुनः परीक्षा में दे सकेगा । सेरंग या मुख्य टिण्डल या द्वितीय ड्राइवर के रूप में छः मास सक्रिय सेवा के पश्चात् इंजन ड्राइवरों की नये सिरे से परीक्षा ली जा सकती है, यदि गत परीक्षा से यह दर्शित होता हो कि उनसे युक्तियुक्त रूप से अर्हित होने की आशा की जा सकती है ।

साधारण

61. इंजीनियर और मोटर इंजीनियर प्रमाणपत्र, प्रथम और द्वितीय वर्ग इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र तथा प्रथम और द्वितीय वर्ग मोटर इंजन ड्राइवर प्रमाणपत्र प्ररूप 8 में तैयार और जारी किये जायेंगे ।

62. ऐसे प्रत्येक प्रमाणपत्र की दो प्रतियां तैयार की जायेंगी और ऐसे प्रमाणपत्र का हकदार प्रत्येक व्यक्ति परीक्षक को पासपोर्ट आकार के अपने फोटोग्राफ की दो प्रतियां देगा जिनमें से एक-एक प्रमाणपत्र की प्रत्येक प्रति पर चिपकाई जायेगी । प्रमाणपत्र की एक प्रति प्रमाणपत्र पाने के हकदार व्यक्ति को परिदत्त कर दी जायेगी और दूसरी वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी द्वारा रखी और अभिलिखित की जायेगी ।

अध्याय 4

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले 40 से अन्यून के ब्रेक अश्वशक्ति 15 नियत अश्वशक्ति से अन्यून के । मोटर वाष्पजलयान के इंजीनियर या मोटर ड्राइवरों की अनुज्ञापत्रों के प्रदान के लिये नियम ।

63. अनुज्ञापत्र उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे जो अपेक्षित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं और अन्यथा अपेक्षित शर्तों का अनुपालन करते हैं । इस प्रयोजन के लिये नव मंगलौर पत्तन पर समय-समय पर परीक्षायें की जाने की व्यवस्था की जायेगी ।

परीक्षा :—

64. (क) परीक्षायें वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास (जिसे इसमें आगे परीक्षक कहा गया है) द्वारा की जायेंगी ।

(ख) वे पूर्वाह्न में शीघ्र ही प्रारम्भ होंगी और तब तक चलती रहेंगी जब तक उन सभी अभ्यर्थियों की जिनके नाम परीक्षा के दिन परीक्षक की सूची में दिये गये हैं, परीक्षा नहीं ले ली जाती ।

(ग) (1) परीक्षा के अभ्यर्थी अपने आवेदन प्ररूप 9 में देंगे जो प्रधान अधिकारी या ऐसे पदधारी के समक्ष भरे जायेंगे जिसे उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाये ।

(2) उचित रीति से भरा गया प्ररूप, आवेदक की सेवा के प्रशंसा-पत्रों सहित जो नियोजक के कार्यालय के अभिलेखों पर आधारित होने चाहिये, परीक्षा के दिन से कम-से-कम 3 दिन पूर्व उपसंरक्षक को प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) परीक्षा के अभ्यर्थियों को, प्ररूप 9 में अपने आवेदन करते समय 4 रुपये फीस भी प्रधान अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी को देनी होगी ।

(ङ) अनुज्ञापत्र के अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिये और उसने किसी इंजीनियर फर्म या कर्मशाला में कम से कम लगातार दो वर्ष तक सेवा की हो जिसमें से कम-से-कम छह मास किसी मोटर इंजीनियर या फिटर के भारसाधक सहायक की हैसियत में व्यतीत किये गये हों ।

(च) उसने मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो जिसमें उसने परीक्षक का यह समाधान कर दिया हो कि :—

(1) उसे मोटर इंजनों के चालू करने और नियन्त्रित करने तथा मेगनेटों, कारबुरेटरों, जल परिचालन और तेल पम्पों, चिनगारी प्लागों आदि के पृथक-पृथक प्रयोग की पूर्ण जानकारी है और एक सीमा तक वह उनके प्रचालन के वास्तविक उपायों को समझाने में समर्थ है ।

(2) उसे मोटर इंजनों और उनके किसी भी सहायक पुर्जे को खोलने, उसकी अत्यधिक घिसाई या अन्य नुकसे का जहां कि वह मौजूद है, पता लगाने और भागों को पुनर्संयोजित करने में समर्थ होना चाहिये ।

(3) उसको यह बताने में समर्थ होना चाहिये कि इंजन के चालू न होने या उसके किसी सहायक पुर्जे के ठीक प्रकार से काम न करने की दशा में खराबी क्या है ।

(4) उसे यह बताने में समर्थ होना चाहिये कि वह अग्नि से होने वाले खतरों से पूर्णतया परिचित है और उसके निवारण के लिये आवश्यक पूर्वविधानियों की उसे जानकारी है, और वह यह भी जानता है कि आग के वस्तुतः लग जाने पर क्या करना चाहिये ।

(5) उसको यह बताने में समर्थ होना चाहिये कि मशीनरी के किसी भाग के फेल हो जाने की दशा में वह क्या करेगा ।

(छ) यदि अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो जाता है तो प्रधान अधिकारी नीचे दिये गये प्ररूप में उसे एक अनुज्ञापत्र देगा :—

प्ररूप—1

(नियम 5 देखिए)

निम्नलिखित रूप के कार्य करने के लिये प्रमाणपत्र के लिये परीक्षा ली जाने के लिये आवेदन :—

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले :—

100 से कम नियत अश्वशक्ति । किसी ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले वाष्प जलयान

---का मास्टर

556 से कम ब्रेक अश्वशक्ति । किसी ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान

अथवा

40 से कम नियम अश्वशक्ति इंजनों वाले वाष्प जलयान

---का सेरंग

220 से कम ब्रेक अश्वशक्ति इंजनों वाले मोटर जलयान

अपेक्षित विशिष्टियां भरने से पहले अभ्यर्थियों को खण्ड (ङ) में की सूचना और घोषणा को सावधानी से पढ़ लेना चाहिये ।

(क) अभ्यर्थी का नाम आदि

पूरा नाम	जन्म तारीख और स्थान	स्थायी पता जिसमें नगर या ग्राम का नाम, गली और मकान की संख्या और उस व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो) बतायें जिसके साथ निवास कर रहा हो।

(ख) सभी पूर्वतन प्रमाणपत्रों की (यदि कोई हो) विशिष्टियां:

संख्या	सक्षमता सेवा या "और-एन-आर"	श्रेणी	कहां जारी किया गया	जारी करने की तारीख	यदि किसी समय रद्द या निलंबित किया गया हो तो यह बतायें कि किस न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किया गया।	तारीख

(ग) अब अपेक्षित प्रमाणपत्र :—

श्रेणी	पता जिस पर वह भेजा जाता है	तारीख	पत्तन जिसके लिये प्रमाणपत्र अपेक्षित है	वह विषय जिसमें अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुआ है

(घ) जो प्रमाणपत्र अब अपेक्षित है उसके लिये यदि अभ्यर्थी किसी पूर्वतन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, तो उसे यहां वह बताना चाहिये—कहां कब (अनुत्तीर्ण) हुआ। यदि वह (अनुत्तीर्ण) नहीं हुआ तो उसे इस खण्ड के सामने लिखित रूप में ऐसा कथन करना चाहिये

(ङ) प्रमाणपत्र प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला को भेजा जायेगा।

घोषणा (1) पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये और ——————रु० फीस मैंने प्राप्त की।

तारीख ——————19

उप संरक्षक
नव मंगलौर पत्तन

(च) परीक्षाओं का प्रमाणपत्र

परीक्षा की तारीख और स्थान		उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण
तारीख	स्थान	

(छ) अभ्यर्थी का वैयक्तिक विवरण

ऊंचाई		रंगरूप	वर्ण		विशिष्टियों का, यदि कोई हो, वैयक्तिक चिह्न
फुट	इंच		बालों का	आंखों का	

मैं प्रमाणित करता हूं कि खण्ड (च) और (छ) में दी गई विशिष्टियां सही हैं और अभ्यर्थी ने सेवा के समाधानप्रद शंसापत्र और सबूत पेश कर दिये हैं।

तारीख——————19——————

उप संरक्षक
नव मंगलौर पत्तन

(ज) शंसापत्रों की सम्पूर्ण सूची और आरम्भ से, या वर्तमान प्रमाणपत्र की तारीख से, सेवा का पूर्ण विवरण।

शंसापत्रों की निम्नलिखित विवरण के प्रथम स्तम्भ में दी हुई संख्या के अनुसार क्रम से संख्यांकित किया जाये।

शंसापत्रों की पोत का नाम यदि कोई हो संख्या	पोत टन भार और नियत अश्वशक्ति की विशिष्टियां	आवेदक की सेवा की विशिष्टियां: क्षमता	प्रारम्भ की तारीख	पर्यवसान की तारीख	सेवा की अवधि: वर्ष	मास	दिन	ट्रेड जिस में नियोजित है	टिप्पणी	संस्थापक के हस्ताक्षर

कुल सेवा

सेवाकृत समय जिसके लिये अब प्राधिकारीक सबूत पेश किया गया है।

सेवाकृत समय जिसके लिये कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

(झ) अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा

(सूचना कोई भी व्यक्ति जो अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये सक्षमता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिये कोई मिथ्या व्यपदेशन करता है या कराता है या दिये जाने में सहायता करता है, अभियोजन के दायित्वाधीन होगा)।

मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के खंड (क), (ख), (ग), (घ) और (ज) में दी गई विशिष्टियां मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और सत्य है कि तथा खंड (ग) में प्रमाणित और इस प्ररूप के साथ भेजे गये कागज पत्र सत्य और असली दस्तावेज हैं और वे उन व्यक्तियों द्वारा दिये गये और हस्ताक्षरित किये गये हैं जिनके नाम उन पर दिये हुए हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि विवरण (ज) में मेरी संपूर्ण सेवाओं का निरपवाद रूप से सही और सत्य वृत्तांत लिया गया है।

तारीख——————19——————

नव मंगलौर पत्तन के उप संरक्षक के समक्ष हस्ताक्षर किये गये
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
वर्तमान पता

प्ररूप 2

[नियम 9(ख) देखिए]

दृष्टि परीक्षण में परीक्षा ली जाने के लिये आवेदन

(क) अभ्यर्थी का नाम, आदि

1. पूरा नाम

2. उपनाम

3. स्थायी पता जिसमें नगर या ग्राम का नाम, गली और मकान की संख्या और उस व्यक्ति का नाम (यदि कोई हो) बताइये जिसके साथ निवास कर रहे हों ।

4. जन्म तारीख

5. जन्म स्थान (नगर या ग्राम) देश और/या जिला

6. यदि अभ्यर्थी ने समुद्र पर सेवा की है तो बतायें :—

(1) कितने वर्ष

(2) प्रमाणपत्र का (यदि कोई हो) वर्तमान निर्धारण संख्या और श्रेणी

7. यदि अभ्यर्थी ने समुद्र पर सेवा नहीं की है, तो बतायें :—

(1) समुद्र पर जाने वाला है ।

(2) किसी हैसियत में ।

(ख) यदि दृष्टि परीक्षणों में अभ्यर्थी की पहले परीक्षा कर ली गई है तो उसे यहाँ यह बताना चाहिए कि अन्तिम परीक्षा कब और कहाँ हुई थी और उसे प्रत्येक विषय के सामने यथास्थिति "उत्तीर्ण", "अनुत्तीर्ण" या "परीक्षा नहीं ली गई" लिखना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के पास सक्षमता प्रमाणपत्र है तो उसकी वर्ण दृष्टि में परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए और "परीक्षा नहीं ली गई" प्रविष्टि खण्ड 2 में दर्ज की जानी चाहिए।

8. तारीख

9. पत्तन

10. रूप दर्शन परीक्षण

पुराना नया

11. वर्ण दर्शन परीक्षण

(ग) अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के खण्ड (क) और (ख) में दी गई विशिष्टियाँ मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही हैं और सत्य है।

और मैं यह घोषणा शुद्ध अन्तःकरण से इस विश्वास के साथ करता हूं।

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(घ) फीस की उपसंरक्षक की रसीद

12. प्राप्त हुई रकम—एक रुपया

13. प्राप्ति की तारीख

14. स्थान जिस पर प्राप्त की

उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए और निर्धारित फीस मैंने प्राप्त की ।

उपसंरक्षक

नव मंगलौर पत्तन

(ङ) परीक्षक का प्रमाणपत्र

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर नामित अभ्यर्थी की आज रूप और वर्ण दृष्टि के लिए परीक्षणों में मेरे द्वारा परीक्षा की गई जिसके परिणाम निम्नलिखित रहे ।

पुराना+ नया+

15 रूप दर्शन परीक्षण

16 वर्ण दर्शन परीक्षण†

नव मंगलौर पत्तन

तारीख ..... परीक्षक

सेवा में,

प्रधान अधिकारी,

वाणिज्यिक समुद्री विभाग,

मद्रास जिला, मद्रास

परीक्षक इस प्ररूप को भरेगा और उसे प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला, मद्रास को भेजेगा ।

†वर्ण दर्शन परीक्षण में यथास्थिति, "उत्तीर्ण" या "अनुत्तीर्ण" लिखिये । यदि अभ्यर्थी के पास सक्षमता प्रमाणपत्र है तो "परीक्षा नहीं ली गई" प्रविष्टि होनी चाहिए ।

प्ररूप-3

[नियम 10(ख)(ii) देखिए]

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

.....

पत्तन रोटेशन सं०

तारीख 197

दृष्टि परीक्षण

परीक्षक के लिए टिप्पण.—प्रत्येक ऐसी दशा में, जिसमें अभ्यर्थी रूप या वर्ण दर्शन के लिए परीक्षण उत्तीर्ण नहीं करता है, उस प्ररूप में रिपोर्ट प्रधान अधिकारी को भेजी जाएगी। अभ्यर्थियों की वर्ण परीक्षण में तब तक परीक्षा नहीं ली जाएगी जब तक उन्होंने रूप दर्शन परीक्षण उत्तीर्ण न कर लिया हो।

अभ्यर्थी का नाम आदि।

1. पूरा नाम
2. उपनाम
3. जन्म तारीख
4. जन्म स्थान
5. यदि अभ्यर्थी ने समुद्र पर सेवा की हो तो बताएं :—
   (1) कितने वर्ष ।
   (2) प्रमाणपत्र का (यदि कोई हो) वर्तमान निर्धारण संख्या और श्रेणी।
6. यदि अभ्यर्थी ने समुद्र पर सेवा नहीं की है तो बताएं :—
   (1) क्या समुद्र पर जाने वाला है ?
   (2) किस हैसियत में ?

यदि दृष्टि परीक्षणों में अभ्यर्थी की पहले परीक्षा कर ली गई है तो यह बताना चाहिए कि अन्तिम परीक्षा कब और कहां हुई थी और प्रत्येक विषय में सामने यथास्थिति "उत्तीर्ण" "अनुत्तीर्ण" या "परीक्षा नहीं ली गई" लिखिए :—

7. तारीख
8. पत्तन
9. रूप दर्शन परीक्षण :—

   पुराना* उपान्तरित नया पूर्ण नया

10. वर्ण दर्शन परीक्षण

    अभ्यर्थी का वर्तमान विवरण :—

11. ऊंचाई फुट इंच
12. रंगरूप
13. निम्नलिखित का वर्ण :—
    (1) बाल
    (2) आंखें
14. वैयक्तिक चिह्न या विशिष्टियां, यदि कोई हों।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
वर्तमान पता

मेरा निवेदन है कि मैंने ऊपर नामित अभ्यर्थी की बाबत सूचना दे दी है कि वह परीक्षण या (क) रूप दर्शन (पुराना परीक्षण) (नया परीक्षण), (ख) वर्ण दर्शन में अनुत्तीर्ण हो गया है।

परीक्षक के हस्ताक्षर

सेवा में,

प्रधान अधिकारी,
वाणिज्यिक समुद्री विभाग,
जिला

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

रूप दर्शन

(1) क्या अभ्यर्थी रूप दर्शन के परीक्षण में उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण।

(2) यदि अभ्यर्थी अपेक्षित मानक तक पहुंचने में असफल रहता है तो निम्नलिखित सारणी भरी जानी चाहिए और उसे इस बाबत अनुदेशों के लिए प्रधान अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि अभ्यर्थी को उत्तीर्ण माना जाए या अनुत्तीर्ण

*आंख	उपयोग में लाई गई शीटें	प्रत्येक शीट की प्रत्येक पंक्ति में की गई गल्तियों की संख्या						
		पहली पंक्ति	दूसरी पंक्ति	तीसरी पंक्ति	चौथी पंक्ति	पांचवी पंक्ति	छठी पंक्ति	सातवीं पंक्ति
	पहली							
	दूसरी							
	तीसरी							
	चौथी							

*यह बताएं क्या अभ्यर्थी ने दोनों आंखों का प्रयोग एक साथ किया या केवल अपनी बेहतर आंख का प्रयोग किया।

(3) प्रकाश की स्थिति क्या थी जब अभ्यर्थी की परीक्षा ली गई थी।

वर्ण दर्शन

(1) क्या अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुआ है अथवा मामला वर्ण दर्शन के परीक्षण में निर्देशित किया गया है।

साधारण टिप्पणियां और लैंटर्न परीक्षण में की त्रुटियों का अभिलेख

प्ररूप—4

[नियम 10(ख) (4) देखिए]

एक्स० 16ए (भारत)
दृष्टि परीक्षण

परीक्षक का प्रमाणपत्र

परीक्षा का स्थान
नाम
आयु
जन्म स्थान
निर्धारण :
वर्ण : आंखों का, बालों का रंग रूप

जो शब्द लागू न हों उसे काट दें

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

एक्स० 16ए (भारत)

नाम और उपनाम
जन्म स्थान
ऊंचाई
रंग रूप
वैयक्तिक चिह्न या विशिष्टयां (यदि कोई हों)
परीक्षा का परिणाम

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें

तीन मास के भीतर स्थानीय रूप से पुनः परीक्षा की जा सकेगी।

भारत सरकार के आदेश के सिवाय स्थानीय रूप से पुनः परीक्षा नहीं की जा सकेगी।

दृष्टि परीक्षण

परीक्षक का प्रमाणपत्र

अभ्यर्थी का नाम और विवरण

आयु
निर्धारण
वर्ण : आंखों का बालों का

तीन मास के भीतर स्थानीय रूप से पुनःपरीक्षा की जा सकेगी।

भारत सरकार के आदेश के सिवाय स्थानीय रूप से पुनः परीक्षा नहीं की जा सकेगी।

भारत सरकार के आदेश के सिवाय स्थानीय रूप से पुनः परीक्षा नहीं की जा सकेगी।

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई विशिष्टियां सही है

तारीख 197

परीक्षक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

तारीख

परीक्षक के हस्ताक्षर

भाग-68

*पुनःपरीक्षा के लिए आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र पेश करना चाहिए।

प्ररूप 5

(नियम 24 देखिए)

सक्षमता प्रमाणपत्र

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले—

100 से कम नियत अश्वशक्ति/किसी नियत
अश्वशक्ति के इंजनों वाले वाष्प जलयान
————————————के मास्टर के रूप में
565 से कम ब्रेक अश्वशक्ति/किसी नियत
अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयानों

40 से कम नियत अश्वशक्ति के इंजनों वाले वाष्पयानों
————————————के सेरंग के रूप में
226 से कम नियत अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयानों

सेवा में

. . . .

. . . .

चूंकि आपकी परीक्षा के पश्चात्
नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले

100 से कम नियत अश्वशक्ति/किसी नियत
अश्वशक्ति के इंजनों वाले वाष्प-जलयान
————————————के मास्टर
565 से कम ब्रेक अश्वशक्ति/किसी ब्रेक
अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयानों

अथवा

40 से कम नियत अश्व शक्ति के इंजनों वाले वाष्पजलयान
————————————के सेरंग
565 से कम ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान

के कर्तव्यों की पूर्ति करने के लिए सम्यकरूप से अर्हित पाया गया है।

मेरे हस्ताक्षर से और मुद्रा लगाकर दिया गया।
प्रधान अधिकारी

वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास

तारीख. . . . .

प्रमाणपत्र सं०. . . . .

धारक . . . . .आत्मज. . . . .

जाति. . . . .

जन्म की तारीख और स्थान जिसमें ग्राम, थाना और जिला दर्शित किया जाए

निवास स्थान, जिसमें ग्राम, थाना, और जिला दर्शित किया जाए

ऊंचाई. . . . .

वैयक्तिक विवरण, जिसमें विशिष्टयाँ कोई स्थाई चिह्न या निशान दर्शित किए जाएं।

रजिस्टर टिकट संख्या —

*यदि सही-सही ज्ञात न हो तो अपनी सर्वोत्तम जानकारी या उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार बताएं।

ध्यान दीजिए: यदि यह प्रमाणपत्र इसके मालिक से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में आ जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह इससे तुरन्त प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास-जिला-मद्रास को भेज दें।

तारीख. . . . . .को. . . . . .स्थान पर जारी किया गया।

प्रधान अधिकारी,

वाणिज्यिक समुद्री विभाग

रजिस्ट्रीकृत मद्रास।

प्ररूप 6

[नियम 26(क) देखिए]

निम्नलिखित के रूप में सक्षमता प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा ली जाने के लिए आवेदन।

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले—

किसी नियत अश्वशक्ति के इंजनों वाले वाष्प जलयान
————————————के इंजीनियर के रूप में
किसी ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान

अथवा

40 से कम नियत अश्वशक्ति/100 से कम नियत अश्वशक्ति के इंजनों वाले वाष्प जलयान
————————————के ड्राइवर के रूप में
226 से कम ब्रेक अश्वशक्ति/565 से कम ब्रेक अश्वशक्ति के इंजनों वाले मोटर जलयान

टिप्पण: इस प्ररूप को उपसंरक्षक, नव मंगलौर पत्तन के कार्यालय से मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है।

इस कागज के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) और (छ) को परीक्षा के आवेदक द्वारा उपसंरक्षक के या ऐसे पदधारी के समक्ष भरा जाएगा जिसे उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, और वह अभ्यर्थी के संशापत्रों और पूर्वतर प्रमाणपत्र के, यदि कोई हो, सहित उसे सौंप दिया जाएगा। सरकार के किन्हीं भी अधिकारियों या सेवकों को विनियमों में उल्लिखित फीस के अतिरिक्त कोई भी पारिश्रमिक या उपदान, नहीं दिया जाएगा या उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाएगा। सरकार का कोई भी अधिकारी, संदेश-वाहक या सेवक, जो कोई उपहार या उपदान स्वीकार करता है तुरंत अपने पद से सेवोन्मोचित कर दिया जाएगा और इस प्रकार धन देने वाले अभ्यर्थी की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने अवचार का कार्य किया है, तथा उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा और 12 मास तक उसका परीक्षित किए जाने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(1) पूरा नाम

(2) उपनाम

(3) पिता का नाम

(4) वर्तमान पता जिसमें नगर, गली और मकान की संख्या और उस व्यक्ति का (यदि कोई हो) नाम बताएं जिसके साथ निवास कर रहा हो।

(5) तारीख

(6) जन्म कहां हुआ

(क) नगर या ग्राम और थाना

.....या जिला

(ख) सभी पूर्वतन प्रमाणपत्रों की (यदि कोई हों) विशिष्टियां

सं०	सेवा की सक्षमता	श्रेणी	कहां जारी किया गया	जारी करने की तारीख	यदि किसी समय निलम्बित या रद्द किया गया हो तो बताएं कि किस न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा किया गया	तारीख	खण्ड
7	8	9	10	11	12	13	14

(ग) प्रमाणपत्र जो अब अपेक्षित है।

(15) श्रेणी

(16) सेवा की सक्षमता

(17) पता जिस पर इसे भेजा जाना है।

(घ) यदि आवेदक उस प्रमाणपत्र के लिए जो अब अपेक्षित है किसी पूर्वतन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है तो उसे यहां यह बताना चाहिए कि कब और कहां हुआ। यदि वह अनुत्तीर्ण नहीं हुआ है तो उसे इस खंड में लिखित रूप में ऐसा कथन करना चाहिए —

(18) तारीख

(19) पत्तन

(20) विषय जिनमें वह अनुत्तीर्ण हुआ।

(ङ) आवेदक द्वारा की जाने वाली घोषणा

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) में दी गई विशिष्टियां मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और सत्य है तथा खण्ड (छ) में प्रगणित और इस प्ररूप के साथ भेजे गए कागज पत्र सत्य और असली दस्तावेज है जो उन व्यक्तियों द्वारा दिए गए और हस्ताक्षरित हैं जिनके नाम उन पर दिए गए हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि कथन (छ) में निरापवाद रूप से मेरी संपूर्ण सेवाओं का सत्य और सही वृत्तान्त है।

और मैं यह घोषणा शुद्ध अंतःकरण से इस विश्वास के साथ करता हूं कि वह सत्य है।

उप संरक्षक नव मंगलौर पत्तन के समक्ष मैं हस्ताक्षर किए गए।

तारीख.....

आवेदक के हस्ताक्षर

वर्तमान पता

सेवा में

प्रधान अधिकारी,
वाणिज्यिक समुद्री विभाग,
मद्रास जिला मद्रास

उपर्युक्त घोषणा (ङ) पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए और फीस मैंने प्राप्त की है।

तारीख.....

हस्ताक्षर
उपसंरक्षक
नव मंगलौर पत्तन

(छ) शंसा पत्रों की सूची और तट पर तथा समुद्र पर की सेवा में विवरण (शंसापत्रों की नीचे स्तम्भ 21 में दी गई संख्या के अनुसार क्रमशः संख्यांकित किया जाएगा)

यदि जलयान पर की सेवा हो

शंसापत्रों (यदि कोई हों) की संख्या	कहां नियोजित है या जलयान का नाम	इंजनों की अश्वशक्ति	रजिस्ट्री की पत्तन और जलयान की अधिकृत सं०	धारिता	प्रारंभ करने की तारीख	पर्यवसान की तारीख
21	22	23	24	25	26	27

आवेदक की सेवा इस सेवा में कितने समय तक नियोजित रहा।			ट्रेड जिसमें नियोजित था	सत्यापक के हस्ताक्षर
वर्ष	मास	तारीख		
28	29	30	31	32

वाष्प जलयान पर की कुल सेवा
समुद्र पर की कुल सेवा
उपरोक्त सेवा का योग

(ज) परीक्षक का प्रमाणपत्र

टिप्पण :—परीक्षक को खण्ड (ज) और (झ) को भरना चाहिए और सभी मामलों में, यथासंभव शीघ्र इस कागज को प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला मद्रास को प्रेषित करना चाहिए। यदि आवेदक उत्तीर्ण हो जाता है तो उसके शंसापत्र और पूर्वतन प्रमाणपत्र यदि कोई हो, इस कागज के साथ प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला मद्रास को भेजा जाएगा। नए प्रमाणपत्र और शंसापत्रों का परिदान आवेदक को 17 (ग) में दिए गए पते पर किया जाएगा।

(33) परीक्षा की तारीख और स्थान

(34) नीचे प्रत्येक मद के सामने उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण लिखें :—

(1) प्रश्न को हल करने में

(2) मौखिक परीक्षा में

(35) रैंक, जिसमें उत्तीर्ण हुआ।

(झ) आवेदक का वैयक्तिक विवरण

(36) ऊंचाई फुट इंच

(37) रंग रूप

(38) विशिष्टिताओं के, यदि कोई हों, वैयक्तिक चिह्न

(39) वर्ण

(1) बालों का

(2) आंख का

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि खण्ड (ज) और (झ) में दी गई प्रविष्टियां सही हैं।

इस प्ररूप और शंसापत्रों को प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला, मद्रास को प्रेषित किया जाता है।

परीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

(नियम 52 देखिए)

सेवा में,

परीक्षक सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा करेगा कि वे नीचे दी गई विशिष्टियां भरें और वह उसे परीक्षा की रिपोर्ट के साथ-साथ प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला-मद्रास को प्रेषित करेगा।

प्रारम्भिक प्रश्नों में अनुत्तीर्णता को गणित अनुत्तीर्णता समझा जाएगा

ऐसी परीक्षा के लिए प्रश्नों की संख्या का चयन परीक्षक द्वारा किया जाएगा और वे अभ्यर्थी को तब तक नहीं बताए जाएंगे जब तक परीक्षा प्रारंभ नहीं हो जाती है।

नव मंगलौर पत्तन वर्ग जिसके लिए परीक्षा ली गई

तारीख अभ्यर्थी का नाम

क. आपने कर्मशाला में इंजनों के निर्माण या मरम्मत में कहां और कितने समय और किन हैसियतों में सेवा की ?

ख. आपने समुद्र पर या अन्तर्देशीय जल क्षेत्रों में या नव मंगलौर पत्तन में इंजन कक्ष में कितने समय और किन हैसियतों में सेवा की।

ग. आपने समुद्र पर या अंतर्देशीय जल क्षेत्रों में या नव मंगलौर पत्तन में किस प्रकार के इंजनों पर सेवा की है ? इंजन किन आकारों के थे।

घ. आपने समुद्र पर या नव मंगलौर पत्तन में किस प्रकार के बायलरों पर सेवा की ?

ङ. आपने समुद्र पर या नव मंगलौर पत्तन में इंजनों में कौन सी त्रुटियां देखी हैं। सत्यापन के लिए जलयानों का नाम बताइए।

च. आपने बायलरों में कौन सी त्रुटियां पाई है ?

ये त्रुटियां किन कारणों से हुई और उनका किस प्रकार से उपचार किया गया। सत्यापन के लिए जलयानों का नाम दीजिए।

प्ररूप 8 (नियम 61 देखिये)

सक्षमता प्रमाण पत्र

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले,
40/100 नियत अ०श० से अन्यून के इंजनों वाले वाष्प जलयान
.....के इंजन के रूप

में 226 अ०शo/565 ब्रेक अ०शo से अन्यून के इंजनों वाले मोटर जलयान

अथवा

किसी नियत अ० शo के इंजनों वाले वाष्पजलयान

किसी ब्रेक अ०शo के इंजनों वाले मोटरजलयान के इंजीनियर के रूप में

सेवा में

.....

.....

चूंकि परीक्षा के पश्चात् आपके नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले .....के इंजनों वाले..... जलयान के..... के कर्त्तव्यों की पूर्ति करने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाया गया है अतः मैं आपको ऐसे.....के रूप में यह सक्षमता प्रमाणपत्र प्रदान करता हूं।

मेरे हस्ताक्षर से और मेरी मुद्रा लगाकर दिया गया।

तारीख.....

प्रमाणपत्र संख्या

धारक

जन्म की तारीख और स्थान

ऊंचाई

वैयक्तिक विवरण जिसमें विशिष्टिया दाग के स्थायी चिह्न बताए जाएं।

रजिस्टर टिकट सं०

हस्ताक्षर

ध्यान दीजिए :—यदि यह प्रमाणपत्र इसके धारक से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में आ जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसे तुरन्त प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला, को दे।

तारीख.....को.....स्थान पर जारी किया गया।

रजिस्ट्रीकृत प्रधान अधिकारी

वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास

आवेदन का प्ररूप

प्ररूप 9 [नियम 64 ग (2) देखिए]

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले ऐसे मोटर/वाष्प जलयान के जिसमें 40 या 40 से कम ब्रेक अश्वशक्ति/15 या 15 से कम नियत अश्वशक्ति इंजन लगे हों, इंजन या मोटर ड्राइवर के रूप में कार्य करने के लि अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन।

1. आवेदक का पूरा नाम
2. पिता का नाम
3. आवेदक का स्थायी पता
4. आवेदक की जन्म तारीख और जन्म स्थान
5. क्या पूर्वतन परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है और यदि हुआ है तो कब और कहां।

मैं घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन सत्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का वर्तमान पता

तारीख.....

6. उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए और 4 रु फीस मैंने प्राप्त की।

हस्ताक्षर

पदनाम

7. शंसापत्रों की सूची और सेवा का विवरण

पेश किये गये कहां शंसापत्रों की या संख्या	नियोजित सेवा आरम्भ करने की तारीख	सेवा के पर्यवसान की तारीख	इस सेवा में कितने समय तक नियोजित रहा।	टिप्पणी

8. परीक्षक का प्रमाणपत्र

(क) परीक्षा की तारीख और स्थान

(ख) उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण

9. आवेदक का वैयक्तिक विवरण

(क) ऊंचाई

(ख) रंगरूप

(ग) वैयक्तिक निशान

(घ) बालों का वर्ण

(ङ) आंखों का वर्ण

मैं प्रमाणित करता हूं कि सं० 8 और 9 में दी गई विशिष्टिया सही है।

इस प्ररूप और शंसापत्रों को प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास जिला को "अनुज्ञापत्र" जारी करने के लिए अग्रेषित किया जाता है।

परीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप 10

(नियम 64 छ देखिए)

नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले, 40 ब्रेक अश्वशक्ति या उससे कम 15 नियत अ०शo या उससे कम के मोटर/वाष्प जलयान के इंजनों भारसाधन ग्रहण करने के लिए अनुज्ञापत्र।

सेवा में

.....

.....

चूंकि आपको परीक्षा के पश्चात्, नव मंगलौर पत्तन में चलने वाले 40 की अश्वशक्ति/15 नियत अ०शo या उससे कम के मोटर जलयान/वाष्पजलयान के इंजनों को चलाने के लिए सम्यक् रूप से अर्हित पाया गया है ;

अतः मैं आपको यह अनुज्ञापत्र प्रदान करता हूं।

मेरे हस्ताक्षर से और मेरी मुद्रा लगाकर दिया गया।

प्रधान अधिकारी

वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास

तारीख.....

अनुज्ञापत्र सं०

धारक

जन्म तारीख

जन्म स्थान

वर्तमान निवास स्थान

ऊंचाई

वैयक्तिक चिन्ह

हस्ताक्षर

ध्यान दीजिए.—यदि यह अनुज्ञापत्र इसके मालिक से भिन्न किसी व्यक्ति के कब्जे में पाया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसे तुरन्त प्रधान अधिकारी, वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास को भेज दें।

तारीख.....को.....स्थान पर जारी किया गया।

रजिस्ट्रीकृत

प्रधान अधिकारी,
वाणिज्यिक समुद्री विभाग, मद्रास

[फा० सं पी०जी०एल०-57176]

सुदर्शन वसुवेद, अवर सचिव

New Delhi, the 19th October, 1978

G.S.R. 1296.—The following draft of the Rules for the grant of Certificate of Competency or Permits to Masters and Syrangs, Engineers and Engine Drivers of Mechanically propelled Craft plying in the Port of New Mangalore, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by Clause (k) of Sub-section (1) of Section 6 of the Indian Ports Act (15 of 1908), is hereby published as required by sub-section (2) of the said Section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

CHAPTER I

1. Short title, commencement and application.—(1) These Rules may be called the Port of New Mangalore Grant of Certificate of Competency, (Harbour Craft) Rules, 1978.

(2) They shall come into force.....

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires.

(a) "Deputy Conservator" means the Deputy Conservator of the port ;

(b) "Engineer's Certificate" means a Certificate of competency granted under these rules to a person to be engineer of a Steam-vessel having engines of any nominal horse-power plying in the port of New Mangalore.

(c) "First Class engine driver's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to a person to be engine-driver of a steam-vessel having engines of less than 100 nominal horse-power plying in the Port ;

(d) "First Class Master's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to a person to be Master of a steam-vessel having engines of any nominal horse-power or of a motor-vessel having engines of any brake horse-power, plying in the Port ;

(e) "First Class Motor engine driver's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to a person to be engine-driver of a motor-vessel having engines of less than 565 brake horse power plying in the Port ;

(f) "Form" means a form annexed to these rules ;

(g) "Lantern test" and "Letter test" mean the tests of eye sight of the candidates' vision of form and colour;

(h) "Motor Engineer's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to a person to be engineer of motor vessel having engines of any brake horse-power plying in the Port ;

(i) "Port" means, the port of New Mangalore ;

(j) "Principal Officer" means, the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras.

(k) "Second-class engine-driver's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to the master of a Steam vessel having engines of less than 40 nominal horse-power plying in the Port ;

(l) "Second-class Master's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to be master of a Steam-vessel having engines of less than 100 nominal horse-power, or a motor-vessel having engines of less than 565 brake horse-power, plying in the Port ;

(m) "Second Class motor engine-drivers Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to a person to be engine driver of a motor-vessel having engines of less than 226 brake horse-power, plying in the Port ;

(n) "Shipping Act" means Merchant Shipping Act 1958 (44 of 1958) ;

(o) "Steam Vessels Act" means Inland Steam Vessels Act, 1917 (1 of 1917) ;

(p) "Syrang's Certificate" means a Certificate of Competency granted under these rules to a person to be master of a steam-vessel having engines of less than 40 nominal horse-power, or of a motor-vessel having engines of less than 226 brake horse-power, plying in the Port.

CHAPTER II

GRANT OF CERTIFICATE OF COMPETENCY TO MASTERS AND SYRANGS

Issue of Certificate :

3. (a) Certificates of Competency shall be granted to those persons who pass the requisite examinations and otherwise comply with the requisite conditions ;

(b) For this purpose, arrangements shall be made for holding examinations periodically at the Port of New Mangalore.

Examinations :

4. The examination shall be held by the Deputy Conservator or by such officer as may be appointed on his behalf (hereinafter called the examiner) under instructions from the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

Suitability for Examination :

5. Candidates for examination shall make their applications upon the appropriate Form I which shall be filled up before the examiner or such official as may be appointed

by him in this behalf. The form properly filled in, together with the candidates testimonials and discharges, shall be lodged with the examiner.

(a) Persons applying for certificate of competency in the case of Port Craft shall submit their applications through the Deputy Conservator, Port of New Mangalore who shall transmit it to the Principal Officer, Mercantile Marine Department with his recommendations as to the suitability of the candidates to be examined for service.

(b) Persons employed in commercially or privately owned vessels registered under the Harbour Craft Rules of the Port shall submit their application through the owners concerned to the Deputy Conservator, Port of New Mangalore. The Deputy Conservator shall transmit the application to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras with his recommendations as to the suitability of the candidates to be examined for the certificates required.

(c) On receipt of the applications, the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras shall persue them and if they are proper in all respects, authorise the Deputy Conservator, to examine the candidates.

(d) The results of the examination conducted shall be sent to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras for approval alongwith the fees for examinations conducted. On an approval of the results of the examination, the Principal Officer, Mercantile Marine Department shall issue the certificates of competency to the candidates through the Deputy Conservator, Port of New Mangalore.

Testimonials etc. :

7. (a) Testimonials of service of candidates shall ordinarily be based on their employer's office records.

(b) Service claimed which cannot be verified from the employer's office records shall be authenticated by affidavits of men under whom such services have been performed as well as by an affidavit of the candidate himself.

Age :

8. Should any doubt exist as to the age of a candidate, he shall be required to produce a certificate of birth or other documentary proof of age, to the satisfaction of the examiner.

Sight Test :

9. (a) Every candidate for a Certificate of Competency shall pass the prescribed sight test before a certificate can be issued to him.

(b) A person desirous of being examined in sight test shall make an application to the Examiner in Form 2 and pay a fee of Rupees Four to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

(c) A candidate for sight test shall undergo the following tests :—

(i) Letter test.—Every candidate for a Certificate must undergo the letter test.

(ii) Lantern test.—Every candidate shall undergo the lantern test on every occasion on which he presents himself for examination for his first Certificate of Competency, but if he then passes he shall not be required to undergo the Lantern Test on any subsequent occasion.

10. (a) Passing or Failure in Examination :

If the candidate passes the Letter Test he shall proceed to the Lantern Test, unless he holds a Certificate of Competency. If he fails in the Letter Test, he may—

(i) Proceed to the Lantern Test, in which case the result of both tests will be taken into consideration in deciding whether he is to be passed ; or

(ii) Break off the examination and present himself for re-examination in not less than 3 months' time.

(b) Lantern Test :

(i) If the candidate passes the Lantern Test after passing the letter test, he shall be deemed to have passed the examination.

(ii) If the result of the Lantern Test is inconclusive and if the candidate passes it after failing in the letter test, his case shall be submitted in Form 3 to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, who shall decide whether he has passed or failed or whether he shall be referred for a special examination.

(iii) If the candidate fails to pass a Lantern Test, the Examiner shall point out to him the condition stated in Rule 12 under which he can appeal. Appeals shall be made to the Principal Officer, Madras.

(iv) A candidate who fails to pass the Lantern Test shall not be re-examined unless the Principal Officer decides that he be re-examined after a lapse of three months. The Certificate in Form 4 which is issued to the candidate shall state whether he may or may not be re-examined.

Further examination and appeals :

11. (a) If in the case covered by the proceedings paragraph the Principal Officer decides that a further examination is necessary, arrangement shall be made for special examination.

(b) If, however, on the report of the Examiner, the Principal Officer, decides that the nature of the mistakes made show conclusively that a candidate's sight is so defective as to render him unfit to hold a certificate the candidate shall be considered to have failed.

(c) In cases, where, upon the report of the Examiner a candidate is failed by the Principal Officer, as well as in the case of a special examination, the Government of India may allow a candidate, who is dissatisfied with this decision to appear for a further examination, subject to the conditions set out in Rule 13.

(d) In the case of a candidate who is referred for further examination the Principal Officer shall make arrangements for a special examination for which no additional fee shall be charged.

12. Special Examination—Appeal cases.—A candidate who is adjudged to have failed in the Lantern Test may appeal to the Principal Officer, who shall remit the case to a Special Body of Examiners for decision. Such candidate shall be required to pay a Special Fee of Rs. 32 which shall be returned to him if he is declared to have passed the Special Examination.

13. Special Examination—Candidates to attend punctually:

(a) Candidates who are referred for a special examination or who appeal from the result of the local test shall be notified by the Principal Officer, Madras of the time which they should attend to special examination and are expected to inform the Principal Officer, whether or not they will be able to attend at that time.

(b) Any candidates who, after informing the Principal Officer that he will attend, fails to appear at the time appointed, shall be liable to have his examination postponed indefinitely and also if he has appealed under paragraph 12 shall forfeit the Appeal Fee of Rs. 32 and shall be required to deposit a further fee of the same amount before further arrangements are made for his special examination.

14. Failure in Special Examination.—(a) Where during the course of a special examination, a candidate who has appealed or has been referred is found to have permanent defect in eye-sight such as to render him unfit for a sea career he shall be finally rejected and shall not be allowed to be examined again in the sight test on any future occasion, provided that if the candidate is still dissatisfied it will be open to him if he so desires to present himself for a second special examination on payment of a fee of Rs. Seventy Five.

(b) Special Appeal Fee.—Such candidate shall be required to bring with him a friend to witness the examination.

(c) A second examination under this rule shall be entirely voluntary, and shall form no part of the Examination for a Certificate of Competency.

(d) The Central Government may take into consideration the result of such Examination in determining whether a Certificate shall be granted.

15. Special Appeal Fee.—The Special Appeal Fee of Rupees Seventy Five shall not be returnable, unless, in the special circumstances of an individual case, the Central Government sees fit to refund it.

Qualifications for Syrang's Certificates

16. (a) All candidates for Syrang's Certificates shall be examined in the letter and colour tests.

(b) (i) A candidate for a Syrang's Certificate shall not be less than twenty-one years of age and shall produce satisfactory certificates of sobriety and intelligence.

(ii) He shall have served four years at sea or on inland waters, the last year of which service should have been on an inland or Harbour, Steam or motor-vessel as either as a helmsman or a dock-hand; and shall be examined viva voce as to his knowledge in the following subjects; namely :—

(1) the rules of the road ;

(2) simple questions on the handling and management of Harbour Launches ;

(3) The Storm-Signals ; and

(4) The Port rules and knowledge of buoys, light, landmarks, channels, shoals and set of tides in the Port and its approaches.

(c) If a candidate fails, he shall not be re-examined until he has rendered additional service for three months on an inland or Harbour steam or motor vessel as a helmsman or a Dockhand.

Qualifications for Second Class Master's Certificate

17. (a) All candidates for Second Class Master's Certificate shall first be examined in sight and colour.

(b) A candidate for a Second Class Master's Certificate shall not be less than twenty two years of age, and shall produce certificate of sobriety and intelligence.

(c) He shall have served at least five years at sea or on inland waters, the last three years of which service shall have been as helmsman (Sukhani) or Dockhand of an inland or Harbour steam vessel of not less than 40 nominal horse-power or a motor-vessel of not less than 226 brake horse-power or an alternative service of three years as Syrang in charge of a steam-launch of over 15 nominal horse-power or a motor launch of over 80 brake horse-power holding a certificate of competency as Syrang granted under the Steam Vessels Act, or under these rules, and shall pass a satisfactory viva voce examination in the following subjects, namely:—

(1) the rules of the road ;

(2) the management of small steam and motor vessels under all contingencies ;

(3) Storm signals ;

(4) tide tables ;

(5) the Port Rules of the Port ;

(6) knowledge of buoys, lights, landmarks, channels shoals and set of tides in the Port and its approaches; and

(7) Compass (the candidates should be able to read the points of the compass).

(d) If a candidate fails, he shall not be re-examined till he has rendered additional service for three months as a Syrang holding a Syrang's Certificate granted under the Steam Vessels Act, or under these rules, or as helmsman (Sukhani) or Dockhand of an Inland or Harbour Steam Vessel of not less than 40 nominal horse-power or a motor vessel of not less than 226 brake horsepower.

Qualifications for first class Master's Certificate

18. (a) All candidates for First Class Master's Certificate shall first be examined in the letter and colour tests.

(b) A candidate for a First Class Master's Certificate,

(i) should be not less than 24 years of age and should have served as Second Class Master in charge of an Inland Steam or motor vessel for not less than three years, or while possessing a Second Class Master's Certificate granted under the Steam Vessels Act, under these rules, have served as Second Syrang of a Steam or Motor Vessel for not less than four years, or

(ii) should be not less than 22 years of age and held a certificate of competency as second mate, Foreign-going of mate Home Trade, granted under the Merchant Shipping Act, 1958 (14 of 1958) and have served as a mate of an Inland Steam or motor vessel, or

(iii) should be not less than 24 years of age and must have served either, not less than three years at sea and three years as mate of an Inland Steam or Motor Vessel or not less than six years as a mate of an Inland Steam or Motor Vessel.

(c) Each candidate shall be examined apart, and viva-voce in each and all of the following subjects :—

(1) the rules of the road ;

(2) the management of any type of Harbour or Inland Steam or Motor Vessel under all contingencies including the Handling of tugs ;

(3) tide tables ;

(4) storm signals ;

(5) a thorough knowledge of the Port of New Mangalore Regulations.

(6) knowledge of buoys, lights, landmarks, channels, shoals and set of tides in the Port of New Mangalore and its approaches and

(7) an elementary knowledge of the compass.

(d) If a candidate fails, he shall not be re-examined until he has rendered additional service for three months either as Second Class Master in charge of an Inland or Harbour Steam or motor vessel as mate or second in charge of an inland or harbour steam or motor vessel.

Examination :

19. Notwithstanding anything contained in these rules any candidate in an examination for a First or Second Class Master's Certificate shall be examined in the subject mentioned in Clause (5) and (6) of rule 17 (c) or clauses (5) and (6) of rule 18(c) as the case may be, and if he satisfies the examiner as to his knowledge of the prescribed subject and generally as to ris competency to be in charge of a steam or Motor Vessel, he shall be granted a Certificate of Competency under these rules.

Certificate of lower grade :

20. If a candidate has failed in his examination, but the subject in which he had failed are not included in the subjects required for a certificate of a lower grade, he may, if he desires it, receive a certificate of such lower grade.

21. If a candidate fails in the subjects mentioned in clause (4) of rule 16(b)(ii) only but otherwise passes a satisfactory examination, he shall be granted a Certificate of Competency under these rules.

Fee to be paid against :

22. When a certificate of lower grade is granted to a candidate as provided in rule 20, no part of any fee paid by him shall be returned to him and on presenting himself, when entitled so to do, for re-examination for the higher grade of certificate he shall be required to pay again the full fee.

Fees

23. (a) (i) Candidates for examination in making their application in Form I shall be required to pay the examination fee before any step is taken, whether by inquiring into their services or testing their qualifications or by following any other course prescribed by these rules ;

(ii) Should it be found that their services are not sufficient to entitled them to be examined, or should their testimonials be unsatisfactory, or should they, from any other cause, not be examined, no part of the fee shall be returned to them, but when they have fulfilled the requisite-service or are able to produce satisfactory testimonials, as the case may be, they shall be allowed to again present themselves for examination for a certificate of the same grade without paying any further fee.

(iii) The fee for examination shall be paid to the examiner or such officer duly authorised by him in this behalf. In any case in which a candidate offers money to any other officer, the candidate so offering money shall be regarded as having committed an act of misconduct, and shall be rejected and not allowed to be again examined for twelve months.

(b) If a candidate fails in his examination, no part of the fee shall be returned to him.

(c) If the candidate satisfies the examiner, as to his knowledge of the prescribed subjects, and generally as to his competency, to command a steam or motor or motor-vessel plying in the Port, the examiner shall grant a certificate to the candidate.

(d) The fees shall be as follows :—

	Rs.
First Class Master's Certificate	20/-
Second Class Master's Certificate	15/-
Syrang's Certificate	10/-

General

24. (a) First and Second Class Master's Certificate and Syrang's Certificates shall be made and issued in the appropriate Form 5.

(b) Every such certificate shall be made in duplicate and every person entitled to such certificate shall supply the examiner with two copies of his photograph, passport size, one of which shall be affixed on each of the copies of the certificate. One copy of the certificate shall be delivered to the person entitled to the cerificate, and the other shall be kept and recorded by the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

CHAPTER III

GRANT OF CERTIFICATE OF COMPETENCY TO ENGINEERS AND ENGINE DRIVERS OF MECHANICALLY PROPELLED CRAFT PLYING IN THE PORT OF NEW MANGALORE

Authority to Issue Certificate

25. (a)(i) Certificate of Competency shall be granted to those persons who pass the requisite examinations and otherwise comply with the requisite conditions.

(ii) For this purpose arrangements shall be made for holding examinations periodically at the Port.

(b) The examinations shall be held by a qualified Marine Engineer holding a Certificate of Competency as Chief Engineer granted by the Ministry of Shipping and Transport appointed by the Deputy Conservator, hereinafter called the examiner. They shall commence early in the forenoon and shall be continued until all the candidates whose names appear on the list of the Deputy Conservator on the day of examination are examined.

Suitability for Examination

26. (a)(i) Candidates for examination shall make their applications in Form 6, which shall be filled in before the Principal Officer or such officials as may be appointed by him in this behalf. (ii) The form, properly filled in, together with the candidate's testimonials, shall be lodged with the Deputy Conservator not later than three days before the day of examination.

(b) Persons applying for certificate of competency in the case of Port craft shall submit their applications through the Deputy Conservator, who shall transmit it to the Principal Officer, Mercantile Marine Department with his recommendations as to the suitability of the candidates to be examined for service.

(c) Persons employed in commercially or privately owned vessels registered under the Harbour Craft Rules of the Port of New Mangalore shall submit their application through the owners concerned to the Deputy Conservator, The Deputy Conservator shall transmit the application to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras with his recommendations as to the suitability of the candidates to be examined for the certificate required.

(d) On receipt of the applications, the Principal Officer shall persue them and if they are proper in all respects, authorise the Deputy Conservator to examine the candidates.

Conduct of Examinations

27. The examination of Engineers, First Class and Second Class Engine drivers shall be held on such days and times as may be notified by the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

Results

2. The results of the examination conducted shall be sent to the Principal Officer, for approval along with the fees for examinations conducted. On an approval of the results of the examination, the Principal Officer shall issue the certificates of competency to the candidates through the Deputy Conservator.

Testimonials etc.

29. (a) Applications shall be required to produce, in addition to the usual forms of discharge or service record, satisfactory testimonials as to sobriety, experience, ability and general good conduct for at least the last 12 months service on board a ship preceding the date of application to be examined unless the Central Government after having investigated the matter, shall see fit to reduce the time.

(b) An applicant already possessed of a certificate granted under these rules and wishing to appear for one of a higher grade should produce his certificate and all the discharges or service records and testimonials he submitted when he applied for examination in the lower grades as well as the discharge or service records and testimonials necessary for the higher grade certificate.

(c) Should references of doubtful authenticity be submitted by candidates for examination, the Deputy Conservator may require proof from the candidates of their genuineness or an affidavit made to that effect.

(d) If applicants have served on shore immediately preceding their application, certificates of sobriety shall be produced from their employers, or from a respectable householder, if unemployed.

No candidate shall be allowed to be examined unless he has served on board a ship six months within the last three years preceding the date of his application to be examined.

Verification of testimonials

30. As such testimonials and discharges may have to be verified before the candidates can be examined, it is desirable that these should be handed over, together with the Form 6 as prescribed in 26(a)(i) as early as possible.

Age

31. Should any doubt exist as to the age of a candidate he shall be required to produce a certificate of birth or other documentary proof of age, to the satisfaction of the Deputy Conservator.

Proof of testimonials

32. (a) Testimonials of service of candidates must ordinarily be based on their employers' office recorders.

(b) Services claimed which cannot be verified from the employers' office records be authenticated by affidavits of men under whom such services have been performed as well as by an affidavit of the candidate himself.

(c) Testimonials of service from Certificated Marine Engineers or Mechanical Engineers with comparable qualifications shall be accepted.

(d) Candidates shall be required to account for any gaps in their service with documentary evidence.

Qualifications for Second Class Engine-drivers' Certificates

33. A candidate for a second-class Engine-driver's Certificate should have attained the age of twenty-one years and should possess one of the following qualifications, namely :—

(a) He should have served an apprenticeship of at least three years in the making or repairing of steam-engines, and one year in the engine-room of a steamer ; or

(b) He should have served four years in the engine room of a steamer at sea, or in inland waters under an engineer or first class engine driver possessing certificates of competency, granted under the Steam-Vessels Act, One year of which service should have been as a Syrang Tindal or fireman in-charge of a watch in a vessel having engines of not less than 20 nominal horsepower ; or

(c) He should have served five years in the engine-room of a steamer, one year of which service must have been as a Syrang, Tindal, principal fireman or fireman in-charge of a watch in a vessel of not less than 15 nominal horsepower under a first class engine-driver certificated under the Steam-vessels Act.

(d) He should have served two years in charge of the engine of a factory or mill under an appropriately qualified manager or engineer, and one year as engine-room Syrang, Tindal or Principal fireman in a steamer or not less than 15 nominal horsepower.

34. He should satisfactorily pass a viva voce examination as to the making of marine engines and boilers and the uses of the different parts and fittings also as to the use of brine cocks, the salino-meter and blowing off, the care of boilers in salt or full water, and the art of economical stoking and prevention of smoke.

35. He should be able if required, to show his practical qualifications by actually working the engines of a small steamer, after fulfilling all the other tests to which he shall be subjected.

Qualifications for Second Class Motor Engine-drivers' Certificate.

36. A candidate for a Second Class motor engine-driver's certificate should have attained the age of twenty-one years and should possess one of the following qualifications, namely :—

(a) He should have served for not less than three years as an apprentice or journeyman in the making, fitting and/or repairing of internal combustion or marine steam-engines and in addition he should have served for six months in the engine-room of a motor vessel having engines of not less than 85 brake horsepower or nine months in a vessel with engines of not less than 40 brake horsepowers ; or

(b) He should have served for a period of not less than four years in the engine room of a motor-vessel of not less than 226 brake horsepower of which period not less than one year should have been served as a Syrang, Principal Tindal or Chief greaser.

(c) He should have served for a period of not less than five years in engine room of a motor-vessel having engines of not less than 85 brake horsepower, or six years in the engine-room of a vessel having engines of not less than 40 brake house power as Syrang, Tindal or Chief greaser :

Provided that of the four years mentioned above one-third may be served in the engine-room of a steam-vessel of not less than 40 nominal horsepower ;

Provided that of the five or six years' service mentioned above, one-third may be served in the engine-room of a steam vessel of not less than 10 nominal horsepower ; or

(d) He should have served for a period of not less than two years in charge of the engines of a factory or mill under a certificated engineer, as well as for a period of not less than one year in the engine room of a motor vessel of not less than 85 brake horse power, or eighteen months in a motor-vessel having engines of not less than 40 brake horsepower, as a Syrang, Tindal or Chief greaser; or

(e) He should have served for at least six months with a Second-Class engine-driver's certificate for steam-vessels granted under the Steam Vessels Act or under these rules, or with a certificate of a higher grade in the engine room of a motor vessel having engines of not less than 85 brake horsepower or for nine months in a motor-vessel having engines of not less than 40 brake horsepower.

(f) He should have served for at least two years, whilst in possession of a permit granted under the Steam Vessels Act or proviso to rule 29 of the Harbour Craft Rules for the Port of New Mangalore (Harbour Craft) Rules, 1976 as an engine driver of a motor vessel having engines of 40 brake horse-power or under, followed by three years' service in the engine-room of a vessel having engines of more than 40 brake horse-power as Syrang, Tindal or Chief greaser :

Provided that when the candidate produces proof of long service with such a permit in launches having engines of 40 brake horsepower or under, remission or service with engines of over 40 brake horsepower may be allowed in the ratio of one year lower powered launches in lieu of six months' service in higher powered launches with a maximum of remission of eighteen months. The service to count for remission shall be in excess of the two years required in launches of 40 brake horse-power or under.

37. The candidate should satisfactorily pass a viva voce examination on the working of the various types of internal combustion engines and be able to name the Principal parts of the machinery.

38. (a) The candidate should know what attention is required by the various parts of the machinery, understand the use and management of the different valves cocks, pipes and connections and be familiar with the various methods of supplying air and fuel to the cylinders.

(b) The candidate should be able to describe the chief causes which may make the engine difficult to start and to explain how he would proceed to remedy any defects connected therewith ; he should also be able to show that he understands the mechanism of the starting and reversing arrangements and that he is competent to deal with the defects therein.

(c) The candidate should be able to overhaul the engine, to adjust the working parts and to put the engine together again in good working condition. He should also understand how to make good the result of ordinary wear and tear to the machinery and how to correct defects from accidents.

39. (a) The candidate should be familiar with the nature and properties of the various fuel oils used in internal combustion engines. He should understand what is meant by "flash-point".

(b) The candidate should know the danger resulting from leakage from the fuel oil tanks and must understand the precauations to be taken against explosion. He must also be able to take the necessary precautions to guard against the escape of inflammable vapour from the vaporiser when the engine are stopped. He must also know how to deal with fire, should it break out.

(c) The candidate should also be able, if required, to know his practical knowledge by actually working the engines of a motor-vessel in the presence of the examiner.

(d) The candidate should possess a working knowledge of the auxiliary machinery connected therewith, namely, electric light engines, steering engines, evaporators and pumps.

Qualifications for First Class Engine Drivers' Certificate

40. A candidate for a first-class engine-driver's certificate should have attained the age of twenty-two years and should possess one of the following qualifications; namely :—

(a) He should have served an apprenticeship of at least three years in the making or repairing of steam-engines and one year as Assistant in a Steamer having engines of not less than 80 nominal horsepower whilst holding a second-class engine-driver's certificate for steam-vessels granted under the Steam-Vessels Act or under these rules; or

(b) He should have served five years in the engine-room of a steamer at sea or on inland waters, two years of which service should have been as Syrang, Principal Tindal or fireman in charge of watch in a steamer having compound surface, condensing engines of not less than 30 nominal horse power whilst holding a second class engine driver's certificate for steam vessels granted under the Steam Vessels Act or under these rules; or

(c) He should have served one year as second-driver with second class engine-driver's certificate for steam-vessels granted under the Steam Vessels Act or under these rules in charge of a watch on the main engines and boilers of a steamer having compound surface condensing engines of not less than 30 niminal horsepower; or

(d) He should have served one year with a second-class engine-driver's certificate for steam-vessels granted under the Steam-Vessel; Act, or under these rules as driver in charge of the engines of a steamer having compound surface condensing engines of not less than 20 nominal horse-power; on

(e) He should have served eighteen months as Syrang or Principal Tindal with a second-class engine-driver's certificate for steam-vessels granted under the Steam Vessels Act, or under these rules, in charge of a watch on the main engines and boilers of a steamer having compound surface condension engines of not less than 30 nominal horse power; or

(f) He should have served three years in charge of the engines of a factory or mill under an appropriately qualified Manager or Engineer, as well as two years as Assistant Engineer, engine-room syrang or principal tindal of a steamer having engines of not less than 80 nominal horsepower whilst holding a second-class engine-driver's certificate for steam-vessels granted under the Steam Vessel Act or under these rules.

41. He should pass a viva vove examination similar to that required by rule 34 for a second-class engine-driver's certificate but more advanced.

42. He should also be able, if required, to show his practical qualifications by actually working the engines of a steamsr after fulfilling all the other tests to which he will be subjected.

Qualifications for First Class Motor Engine Drivers' Certificate

43. A candidate for first-class motor engine-driver's certificate must have attained the age of twenty two years and must possess one of the following qualifications, namely :—

(a) He should have served for not less than one year as engine driver or regular watch on the main engines of a motor-vessels of not less than, 565 brake horsepower whilst holding a second-class engine dirver's certificate for motor vessels granted under the Steam Vessels Act, or under these rules; or

(b) He should have served for a period of not less than 18 months as second driver with a second-class engine-driver's certificate for motor-vessels granted under the Steam-Vessels Act, or under these rules, in charge of a watch on the main engines of a motor-vessels of not less than 226 brake horsepower; or

(c) (i) He should have served for a period of not less than four years in the engine room of a motor-vessel of not less than 226 brake horse-power, of which period not less than one year should have been served as a Chief greaser, Syrang, or principal tindal whilst holding a second-class engine-driver's certificate for motor-vessels granted under the Steam-Vessels Act or under these rules.

(ii) If the motor-vessel is of not less than 170 brake horse-power he should have served for a period of not less than five years in such vessel of which period not less than two years should have been served as a Syrang, Principal Oil-man or chief greaser whilst holding a second-class engine driver's Certificate for motor-vessels granted under the Steam Vessels Act or under these rules; or

(d) He should have served for a period of not less than 18 months with a second-class engine-driver's certificate for motor-vessels granted under the Steam-Vessels Act, or under these rules as driver in charge of the engine of a motor vessels of not less than 113 brake horsepower; or

e) He should have served for not less than two years as a Syrang; Principal Tindal or Chief Greaser with a second-class engine-driver's certificate for motor-vessels granted under the Steam Vessels Act, or under these rules, in a motor vessel of not less than 226 brake horsepower; or

(f) He should have served for not less than three years in charge of the engines of a factory or mill under a certificated engineer as well as for not less than one year in the engine-room of a motor-vessel of not less than 26 brake horsepower as Assistant Engineer, Syrang, Principal Tindal or Chief greaser whilst holding a Second-class driver's certificate for motor vessels granted under the Steam-vessels Act, or under these rules; or

(g) He should have served for not less than two years as engnie driver on regular watch on the main engines of a motor-vessels or not less than 226 brake horsepower whilst holding a first class engine driver's certificate granted under the Steam-vessels Act, or under these rules; or

(h) He should have served for not less than four years as engine driver on regular watch on the main engines of a motor vessels of not less than 226 brake horsepower while holding a second-class engine driver's certificate granted under the Steam-vessels Act, or under these rules.

(i) He should hold an engine-drivers certificate for sea going steamships granted under the Merchant Shipping Act, and should have served on regular watch on the main engines of motor-vessels of not less than 226 brake horsepower for period not less than one year.

44. He should pass a viva voce examination similar to that required under rules 37 to 39 for a second-class Motor engine driver's certificate but of a more advanced character.

Qualifications for Engineer's Certificate

45. A candidate for an Engineer's Certificate should be not les than twenty two years of age and should possess the following qualifications, namely :—

(a) (i) He should have served as an apprentice engineer for four years and prove that during the period of his apprenticeship he has been employed on the making or repairing of steam-engines boilers etc.

(ii) Journeyman's time shall be considered equivalent to apprenticeship.

(iii) In addition to the Apprenticeship described above the applicant should have served two years thereafter as Assistant Engineer in a steamer having engines of not less than 80 nominal horse-power or with a first-class engine-driver's certificate granted under the Steam-vessels Act, or under these rules, as Driver-in-charge of the engines of a Steamer having compound surface condensing engines of not less than 30 nominal horsepower; or

(iv) Failling the above service, he should have served three years with a first-class engine-driver's certificate granted under the Steam Vessels Act, or under these rules, in charge of the engines of an inland vessels having compound surface condensing engines of not less than 80 nominal horsepower; of four years in charge of the engines of an Inland Vessel of not less than 30 nominal horsepower.

(b) He should be able to give a satisfactory description of boilers and the methods of staying them together with

the use and management of the different valves, cocks, pipes and connections.

(c) He should understand how to correct defect from accident, decay etc., tnd the means of repairing such defects.

(d He should understand the use of the water-gauge, pressure gauge, barometer, thermometer and salinometer, and the principles on which they are constructed.

(e) He should state the causes, effects and usual remedies for incrustation and corrostion.

(f) He should be able to explain the methods of testing and altering the setting of the slide valves, and method of testing the fairness of shafts and adjusting them.

(g) He should have a working knowledge of working pressure for a steam-boiler and its implications.

(h) He should understand the construction of, and be able to maintain in working condition, the auxiliary machinery which may be placed under his charge; viz; electric light engines (steam and oil) and dynamos, electric motors, the various types of steering engines, hydraulic and refrigerating machinery.

(i) He should understand the construction of centrifugal bucket and plunger pumps, and the principle on which they act.

(j) He should be able to state how a temporary or permanent repair could be effected in case of derangement of a part of the machinery, or total breakdown.

(k) He should write a legible hand, and have a good knowledge of arithmetic upto and including vulgar and decimal fractions and square and cube roots. He must also understand the application of these rules to questions about safety valves, coal consumption, consumption of stores, capacities of tankes, bunkers etc.

(l) He should be able to pass a creditable examination as to the various constructions of steam engines in general use, as to the details of the different working parts, external and internal and the use of each part.

(m) He should possess a creditable knowledge of the prominent facts relating to combustion, heat, steam and electricity.

(n) He should be able to describe different types of marine motor engines, their working and uses of the several par's.

Qualifications for Motor-engineer's Certificates.

46. A candidate for a motor-engineers' certificate should have attained the age of 22 years and he should possess the following qualifications, namely :—

(a) (i) He should have served for not less than four years as an apprentice engineer or journeyman at the making fitting and repairing of steam and motor engines such as would be recognised as affording useful training for a marine engineer :

(ii) No time served before the age of 15 shall be accepted. Not less than three years of this period should have been spent at fitting erecting or repairing internal combustion engines ;

(iii) The remaining year may have been spent either wholly or in part on work of this nature or at an approved technical school as mentioned in the rules for examination of sea going engineers ;

(iv) Service as journeyman shall be considered as equivalent to apprenticeship, but no time served before the age of 15 is reached, shall be accepted.

(v) Workshop service other than the above may be accepted if it is considered useful training for a motor-engineer, but all such cases shall be submitted to the Principal Officer for consideration before the candidate is examined, and at least an additional three months of qualifying service on marine internal combustion engines either in the works or on regular watch in main engine room of vessels propelled by these engines shall have been performed in respect of each twelve months of workshop service of this nature, or other than on the making or repairing of internal combustion engines so accepted.

(vi) If the service is not altogether satisfactory, a longer additional period than that specified may be required.

(vii) Any deficiency in the requisite four years, workshop service may be made up by service afloat on regular watch in the main engine room of a vessel of not less than 565 brake house-power propelled by internal combustion engines.

(viii) If the vessel is a sea-going vessel one-and-half times the period of deficiency should be served and if inland vessel, two-and-a-quarter times the period of deficiency shall be required. Thus a candidate who has no workshop service should serve six years in a suitable sea-going vessel, or nine years in an inland-vessel in lieu of his apprenticeship.

(b)(i) In addition to the workshop service as above described or the alternative service afloat, the candidate should have spent 18 months at sea as an engineer on regular watch on the main engines of a sea-going ship propelled by internal combustion engines of not less than 565 brake horse-power or 27 months in a simliar inland vessel.

(ii) Failing the above service, he should have served 3 years with a first class motor engine driver certificate granted under the Steam Vessels Act or under these rules, in charge of the engines of a inland or harbour vessel of not less than 565 BHP propelled by internal combustion engines or 4 years in charge of the engines of an inland vessel of not less than 226 BHP.

(c) An Engineer in possession of a (Steam) Certificate of competency granted under the Merchant Shipping Act or Steam Vessels Act or under these rules is also eligible for a motor engineer's certificate under the follows rules :—

(i) He should have served for not less than six months as an Assistant Engineer on regular watch on the main engines of a sea-going ship propelled by internal combustion engines of not less than 565 brake-power or nine months in a similar Inland-vessel whilst holding a first-class certificate of competency for sea-going steamships issued under the Merchant Shipping Act 1958 (14 of 1958). He should also satisfy the examiner that he is fully conversant with internal combustion engines and be able to show both in writing and in viva-voce examination that he has satisfactory knowledge of the subjects covered by rules 33 to 38 and 43 to 46 of these rules; or

(ii) He should have served for not less than 12 months as an Assistant Engineer on regular watch on the main engines of a sea-going ship propelled by internal combustion engines of not less than 565 brake horse-power or 18 months in a similar inland vessel whilst holding a second-class certificate of competency, for sea-going ships, issued under the Merchant Shipping Act, 1958 (14 of 1958). He should also satisfy the examiner that he is fully conversant with internal combustion engines and be able to show both in writing and in viva-voce examination that he has satisfactory knowledge of the subjects covered by rules 33 to 38 and 43 to 46 of these rules.

(d) Engineers in possession of ordinary certificates of competency as Engineers granted under the Steamvessels Act or under these rules, may be examined for grant of a motor-engineer's certificate :

Provided that they have served for not less than 12 months as Assistant Engineer on regular watch on the main engines of sea-going ship propelled by internal combustion engines of not less than 565 brake-house-power or 18 months of a simlar inland-vessel whilst holding an engineer's certificate granted under the Steam-Vessels Act, 1917 (1 of 1917) or under these rules.

(e) He should write a legible hand and have a good knowledge of arithmatic up to and including vulgar and decimal fractions and square root. He should also be able to workout questions relating to spring or lever-loaded safety and relief valves, consumption of oil and stores, capacities of tanks, bunkers, etc., speed of vessels and other similar problems.

(f) He should be able to give a clear explanation of the principles on which oil gas or other internal combustion engines work, including the methods of ignition, to point

out the difference between them, and to show by means of illustrative sketches and otherwise that he understands the details of the construction of these in general use.

(g) He should be familiar with the various methods of supplying air and fuel to the cylinders in the different types of engines, the construction of the apparatus for carburetting, atomosing, or gasifying the fuel, and the means for cooling the cylinders, pistons, etc.

(h) He should have a satisfactory knowledge of the process employed in the construction of internal combustion engines in the workshop and of the methods used in fitting the machinery on boardship.

(i) He should know what attention is required for the various parts of machinery, and understand the use and management of the different valves, cocks, pipes and connections.

(j) He should be able to state and describe the chief causes which may make the engine difficult to start and to explain how he would proceed to remedy any defects arising therefrom. He should also be able to show that he understands the mechanism of the starting and reversing arrangements, and is competent to deal with defects therein.

(k) He should understand how to make good the results of ordinary wear and tear to the machinery, how to test the fairness of shafting etc., how to correct defects from accident, delay, etc., and how a temporary or permanent repair could be effected in case of derangements or total breakdown.

(l) He should understand the construction of the pressure gauge, barometer, thermometer and other instruments used in the engine-room and the principles on which they work.

(m) He should understand the construction and working of centrifugal bucket and plunger pumps, and the principles on which they act.

(n) He should understand the construction and working of air compressors gas producers, steering engines, electric light engines and dynomos, electric motors, refrigerating hydraulic and other auxiliary machinery found on boardship.

(o) He should possess a good working knowledge of the construction and management of auxiliary steam boilers and machinery and he familiar with the prominent facts relating to combustion, heat and steam.

(p) He should familiar with the nature and properties of the various oils, etc., generally used in internal combustion engines, should understand what is meant by flash point and have a knowledge of the explosives properties of gas of the vapour given off by these oils, etc. when mixed with definite quantities of air, and be thoroughly conversant with the danger of exposing such gas or vapour to a naked light; or of allowing any leakage from the oil tanks particularly into the vessels' bilges and unventilated spaces or from gas purpose of prevention of the explosion or ignition of oil

(q) He should thoroughly understand the precautions to be taken against fire or explosion from oil or gas, and know how to deal with fire should it break out. He should also be familiar with the action of wire gauge diaphragms when placed in piples and connections to oil tanks, etc., for the purpose of prevention of the explosion of ignition of oil vapour therein.

(r) He should be able to explain the principal construction and arrangement of primary and secondary batteries and induction coils so far as is necessary for the efficient management of an oil engine.

(s) He should be able to make a sketch drawing of some simple part of the machinery.

GENERAL RULES AS TO EXAMINATIONS

Engineers

47. All books necessary for the use of candidates under examination shall be provided and applicants shall not be permitted to take into the examination room any book, paper, documents, or Memoranda of any description whatever ; and subject to the provisions referred to hereafter, they shall also not be allowed to workout their problems on a slate or on waste paper.

48. Candidates shall be allowed in the time allotted to cancel any part of their work, and when required, additional papers shall be supplied by the examiner. These additional sheets should be attached to and form part of the examination papers.

49. In the event of any candidate being discovered copying from another or affording any assistance or giving any information to another, or communicating in any way with another during the time of examination, he shall be regarded as having failed in his examination, and shall be turned back for three months in the same manner as if he had failed in the practical part of the examination and no part of the fees he may have paid for examination shall be returned to him.

50. If a candidate leaves the room before answering any question which has been given to him he cannot afterwards be permitted to answer it, but the examiner may substitute other data or another question.

51. (a) The Examination of candidates for motor engineer's certificates consists of three parts, Arithmetic, Elementary Questions and viva voce. When the number of marks obtained in Arithmetic amounts to two-thirds of the maximum, the candidate passes in Arithmetic.

(b) All applicants presenting themeselves for examination for motor-engineer's certificates shall be required to give written answer to ten questions. These questions are intended to furnish a record to some extent of the candidate's knoweldge at the time of his examination, and also the induce the candidates to pay more attention to their handwriting and spelling.

52. Certain questions as to the experience of the applicant to be answered by him in writing shall be included in form 7.

53. The examiner may add to the viva questions on the practical management of steam-engines and boilers.

54. If at the expiration of the time allowed the candidate has worked out correctly the whole of the question set to him and given satisfactory answers in the viva-voce examination he shall be declared to have passed.

55. If at the expiration of the time allowed he has not worked out the whole of the questions set to him, but if the result of the viva-voca examination taken in conjunction with the answers to such of the question as he has worked out, is sufficient to satisfy the examiner that the applicant is competent to take charge of engines, he shall be declared to have passed.

56. In other case he shall be declared to have failed.

57. A report of the examination and the examination papers shall be forwarded by the examiner to the Principal Officer on the prescribed form.

58. If the candidate passes, he shall receive a formal note to that effect upon which the Principal Officer shall issue the certificate to the candidate, whose testimonials etc., shall be returned at the same time.

FEES

59 (a) Canddidates for examination in making their application shall be required to pay the examination fees before any step is taken, whether by inquiring into their services or testing their qualifications, etc.

(b) No part of the fee shall under any circumstances be returned to them ; but should it be found that their services is not sufficient to entitle them to be examined, or that their testimonials are unsatisfactory, they shall be allowed to present themselves for examination without paying any further fee when they have fulfilled the requisite service or are able to produce satisfactory testimonials, as the case may be.

(c)(i) The fee for examination shall be paid to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras, or any other person authorised by him.

(ii) In any case in which candidate offers money to any other officer, the candidate so offering money shall be regarded as having committed an act of misconduct, and shall be rejected and not allowed to be examined for 12 months.

(d) If a candidate fails in his examinations, no part of the fee he has paid shall be returned to him.

(e) The fees are as follows :—

Second Class Engine Driver's or Second Class motor.

Engine Drivers Certificate—Rs. 10.

First Class Engine Driver's of First Class Motor.

Engine Driver's Certificate—Rs. 15.

Engineers or Motor Engineer's Certificate—Rs. 20.

Failure

60. If the applicant fails in the viva-voce or practical part of the examination, he may not present himself for re-examination until he can produce proofs of three months' further service afloat. If he fails in Arithmatic only, he may come up again at any time. Engine drivers may be examined de-novo after six months' active service as Syrang or Principal Tindal or second driver if the past examination showed that they might reasonably be expected to qualify.

General

61. Engineer's and Motor Engineers' Certificate, First and Second Class Engine-Driver's Certificate and First and Second Class Motor Engine-Driver's Certificates, shall be made out and issued in the Form 8.

62. Every such certificate shall be made in duplicate, and every person entitled to such certificate shall supply the examiner with two copies of his photograph of passport size ; one of which shall be affixed on each of the copies of the certificate. One copy of the certificate shall be delivered to the person entitled to the certificate and the other shall be kept and recorded by the Principal Officer, Mercantile Marine Department.

CHAPTER-IV

RULES FOR THE GRANT OF PERMITS TO ENGINEERS OR MOTOR DRIVERS OF MOTOR/STEAM-VESSELS OF NOT MORE THAN 40 b.h.p./15 NOMINAL HORSE-POWER PLYING IN THE PORT OF NEW MANGALORE

63. Permits shall be granted to those persons who pass the requisite examinations and otherwise comply with the requisite conditions. For this purpose arrangements shall be made for holding examinations periodically at the Port of New Mangalore.

Examination

64. (a) The examinations shall be held by the Mercantile Marine Department, Madras hereinafter called the examiner.

(b) They shall commence early in the forenoon and shall continue until all the candidates whose names appear on the list of the Examiner on the day of examination are examined.

(c) (i) Candidates for examination shall make their applications in Form 9, which shall be filled in before the Principle Officer or such official as may be appointed by him in this behalf.

(ii) The form, properly filled in together with the testimonials, of the applicant's service, which should be based on his employer's office records shall be lodged with the Deputy Conservator not later than three days before the day of examination.

(d) Candidates for examination, in making their application in Form 9, shall also be required to pay a fee of Rs. 4 to the Principal Officer or such officer duly authorised by him in this behalf.

(e) A candidate for a permit should have attained the age of 21 years and should have served in an engineering firm or workshop for at least two continuous years of which not less than six months should have been spent in the capacity of an assistant driver in charge of a motor engineer or of a fitter.

(f) He should pass a viva-voce examination satisfying the examiner that—

(i) he fully understands the working and management of motor engines and separate use of magnets, carburettors, water circulating and oil pumps, sparking plugs, etc., and is able to some extent to explain their actual means of operation;

(ii) he is able to dismantle motor engines and any accessory part of them, detect excessive wear or other defect where it exists, and correctly reassemble the parts;

(iii) he is able to detect what is wrong in the event of the engine failing to start on or the failure of any accessory part to perform its proper duty;

(iv) he is able to show how he would fully realises the dangers of fire and understands the precautions necessary to prevent it, and what to do when fire actually breaks out;

(v) he is able to show how he would act in case of breakdown of any portion of the machinery.

(g) If the candidate passes, the Principal Officer shall issue to him a permit in Form 10 below :

FORM-I

(See Rule 5)

Application to be examined for a certificate to act as

Master of a Steam vessel having engines of less than 100 n.h.p./any b.h.p.

Motor vessel having engines of less than 556 b.h.p/any b.h.p.

or

Syrang of a Steam vessel having engines of less than 40 n.h.p.

Motor vessel having engines of less than 226 b.h.p.

Plying in the port of New Mangalore.

Before filling in the required particulars, the candidates should read carefully the notice and the declaration in Division (I).

(A) Name, etc. of Candidate

Name in full	Date and place of birth	Permanent address stating town or village, street and number of house and name of person (if any) with whom residing

(B) Particulars of all previous Certificates (if any)

Number	"Competency Service" or "RNR".	Grade	Where issued	Date of issue	If at any time cancelled or suspended, state by what Court or authority	Date	Cause

(C) Certificate now required:—

Grade	Address to which it is to be sent	Date	Port for which the Certificate is required	Subject in which the candidate failed

(D) If the Candidate has failed in a previous examination for the certificate now required, he must here state when. If he has not failed, he must state so in writing across this Division.

(E) Certificate to be forwarded to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District.

The Declaration (I) was signed in my presence of and the fee of Rs.....received by me.

Dated at.....the.....day of.....19

Deputy Conservator
Port of New Mangalore

(F) Certificate of Examiners.

Date and place of examination

Date	Place	Pass or failed

(G) Personnel description of the candidates.

Height		Complexion	Colour of		Personal mark of pecularities, if any
Feet	Inches		Hair	Eyes	

I hereby certify that the particulars contained in Division (F) and (G) are correct and that the candidate has produced satisfactory testimonials and proofs of service.

Dated this.....day of.....19

Deputy Conservator
Port of New Mangalore

(H) Complete list of testimonials and full statement of service from beginning or from date of persent certificate.

The testimonials to be number consecutively according to the number given in the first column of the statement below :

No. of testimonials, if any	Ship's name	Particulars of ship tonnage and n.h.p.	Particulars of applicant's service								
			Capacity	Date of Commencement	Date of Termination	Length of service			Trade in which employed	Remarks	Initials/ of Verifier
						years	Month	Days			

TOTAL SERVICE

Time served for which official proof is now produced.

Time served for which no proof is produced.

(I) Declaration to be made by the candidate.

(Notice—Any person who makes, or procures to be made, or assists in making any false representation for the purpose of obtaining for himself or for any other person a certificate of competency is liable to prosecution)

I do hereby declare that the particulars contained in Division (A), (B), (C), (D) and (H) of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief, and that the papers enumerated in Division (H) and sent with this form are true and genuine documents, given and signed by the persons whose names appear on them. I further declare that the statement (H) contains a true and correct account of the whole of my services without exception.

Dated.....at..... the.....day of.....19

Signed in the presence of the Deputy Conservator,

Port of New Mangalore.

Signature of the Candidate

Present Address :

FORM 2

[See Rule 9(b)]

APPLICATION TO BE EXAMINED IN SIGHT TESTS

(A) Name, etc. of candidate.

1. name at full length.

2. Surname.

3. Permanent address, stating town or village, street and No. of house and name of person (if any) with whom residing.

4. Date of birth.

5. Place of birth

Town or Village Country|and|or District.

6. If candidate has served at sea, state—

(i) Number of years.

(ii) Present Rating and Number and Grade of Certificate (if any)

7. If the candidate has not served at sea, state—

(i) If about to go to sea.

(ii) In what capacity.

(B) If candidate has been previously examined in the Sight Tests, he must here state when and where the last examination took place, and insert "Passed", "Failed", or not examined", as the case may be, against each subject. If the candidate holds a Certificate of Competency, he should not be examined in Colour Vision and the entry "Not Examined" should be made in Division II.

8. Date.

9. Port.

10. Form Vision Test—

Old New

11. Colour Vision Test.

(C) Declaration to be made by candidate.

I hereby declare that the particulars contained in Division (A) and (B) of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief.

And I make this declaration conscientiously believing it to be true.

Dated at this day of 19

Signature of the Candidate.

(D) Deputy Conservator's receipt for fee.

12. Amount received. One rupee.

13. Date of receipt,

14. Place at which received.

The Declaration Above was signed in my presence and the fee named has been received by me.

Deputy Conservator

Port of New Mangalore.

(E) Certificate of Examiner.

I hereby certify that the candidate named above was examined by me this day in the Tests for Form and Colour Vision with the following results.

Old* New*

15. Form vision test.

16. Colour vision test*

Port of New Mangalore Examiner

This.....day of 19

To

The Principal Officer,

Mercantile Marine Department,

Madras District, Madras.

The Examiner should fill up this form and forward it to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras.

*Insert "Passed" or "Not examined" as the case may be, in colour vision if the candidate holds a certificate of competency the entry should be "not examined".

FORM-3

[See Rule 10(b)(ii)]

ISSUED BY THE GOVERNMENT OF INDIA

Port of Rotation No.

Date 197

I SIGHT TESTS

Note for the Examiner :—A report to be sent to the Principal Officer on this form in each case in which a Candidate does not pass the tests for Form or Colour Vision. Candidates shall not be examined in the Colour vision test until they have passed the Form Vision Test.

Name, etc., of Candidate.

1. Names at full length :
2. Surname :
3. Date of Birth :
4. Place of birth :
5. If candidate has served at sea, state :—
   (i) Nunmber of years.
   (ii) Present Rating and No. and Grade of Certificate (if any)
6. If candidate has not served at sea, state :—
   (i) If about to go to sea.
   (ii) In what capacity.

If candidate has been previously examined, in the Sight Test, here state when and where the last examination took place and insert "Passed" "Failed" or "not examined" as the case may be against each subject :—

7. Date :
8. Port :
9. Form Vision Test :—

   Old Modified New Full New.

10. Colour Vision Test.

    Present Description of Candidate :

11. Height : Feet : Inches.
12. Complexion :
13. Colour of :—
    (i) Hair :
    (ii) Eyes :
14. Personal marks or peculiarities, if any.

Signature of the Candidate

Present Address.

I beg to state that I have reported the Candidate named above as having failed in the test or (a) Form Vision (Old test) (New Test), (b) Colour Vision.

Signature of the Examiner.

To

The Principal Officer,

Mercantile Marine Department,

District.

*Obliterate the words that do not apply.

FORM VISION

(1) Did the Candidate pass or fail in the test for Form Vision.

(2) If the Candidate fails to reach the required standard the following Table must be filled up and submitted to the Principal Officer for instructions as to whether the Candidate should be regarded as passed or failed.

*Eye	Sheets used	Number of mistakes in each line of each sheet						
		1st line	2nd line	3rd line	4th line	5th line	6th line	7th line
	First							
	Second							
	Third							
	Fourth							

*State whether Candidate used both eyes together or only his better eye.

(3) What was the conditions of the light when the Candidate was examined?

COLOUR VISION

(1) Did the Candidate fail or is the case referred in the test for Colour Vision ?

General remarks and record of mistakes in Lantern Test.

FORM 4

[See rule 10(b)(iv)]

Exn. 16A(India)
Sight Test
CERTIFICATE OF EXAMINER
Place of Examination:

Name:

Age:

Birth Place:

Rating: Height

Colour of Eyes: Hair:

Complexion:

Delete the words that do not apply } May be re-examined locally in three* months time. May not be re-examined locally except by order of the Govt. of India.

Date:

Examiner's Signature:

Exn. 16A (India)
Issued by the Govt. of India

SIGHT TEST CERTIFICATE OF EXAMINER

NAME & DESCRIPTION OF CANDIDATE

Name & Surname Age:

Birth Place: Rating:

Height: Colour of Eyes: Hair:

Complexion: Personal marks or pecularities (if any)

RESULT OF EXAMINATION:

Delete the words that do not apply. } May be re-examined locally in three month time. May not be re-examined locally except by order of the Govt. of India.

I hereby certify that the particulars contained above are correct.
Dated at day of.....197

Signature of Examiner :

Signature of Candidate :

*The Candidate should produce this Certificate when applying for re-examination.

Part. 68

FORM 5

(See rule 24)

Certificate of competency as any

Master of a — Steam vessel having engines of less than 100 n.h.p./any n.h.p. / Motor vesels having engines of less than 565 b.h.p./any b.h.p.

Syrang of a — Steam vessel having engines of less than 40 n.h.p. / Motor vessel having engines of less than 226 b.h.p.

plying in the port of New Mangalore.

To

Whereas you have been found, after examination, duly qualified to fulfil the duties of a

Master of a — Steam vessel having engines of less than 100 n.h.p./any n.h.p. / Motor vessel having engines of less than 565 b.h.p./any b.h.p.

or

Syrang of — Steam vessel having engines of less than 40 n.h.p. / Motor vessel having engines of less than 226 b.h.p.

plying in the Port of New Mangalore.

Given under my hand and Seal

Principal Officer,
Mercantile Marine Department,
Madras.

This..... day of.....19

No. of Certificate.....

Bearer..... Son of.....

.....

Data* and place of birth, showing village, thana and District Residence, showing village, thana and District.

Height.....

Personal description, stating particularly any permanent marks or scars.

Number of Register Ticket.

*If not know exactly, must be stated on the best information or evidence available—

N.B. Any person other than the owner thereof becoming possessed of this Certificate is required to transmit it forthwith to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras.

Issued at..... on the..... day of 19.....

Registered.

Principal Officer
Mercantile Marine Department
Madras.

FORM 6

[See rule 26(a)]

Application to be examined for a certificate of competency

as engineer of a — Steam vessel having engines of any n.h.p. / Motor vessel having engines of any b.p.h,

or

as Engine Driver of a — Steam vessel having engines of less than 40 n.h.p./less than 100 n.h.p. / Motor vessel having engines of less than 226 b.h.p./ less than 565 b.h.p.

plying in the port of New Mangalore.

Note : This form can be obtained at the office of the Deputy Conservator, Port of New Mangalore free of charge.

Divisions (A), (B), (C), (E) and (G) of this paper are to be filled in by the applicant for examination before the Deputy Conservator or such official as may be appointed by him in this behalf and handed over to him with the candidate's testimonials and former certificate, if any. No remuneration or gratuity whatever must be offered to or received by any officers or servants of the Government, beyond the fees mentioned in the Regulations. Any Officer, messenger or servant of the Government who accepts any present or gratuity shall be immediately discharged from his office and any candidate so offering money shall be regarded as having communicated an act of misconduct and shall be rejected and not allowed to be examined for 12 months.

(1) Name at full length.

(2) Surname.

(3) Father's name.

(4) Permanent address, stating town street and No. of house and name of person (if any) with whom residing.

(5) Date of birth.

(6) Where born—

(a) Town or village and thana.

(b) Country, Country or District.

(B) Particulars of all previous certificates (if any).

No.	Competency of Service	Grade	Where issued	Date of issue	If at any time suspended or cancelled, state by what Court of Authority.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

(C) Certificate now required.

(15) Grade.

(16) Competency.

(17) Address to which it is to be sent.

(D) If applicant has failed in a previous examination for the certificate now required, he must here state when and where. If he has not failed, he must state so in writing across this division.

(18) Date.

(19) Port.

(20) Subjects in which he failed.

(E) Declaration to be made by applicant.

I do hereby declare that the particulars contained in divisions (A), (B), (C), (D) and (G) of this form are correct and true to the best of my knowledge and belief; and that the papers enumerated in division (G) and sent with this form are true and genuine documents, given and signed by the persons whose names appear on them. I further declare that the statement (G) contains a true and correct account of the whole of my services without exception.

And I make this declaration conscientiously believing the same to be true.

Signed in the presence of the Deputy Conservator, Port of New Mangalore.

Date :

Signature of applicant

Present Address

(F) To

Principal Officer,

Mercantile Marine Department,

Madras District, Madras.

The declaration (E) above was signed in my presence, and the fee of Rs. has been received by me.

Date :

Signature

Deputy Conservator

Port of New Mangalore.

(G) List of testimonials and statements of service on shore and at Sea.

(The testimonials to be numbered consecutively according to the number given in Column 21 below)

No. of testimonials (If any)	Where employed of vessel's name	If service on board vessel: Horse power of engines	Port of Registry and official No. of vessel	Capacity	Date of commencement	Date of termination	Service of applicant: Time employed in this service — Years	Months	Date	Trade in which employed	Initials of verifier
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

Total Service on steam-vessel

Total service on shore

Total of above service

(H) Certificate of Examiner.

Note: The examiner should fill up divisions (H) and (I) and in all cases as soon as possible forward this paper to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras. If the applicant passes his testimonials and previous certificate, if any, must be sent with this paper to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District Madras. The new certificate and the testimonials shall be delivered to the applicant at the address named in division (C). 17.

(33) Date and place of examination.

(34) Insert passed or failed against each item below :—

(i) In working out the question.

(ii) In the viva voce examination.

(35) Rakn for which passed :

(i) Personal Description of Applicant.

(36) Height. Feet inches.

(37) Complexion.

(38) Personal marks of peculiarities, if any.

(39) Colour of—

(i) Hair.

(ii) Eyes.

I hereby certify that the particulars contained in divisions (H) and (I) are correct.

This form and the testimonials are forwarded to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras.

Signature of Examiner

Date :

To

The Principal Officer,

Mercantile Marine Department,

Madras District, Madras.

FORM 7

(See rule 52)

To

The Examiner

The Examiner shall require all candidates to fill up the particulars noted below and shall forward the same to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras along with the report of the examination.

Failure in the elementary question shall be treated as failure in arithmatic.

The number of the questions for such examination shall be selected by the examiner, and they are not to be communicated to the candidate until the examination commences.

Port of New Mangalore Class for which examined

Date : Candidate's name

A. Where and how long did you serve in works at the making or at the repairing of engines, and in what capacities ?

B. How long have you served in the engine-room at sea or on inland waters, or in the Port of New Mangalore and in what capacities ?

C. With what description of engines have you served at sea, or in inland waters, or in the Port of New Mangalore ? What sizes were the engines ?

D. With what description of boilers have you served at sea, or in the Port of New Mangalore ?

E. What engine defects have come under your notice at sea, or in the Port of New Mangalore ? Give the names of the vessels for verification.

F. What boiler defects have come under your notice ? What caused these defects, and how were they remedied ? Give names of the vessels for verification.

FORM 8

(See rule 61)

Certificate of Competence as an

Engine Driver of a { Steam vessel having engines of less than 40/100 n.h.p. / Motor vessel having engines of less than 226 b.h.p./565 b.h.p. }

Or

Engineer of a { Steam vessel having engines of any n.h.p. / Motor vessel having engines of any b.h.p. }

plying in the Port of New Mangalore.

To

Whereas you have been found after examination duly qualified to fulfil the duties of ..... of a ..... vessel having engines of ..... plying in the Port of New Mangalore, I do hereby grant you this Certificate of Competency as such .....

Given under my hand and seal.

This day of 19

No. of Certificate

bearer

Date and Place of birth.

Height.

Personal description, stating particularly any permanent marks of scars.

Number of Register Tickets.

Signature.

N.B. Any person other than the owner thereof becoming possessed of this certificate is required to transmit it forthwith to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District, Madras.

Issued at on the day of 19

REGISTERED

Principal Officer,
Mercantile Marine Deptt.,
Madras.

FORM OF APPLICATION

FORM 9

[See rule 64C(i)]

Application for a permit to act as engine or motor driver of a motor steam vessel having engines of 40, or less than 40 brake horsepower/15 or less than 15 nominal horsepower plying in the Port of New Mangalore.

1. Name of applicant in full.
2. Father's name.
3. Permanent address of applicant.
4. Date and place of birth of applicant.
5. If failed in previous examination, and if so, when and where.

I hereby declare the above statement to be true.

Signature of applicant.

Present address of applicant.

Dated at this day of 19

6. The above declaration was signed in my presence and the fee of Rs. 4 has been received by me.

Signature

Designation

7. List of testimonials and statement of service.

Number of testimonials produced	Where employed	Date of commencement of service	Date of termination of service	Time employed in this service	Remarks.

8. Certificate of examiner

(a) Date and place of examination.

(b) Passed/Failed.

9. Personal description of applicant.

(a) Height

(b) Complexion

(c) Personal marks

(d) Colour of hair

(e) Colour of eyes.

I do hereby certify that the particulars contained in Nos. 8 and 9 are correct.

This form and testimonials are forwarded to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras District for issue of "Permit".

Signature of Examiner.

FORM 10

[See rule 64(g)]

Permit to take charge of engines of a Motor/Steam vessel of 40 brake horse power or less/15 nominal horsepower or less plying in the Port of New Mangalore.

To

Whereas you have been found, after examination, duly qualified to drive the engines of a motor vessel/steam vessel having engines of 40 bhp/15 nhp or less plying in the Port of New Mangalore.

I do hereby grant you this permit.

Given under my hand and seal.

PRINCIPAL OFFICER
MERCANTILE MARINE DEPARTMENT
MADRAS.

This day of 19

No. of Permit.
Bearer
Date of Birth
Place of Birth
Present residence
Height
Personal Marks.
Signature.

N.B. Any person other than the owner thereof becoming possessed of this permit is required to transmit it forthwith to the Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.

Issued at on the 19

REGISTERED

Principal Officer
Mercantile Marine Department
Madras.

[File No. PGL-57/76]

S. VASUDEV, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978